बृहस्पतिवार,
१ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद की छात्रवृत्तियां

*१४८७. **श्री बहादुर सिंह** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा की दो परियोजनाओं के अधीन राष्ट्रमण्डल के केन्द्रों में १९५३ में छात्र-वृत्तियों के लिये चुने गये भारतीय छात्रों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) यह छात्र अध्ययन हेतु किन किन देशों में भेजे गये थे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) दस।

(ख) एक कनाडा, और नौ ब्रिटेन भेजे गये थे ।

श्री बहादुर सिंह : इन छात्रवृत्तियों को दिये जाने के सम्बन्ध में छात्रों का चुनाव करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री की अध्यक्षता में एक चुनाव बोर्ड है। इसके दूसरे सदस्य आसाम आयल कम्पनी, बर्मा आयल कम्पनी और सरकार के प्रतिनिधि हैं। यही व्यक्ति छात्रवृत्तियों का चुनाव करते हैं ।

श्री बहादुर सिंह : क्या भारत सरकार इन छात्रवृत्तियों का पूर्ण व्यय सहन करती है अथवा उनका कुछ भाग स्वयं छात्रों द्वारा भी उठाया जाता है ? इन छात्र वृत्तियों की पूर्ण रकम क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह छात्र-वृत्तियां बर्मा आयल कम्पनी और आसाम आयल कम्पनी की ओर से दान रूप में दी गई हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या यह छात्रवृत्तियां उन विषयों के लिये दी जाती हैं जिनके लिये भारत में कोई सुविधा विद्यमान नहीं है, और यदि हां, तो वे विषय क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जिन विषयों के लिये विद्यार्थियों का अन्तिम दल भेजा गया था उनमें इञ्जीनियरिंग डिज़ायन निर्माण, राजपथ सम्बन्धी इञ्जीनियरिंग, कृषि इञ्जीनियरिंग, उडड्यन इंजीनियरिंग आदि सम्मिलित हैं। प्रश्न के द्वितीय भाग के सम्बंध में मैं यह कहूंगा कि विद्यार्थी केवल

उन्हीं विषयों के बाहर भेजे जाते हैं जिनके प्रशिक्षण के लिये हमारे देश में सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ।

श्री पी० सी० बोस : चुनाव के लिये न्यूनतम योग्यता क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है लेकिन न्यूनतम योग्यता यही है कि छात्र ग्रेजुएट हो ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या इन छात्रों को लौटने के बाद नौकरी की गारण्टी दी जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह दूसरा दल है । प्रथम दल अभी नहीं लौटा है ।

श्री बहादुर सिंह : जिन देशों को वह भेजे गये हैं वहां उन्हें कोन सी विशेष सुविधाएं मिली हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : राष्ट्रमण्डलीय देशों ने बर्मा आयल कम्पनी और आसाम आयल कम्पनी के सुझाव पर इन छात्रों को आमंत्रित किया है । अनुमानतः वे सभी अपेक्षित सुविधाएं देते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : इन छात्रवृत्तियों के लिये चुनाव करते समय क्या राज्यवार विचार किया गया है अथवा केवल गुणों के आधार पर ही चुनाव किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : केवल गुणों के अधार पर ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या छात्रवृति प्रदान करने में एक शर्त यह भी है कि सफलता पूर्वक कोर्स पूरा कर लेने के बाद छात्र को नौकरी दी जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : आप वही प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : माननीय उपमंत्री ने उत्तर नहीं दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उनके लौटने के बाद उनकी नियुक्ति की गारण्टी है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन्हें नौकरी देने का भारत सरकार भरसक प्रयत्न करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं । जो कुछ शंकाएं माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में हैं वे स्पस्ट की जानी चाहिये । यदि सरकार द्वारा नौकरी की गारण्टी है तो कहिये कि गारण्टी है ; यदि ऐसी कोई गारण्टी नहीं हैं तो स्पष्ट कहिये कि गारण्टी नहीं है ।

श्री के० डी० मालवीय : मैंने कहा है कि सरकार उन्हें नौकरी देने का भरसक प्रयत्न करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्थिति नहीं समझते हैं । क्या नौकरी की कोई गारण्टी है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, नौकरी की कोई गारण्टी नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या भारतीय विद्यार्थियों को परमाणु-अनुसंधान की सुविधाएं देने के लिये कोई विदेश तैयार हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : उसका इस प्रश्न से कोई सम्बंध नहीं है ।

आयकर पूछताछ आयोग

*१४८८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आयकर पूछताछ आयोग की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५३ से आगे के लिए बढ़ा दी गई है;

(ख) १९५३ में इस आयोग ने कितने मामले निबटाये हैं; और

(ग) ३१ जनवरी, १९५४ को कितने मामले निलम्बित थे ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां, श्रीमान् । आय पर करारोपण (पूछताछ आयोग) अधिनियम की धारा ४(३) के अधीन जैसा अपेक्षित था, यह अधिसूचना १४ दिसम्बर, १९५३ को सदन-पटल पर रखी गई।

(ख) १६८।

(ग) ६३६।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव है कि इस आयोग को और मामले सौंपे जायेंगे, अथवा इसे वे ही मामले निबटाने होंगे जो इस समय इस के पास पड़े हैं ?

श्री बी० आर० भगत : यदि आयोग की कार्यविधि में इस प्रकार के अन्य मामले भी आयें तो शायद उन्हें भी विचार में लाया जायगा।

सरदार हुक्म सिंह : इस समय तक अपनी इच्छा से इस प्रकार के कितने मामलों का अनावरण किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत । रिपोर्ट मिली है कि कुल ४५,९७,०४,५०० रुपये की धनराशि छुपाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि आज तक स्वेच्छा से कितनी धनराशि का अनावरण हुआ है।

श्री बी० आर० भगत : स्वेच्छा से कुल ४०,३२,९२,२२९ रुपये की धनराशि का अनावरण हुआ है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस राशि में छिपाई गई इस आय की राशि भी शामिल है जो निर्धारण कार्यवाही की अवधि समाप्त हो जाने के बाद स्वेच्छा से बताई गई है ?

श्री बी० आर० भगत : नहीं श्रीमान ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किस्तों में इस धन-राशि का संग्रह होता है, और यदि होता है तो अभी और कितनी राशि का संग्रह होने वाला है ।

श्री बी० आर० भगत : किस्तों में संग्रह किया जाता है। आज तक ९ करोड़ २२ लाख रुपये इकट्ठे किये गये हैं, और अभी १८·२९ करोड़ रुपये इकट्ठे किये जाने हैं।

कानूनी सहायता सम्बन्धी विधान

*१४८९. **सेठ गोविंद दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ फरवरी १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि इंगलैंड के कानूनी सहायता व परामर्श अधिनियम, १९४९ (लीगल एड एण्ड एडवाइस ऐक्ट, १९४९) के समान कोई विधान भारत में बनाने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : २१ फरवरी, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४६ का उत्तर देते समय सदन में किसी सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि चूंकि साधारण निर्वाचनों के बाद राज्यों में और भी अधिक संख्या में प्रतिनिधि सरकारों को स्थापित किया जाने वाला है, अतः सीमित साधनों और अल्प साधनों के व्यक्तियों को सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव उन राज्यों में फिर से परिचालित कर दिया जाना चाहिये । सरकार ने इस प्रकार काम करने का वचन दिया और उस वचन के अनुसार, राज्य सरकारों को इस

सम्बन्ध में पुनः लिखा गया । उड़ीसा और मैसूर को छोड़ कर सभी अन्य राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। सीमित साधनों और अन्य साधनों के व्यक्तियों को कानूनी सहायता दिय जाने का प्रश्न तो मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है, क्योंकि उन्हें ही इसका खर्चा उठाना पड़ेगा । जिन राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में उत्तर मिलने वाला था, उन में से लगभग सभी ने यही उत्तर भेजा है कि इस तरह की किसी भी योजना का खर्चा नहीं उठाया जा सकता ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को ज्ञात हैं कि किसी भी राज्य में कोई निजी (गैर सरकारी) व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहे हैं ?

श्री दातार : सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या मंत्रालय को ज्ञात है कि मद्रास में अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता दी जा रही है और क्या और किसी राज्य में इसी प्रकार से काम चल रहा है ?

श्री दातार : माननीय सदस्य ने अभी जो कुछ बताया है, उसका मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है । सरकार को इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं है कि कोई निजी (गैर-सरकारी) व्यक्ति इस तरह का काम कर रहे हैं ।

कपड़ा उद्योग में अंग्रेजों की लगाई पूंजी

***१४९०. श्री एस० एन० दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अगस्त, १९४७ तक भारत स्थित कपड़ा मिलों में अंग्रेजों ने कुल कितनी पूजी लगाई थी;

(ख) इस समय इस दिशा में उन का कितना धन लगा है; और

(ग) क्या इन वर्षों में उन लोगों ने और भी पूजी लगाई है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). १५ अगस्त, १९४७ को इस सम्बन्ध में क्या स्थिति थी, इस की कोई भी जानकारी नहीं है, किन्तु ३० जून, १९४८ को भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जो गणना की गई उस के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन के रहने वालों ने भारत के कपड़ा उद्योग में ९ करोड़ २६ लाख रुपये की पूंजी लगाई थी । इस के बाद की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, किन्तु अभी निकट भविष्य में रिजर्व बैंक विदेशी नियोजित पूंजी का सर्वेक्षण कर रहा है; चुनांचि उन का यह सर्वेक्षण काम पूरा करने पर इस बात की जानकारी देगा कि २१ दिसम्बर, १९५३ को कुल किननी पूंजी नियोजित हुई थी ।

(ग) जुलाई, १९४८ से अक्तूबर, १९५३ तक ग्रेट ब्रिटेन के निवासियों ने सूती कपड़ा उद्योग में लगाये जाने के लिए ३३ लाख ५६ हजार रुपये तक की राशि भेजी थी, जो यहां वालों को प्राप्त हुई ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को मालूम है कि ग्रेट ब्रिटेन के रहने वालों द्वारा कपड़ा उद्योगों में से नियोजित पूंजी हटाई जा रही है और यदि हटाई जा रही है तो क्या वह और किसी उद्योग में लगाई गई है, अथवा वापिस इंगलैंड भेजी गई है ?

श्री बी० आर० भगत : कहां से हटाई गई ?

श्री एस० एन० दास : कपड़ा मिलों में लगाई गई पूजी में से वापिस ली गई राशि ।

श्री बी० आर० भगत : इस अवधि में कपड़ा उद्योग में लगाई गई पूंजी में से कुल ५३ लाख ४१ हज़ार रुपये वापिस भेजे गये ।

आदिम जाति खाद्य अणुजीव शास्त्र

***१४९१. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या आदिमजाति खाद्य अणु-जीव शास्त्र के विषय में अनुसंधान किए गए हैं;

(ख) यदि किए गए हैं, तो उन स्थानों के नाम, जहां भोजन संबंधी सर्वेक्षण किए गए हैं; तथा

(ग) कौन सा खाद्य सभी आदिम जातियों में सर्वसाधारण रूप में प्रयुक्त होता है तथा उसके तत्व ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) अभोर पहाड़ियां, आसाम तथा त्रावणकोर पहाड़ियां ।

(ग) अभोर तथा त्रावणकोर पहाड़ियों में चावल एक सामान्य भोजन है ।

मैं एक बात और बता दूं कि इन दोनों आदिमजातियों में एक खाद्य संबंधी उभय-सामान्य विशेषता और पाई जाती है, वह यह कि उनमें से एक भी दूध नहीं पिया करती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : ये अनुसंधान किस व्यवस्था द्वारा किये जाते हैं, और उनको वित्त कैसे दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : ये अनुसंधान हमारे नरतत्वीय विभाग के सामान्य कृत्यों के अंगस्वरूप किए जाते हैं और उस विभाग के आय-व्ययक अनुदान द्वारा इसकी वित्त पूर्ति की जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अभोर पहाड़ियों की आदिम जातियों में अधिकता से पाए जाने वाले गलगंड रोग का कारण खोजने का कुछ प्रयत्न किया गया है और क्या उसके रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं ?

डा० एम० एम० दास : अभोर पहाड़ियों की कुछ आदिम जातियों में असाधारण रूप से पाए जाने वाले गलगंड के विषय में अनुसंधान चल रहा है और खाद्य तथा अन्य स्थानीय पेयों के विषय में भी अनुसंधान चल रहे हैं ।

प्रशासनिक कर्मचारी कालेज

***१४९२. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् की योजना-समिति द्वारा प्रस्तावित प्रशासनिक कर्मचारी कालेज और भारतीय राष्ट्रीय प्रबन्ध-संस्था की योजना तैयार करने के लिए दिसम्बर, १९५३ में नियुक्त की गई दो उप-समितियों ने अपना काम शुरू कर दिया है; तथा

(ख) कालेज तथा संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में प्राक्कलित आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) उपसमितियों द्वारा परिव्यय के प्राक्कलन अभी तैयार किए जा रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस संस्था और कालेज के उद्देश्य क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : प्रशासनिक कर्मचारी कालेज का मुख्य उद्देश्य उद्योग,

वाणिज्य, मजदूर संघों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से कार्य-पालन के उत्तर-दायित्व वाले व्यक्तियों को प्रभावी प्रशासन के सामान्य सिद्धान्तों के अध्ययन के लिए एकत्र करना है। राष्ट्रीय प्रबन्ध संस्था का लक्ष्य समूचे देश में प्रबन्ध का स्तर बढ़ाना है, और यह इस दिशा में अन्य कार्यों के साथ-साथ गवेषणा और प्रचार कार्य भी करेगी। यह वाणिज्य तथा उद्योग के लिए निरंतर अच्छे प्रबन्धक प्रदान करती रहेगी और सभी संबन्धित व्यक्तियों के निकट प्रभावी-प्रबन्ध का का महत्व बताती रहेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में सरकारी और गैरसरकारी उद्योग और धंधे इस जमाने में काफी उन्नति कर रहे हैं, सरकार इस बारे में क्या इन्तजाम कर रही है कि ऐसे उद्योग धंधों के प्रबन्ध की शिक्षा के संबंध में जल्दी इंतजाम किया जाए ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : यह स्कीम इसीलिए चलाई गई है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि यह कालेज इंग्लैंड के कालेज के आदर्श पर चलाया जाएगा ?

डा० एम० एम० दास : हाँ श्रीमान।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की उत्पादनत्व अध्ययन समिति ने भारत की प्रबंध व्यवस्था के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए हैं ? और यदि हां, तो क्या सरकार इस संस्था को बहुत शीघ्र चलाने पर विचार करेगी ?

डा० एम० एम० दास : सरकार इसे बड़ी जल्दी चलाना चाहती है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के अधीन एक समिति नियुक्त की जा चुकी है, जिससे अविलंब इस कालेज की स्थापना हो सके।

श्री एन० एम० लिंगम : अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद ने प्रबंध अध्ययन तथा प्रशासनिक कर्मचारी कालेज के विकास तथा संगठन की योजना बनाने के लिये अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा बोर्ड की एक संयुक्त समिति बनाई है ....

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या ? माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : प्रश्न अंत में है। संयुक्त समिति ने योजना समिति बनाई। और फिर योजना समिति ने दो उपसमितियां नियुक्त कीं। क्या मैं जान सकता हूं कि समितियां नियुक्त करने की यह शृंखला कब तक चलती रहेगी और क्या कभी इसका अंत भी होगा ?

डा० एम० एम० दास : केवल तीन महीनों में वे अपना काम पूरा कर देंगे।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह कालेज किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा ?

डा० एम० एम० दास : नहीं यह बिलकुल भिन्न प्रकार की संस्था होगी।

विदेशी राष्ट्रीयता वाले शरणार्थी

१४९३. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी राष्ट्रीयता वाले शरणार्थियों का कोई लेखा रखा जाता है ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि उनके लिए यात्रा का एक नया प्रपत्र प्रचलित करने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) इसके अतिरिक्त कि उनका 'राज्यहीन व्यक्ति' के रूप में पंजीयन किया है, विदेशी शरणार्थियों का कोई पृथक लेखा नहीं रखा जाता । ३१ दिसंबर, १९५३ को राज्यहीन के रूप में पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या २३२ है ।

(ख) नहीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि वे किस राज्य में बसे हैं ?

श्री दातार : भारत के विभिन्न भागों में ।

श्री रघुनाथ सिंह : ये लोग कौन कौन से स्थान से आए हैं। ये शरणार्थी लोग किन किन देशों के हैं ?

श्री दातार : वे विभिन्न देशों से आए हैं और उनमें सबसे बड़ी संख्या जेकोस्लावाकिया, ईराक और रूस से आने वालों की है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : वे राज नीतिक शरणार्थी है या सामाजिक शरणार्थी हैं ?

श्री दातार : वे राजनीतिक शरणार्थी हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : देश की भारी जनसंख्या की दृष्टि में क्या सरकार इस देश में और शरणार्थियों के आने पर रोक लगाएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री दातार : उनकी संख्या केवल २३२ है ।

ट्रावणकोर कोचीन में रिजर्व बैंक की शाखा

*१४९६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में खोली गई भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा उन सभी देशों के संग्रह के लिए केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में कार्य करेगी, जो त्रावणकोर कोचीन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय होंगे; तथा

(ख) इन संग्रह कार्यों के लिए यदि कुछ कमीशन रखा गया हो, तो उसकी दर ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने त्रिवेन्द्रम में अपने बैंकिंग कार्य विभाग की एक शाखा ही खोली है। इस शाखा का मुख्य कार्य त्रावणकोर कोचीन राज्य में संघटित बैंकों के विषय में बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ के प्रशासन में सुविधा देना तथा पड़ोसी क्षेत्रों में कुछ और बैंकों का निरीक्षण करना है। यह रिजर्व बैंक के किसी बैंकिंग या निर्गमन विभाग की शाखा के कृत्य का पालन नहीं करती । इसलिए यह केन्द्रीय या त्रावणकोर कोचीन राज्य सरकार की ओर से नगदी का कारबार नहीं करती ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वी० पी० नायर : केन्द्रीय सरकारों के प्राप्यों के संग्रह की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

श्री ए० सी० गुहा : वह त्रावणकोर-कोचीन राज्य कोसागार द्वारा किया जाता है ।

श्री वी० पी० नायर : संघानींय वित्तीय एकीकरण से पूर्व भारतीय इम्पीरियल बैंक को क्या कमीशन दिया जाता था ?

श्री ए० सी० गुहा : कुछ ही दिन पहले माननीय मंत्री ने इसी विषय पर प्रश्न रखा था और तब मैं ने बताया था कि इम्पीरियल बैंक का कमीशन किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर नहीं जोड़ा जाता और यह इम्पीरियल बैंक द्वारा

संग्रह किए गए कुल धन के अनुसार घटने बढ़ने वाली दर से दिया जाता है। अतएव उस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष संख्या बता सकना मेरे लिए संभव नहीं है।

श्री बी० पी० नायर : क्या सरकार को आशा है कि रिजर्व बैंक की त्रिवेन्द्रम् स्थित शाखा निकट भविष्य में भारत सरकार की प्राप्य नकदी का भी काम संभालेगी, और राज्य के कोषागार का यह अतिरिक्त कार्य भार हलका कर देगी ?

श्री ए० सी० गुहा: इस प्रश्न पर १९५५ में किसी समय विचार किया जा सकेगा।

कोरिया में भारतीय अधिकारी तथा सैनिक

*१४९७. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कोरिया को कुल कितने सैनिक तथा अधिकारी भेजे गये ;

(ख) क्या वहां उनमें से किसी की मृत्यु हुई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सेना के अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों की कुल संख्या, जो कोरिया भेजे गये थे, निम्न हैं :—

तटस्थ राष्ट्र	अधिकारी	जे० सी० ओज़	ओ० आर्स	योग
प्रत्यावर्तन आयोग का मुख्य कार्यालय	४५	१०	१६६	२२१
संरक्षक सेना	१६३	१९३	५,२३५	५,५९१

(ख) हां। निम्न छः ओ० आर्स की मृत्यु हो गई :—

१. एम० ई० १२,१७०० सिपाही। ड्राइवर प्लेटू।
२. लैंस नायक सतह सिंह चौहान।
३. राइफलमैन कल्याण सिंह रावत।
४. राइफलमैन कुन्दन सिंह रावत।
५. लैंस नायक धरु शिंधे।
६. सिपाही रघुनाथ।

(ग) १७ सितम्बर १९५३ को सिपाही ड्राइवर प्लेटू का पैर, जिस समय वह संरक्षक कटक शिवर क्षेत्र में घूम रहा था, एक अविस्फोटत खान पर पड़ा यह इस क्षेत्र में दबी पड़ी थी तथा इसका पता नहीं लगा था। विस्फोट के फलस्वरुप उस को अनेकों चोटें आई तथा उसकी मृत्यु हो गई। १८ सितम्बर १९५३ को लैंस नायक सतह सिंह चौहान, राइफलमैन कल्यान सिंह रावत तथा राइफलमैन कुन्दन सिंह रावत 'जलगोपाल' पोत के डैक से अचानक आई लहरों में, जो पोत के आगे के डैक में घुस आई थीं बह गये तथा उनकी मृत्यू हो गई। १५ दिसम्बर १९५३ को अचानक ही लैंस नायक धरु शिंधे ने, जब वह अपने सन्तरी कठघरे से अपने सामने वाली खाई में उतरते हुए फिसल गया, अपने आप अपनी राइफल से गोली मार ली। १२ जनवरी १९५४ को सिपाही रघुनाथ भी, जिस समय वह गश्त लगाने वाले सन्तरी की सहायता के लिये दौड़ा, फिसल गया तथा उसकी भरी हुई राइफल चल गई और उसकी छाती में गोली लगी। इसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गई।

प्रत्येक मामले की जांच की गई थी। इन अशुभ घटनाओं के लिये कोई दोषी न था। वे सब दैवी घटनायें थीं।

डा० राम सुभग सिंह: भारत सरकार ने इन सिपाहियों पर कुल कितना व्यय किया ?

श्री त्यागी : इस प्रश्न के लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री राधा रमण : क्या साधारणतया सिपाहियों का स्वास्थ्य, जब कि वे कोरिया में थे, गिर गया था ?

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कोरिया में संरक्षक कटक के सिपाहियों का स्वास्थ्य असाधारण तथा अच्छा था। यहां तक कि कोरिया में किसी भी अन्य कटक की अपेक्षा अच्छा था। वहां पर कोई बड़ा ही भयंकर रोग फैला था—मैं इसका नाम बतानें में असमर्थ हूँ--तथा उन में से किसी को भी यह रोग नहीं हुआ था। वास्तव में अन्य कटकों के सेनापतियों को हमारे सिपाहियों के आसाधारण तया अच्छे स्वास्थ्य पर अचम्भा था।

श्री बवराघ सामी : क्या जिन सिपाहियों तथा अधिकारियों को कोरिया भेजा गया था उन्हें कुछ आतिरिक्त वेतन या भत्ता, या दोनों, दिये गये थे ? यदि हां तो कितना ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से सबंध नहीं है।

श्री सारंगधर दास: इन कटकों का जो कोरिया में हैं, व्यय कौन देता है--हमारी सरकार या सयुंक्त राष्ट्र संघ ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल योग संख्या तथा मृत्युओं के विषय में है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ समय पहले मैं सदन को पहिले ही बता चुका हूँ कि जब यह कटक भेजी जा रही थी साधारण विचार यह था कि हम अपने सामान्य व्यय को सहन करते रहेंगे, और कोई भी विशेष व्यय अन्य संबंधित दलों दारा उठाया जायेगा। इस आधार पर कटक भेजने तथा सामान आदि के संबंध में अधिकतर व्यय तत्संबंधी दलों द्वारा उठाया गया। इन मामलों का निश्चय करनें के संबंध में हम अब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव से पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

सूर्य-शक्ति के प्रयोग की गवेषणा

*१४९८. **श्री रघु रामय्या :** क्या **प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि उधोगों तथा घरों में सूर्य की किरणों की शक्ति का उपयोग संबंधी गवेषणा को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : उद्योगों तथा घरों में यथासभव सस्ते ढंग से सूर्य की शक्ति का उपयोग करने के अनेकों वैकल्पिक ढंगों की गवेषणा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में हो रही है।

श्री रघुरामय्या : शक्ति तथा शीतकरण दोनों के लिये सूर्य की किरणों का प्रयोग करने की इस गवेषणा के मामले में क्या प्रगति हुई ?

श्री के० डी० मालवीय : जो प्रगति हुई है उसे जानने के लिये माननीय सदस्य ने बहुत ही थोड़े धैर्य से काम लिया है। परन्तु मैं उन्हें यह बता सकता हूं कि अब तक की गई प्रगति पूर्णतया सन्तोषजनक है। हमने एक शक्ति

पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जिसके द्वारा हम पानी ठंडा तथा गरम करने के लिये सूर्य-शक्ति से काम ले सकते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : इस शक्ति का उपभोग कितना लाभदायक तथा सस्ता सिद्ध हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्यवश, वे अनेकों ढंग जो सूर्य-शक्ति का उपभोग करने के लिये उपलब्ध हैं, जैसे ताप विद्युत तथा भा विद्युत, महंगे सिद्ध हुए हैं तथा परिणाम सन्निहित लागत के अनुकूल नहीं हैं । एक मात्र ढंग, जो आजकल प्रयोग में है, यह है कि गरमी को एक स्थान पर केन्द्रित करने के लिये बड़े बड़े शीशे प्रयोग किये जाते हैं। वह शक्ति अथवा गरमी में परिवर्तित करने के लिये प्रयोग की जा सकती है ।

प्राचीन संस्कृत पाण्डुलिपि

*१४९९. **श्री कृष्णाचार्य जलशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९९ के उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) योरोपीय देशों में, विशेषकर यू० के० में, संस्कृत पाण्डुलिपि को प्राप्त करने के लिये सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ; तथा

(ख) क्या भूतपूर्व भारत-कार्यालय के पुस्तकालय में पाण्डुलिपि को वापस लाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई समझौता हुआ है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : भूतपूर्व भारत कार्यालय में कुल कितने संस्कृत की पाण्डुलिपियां थीं ?

डा० एम० एम० दास : भारत कार्यालय में संस्कृत पाण्डुलिपियों की कुल संख्या जिनमें पाली की पाण्डुलिपियां भी सम्मिलित हैं, ८३०० है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यू० के० की सरकार से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की गई है ?

डा० एम० एम० दास : ये प्रश्न सदन के समक्ष बार बार आ रहे हैं । २ मार्च को, डा० एन० बी० खरे द्वारा ऐसा ही प्रश्न करने पर, प्रधान मंत्री ने कहा था :—

> "कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं को, ऐतिहासिक या पुरातत्वीय रुचि की वस्तुओं को जो भूतकाल में निजी एकत्रितकर्ताओं ने अथवा सरकार ने ले ली हैं, प्राप्त करना विशेषतः आसान बात नहीं है । क्योंकि वह देश भी जिसके पास वे हैं उन्हें बहुत महत्व देता है । उन्हें वापस देने के लिये उन पर ज़ोर देने का कोई उपाय नहीं है जब तक कि यह मैत्री भाव या विनमय द्वारा न हो । इसका यही एक उपाय है ।"

वर्तमान परिस्थितियों में मेरा ख्याल है कि मैं उससे अधिक, जो कुछ प्रधान मंत्री ने बताया है, सूचना नहीं दे सकता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : जो सभा सचिव ने कहा है उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह प्रश्न इस बारे में है कि योरोपीय देशों में, विशेषकर यू० के० में संस्कृत पाण्डुलिपियों को प्राप्त करने के लिये सरकार ने आगे क्या पग उठाये हैं ।

डा० एम० एम० दास : प्रश्न वही है । पहिला प्रश्न ऐतिहासिक महत्व तथा पुरातत्वीय महत्व की वस्तुओं के बारे में था । वहां भी संस्कृत पाण्डुलिपियों का प्रश्न आया था ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इन पाण्डुलिपियों तथा कला संग्रहों के वापस आने तक,--यदि हम उन्हें वापस ले सकते हैं,--सरकार का विचार यू० के० तथा अन्य विदेशों में तत्काल इन पाण्डुलिपियों तथा कला संग्रहों की एक सूची प्राप्त करने का है ?

मौलाना आजाद : हां । गवर्नमेन्ट के सामने यह बात आई है और ज़रूरी कार्य-वाही की जा रही है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि पाण्डुलिपियों की प्रति-लिपि कराने तथा उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए कोई बातचीत हुई है ?

मौलाना आजाद : इन तमाम तरीकों से काम लिया जा रहा है, लेकिन मैं हाउस की मालूमात के लिए यह चीज़ कह दूं कि यह इतनी आसान बात नहीं है कि बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट निकल आए । सब से पहले हमने यह कोशिश की कि योरुप के मुख्तलिफ शहरों में गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट एजेंसियों की जिस कदर ये चीजें हैं इनकी एक लिस्ट बन जाए, और हमने अपनी एम्बेसीज़ को लिखा । उनके जरिए से कुछ चीजें आईं, मगर वह अभी तक काफी नहीं हैं । काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि इसकी एक लिस्ट पूरी बना ली जाए और इसके बाद जो कदम उठाना चाहते हैं वह उठायें ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या गवर्नमेंट के सामने ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि जिन में इंडिया आफिस लायब्रेरी में वे किताबें जो कि हिन्दुस्तान की आजादी से ताल्लुक रखती हैं उन में हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों को और दूसरे लोगों को जाने की इजाजत नहीं मिली है या कुछ किताबें उनसे छिपाकर रक्खी गयी हैं ?

मौलाना आजाद : गवर्नमेंट के इल्म में कोई ऐसा वाक्या नहीं आया ।

एशियाई भाषाओं का स्कूल

*१५००. **श्री लक्ष्मय्या** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक एशियाई भाषाओं का स्कूल स्थापित करने के लिए सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को एक लाख रुपए की स्वीकृति दी है ?

(ख) यदि हां, तो यह कब प्रारम्भ किया जाएगा और इसमें कौन-कौन सी भाषाएं सिखायी जायेंगी ?

(ग) इस संस्था के पाठ्यक्रम का कार्यक्रम क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) इस प्रयोजना के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान समिति द्वारा एक लाख रुपये का अग्रिम अनुदान दिया गया है ।

(ख) और (ग). योजना के ब्यौरे पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री लक्ष्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी भाषाओं को एशियाई भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : इस योजना के अंतर्गत बनारस विश्वविद्यालय का निम्न भाषाओं को पढ़ाने की सुविधा का उपबन्ध करने का विचार है : तिब्बती, चीनी, बर्मी, स्यामी और सिंहली ।

अनुसूचित जाति छात्रवृत्तियां

*१५०१. **श्री कथम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रवृति बोर्ड द्वारा बंगाल की अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृतियां दी गयीं; और

(ख) सन् १९५२-१९५३ की कितनी छात्रवृतियां पुनर्नवीकृत की गयीं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रक्खे गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री कथम : अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कुल कितनी राशि अलग से निर्धारित की गयी थी ?

डा० एम० एम० दास : मैं ठीक-ठीक राशि तो नहीं बतला सकता, किन्तु अपने माननीय मित्र की तृप्ति के लिए मैं बतला दूं कि कुल राशि का १८ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिए निर्धारित किया गया था ।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार को विदित है कि ये छात्रवृत्तियां सामान्यतः शिक्षा-वर्ष के समाप्त हो जाने पर अथवा परीक्षाओं के ठीक पूर्व दी जाती हैं ?

डा० एम० एम० दास : सरकार इस बात से आवगत है, और स्थिति को सुधारने के लिए वह पूर्ण प्रयत्न कर रही है ।

श्री एन० एम० लिंगम : अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों का अपेक्षाकृत कम विकास होने के कारण, क्या सरकार का यह इरादा है कि परीक्षाओं में फेल हो जाने वालों की छात्रवृत्तियां पुनर्नवीकृत नहीं की जायें ?

डा० एम० एम० दास : इन छात्रवृत्तियों के पुनर्नवीकरण के लिए जो न्यूनतम राशि निर्धारित की गयी है वह कम नहीं की जा सकती ।

श्री वेलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि छात्रवृत्तियों की स्वीकृत राशि में से कितनी राशि इस वर्ष व्ययगत हो गयी है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे सकता।

श्री तिम्मय्या : क्या यह सच है कि छात्रवृत्तियों को देर से दिए जाने का कारण यह है कि छात्रवृत्ति विभाजन कार्यालय में काम करने वाले क्लर्कों की संख्या अपर्याप्त है ?

डा० एम० एम० दास : जी नहीं । सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

श्री नाना दास : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुसूचित जातियों के धर्म-परिवर्तन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाए गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए गये हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि कुछ मामलों में छात्रवृत्तियों की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् भी उनमें कमी कर दी गयी है, और यदि हां, तो इसके कारण ?

डा० एम० एम० दास : हमें व्यक्तिगत मामलों के बारे में नहीं मालूम है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय को पता है कि एक ही संस्था में, उसी दर्जे में छात्रवृत्तियों की विभिन्न राशियां दी जा रही हैं, और यदि हां तो इस प्रकार की भेदभावयुक्त कटौतियों के क्या कारण हैं ?

डा० एम० एम० दास : हमें ऐसे किन्हीं मामलों के बारे में पता नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई मामला है तो वह हमें बतलाएं।

श्री बूवराधसामी : क्या मैं जान सकता हूं कि छात्रवृत्तियों के वितरण में सरकार विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को प्राप्त अर्जियों के अनुपात में छात्रवृत्तियां देती है ?

डा० एम० एम० दास : छात्रवृत्तियों की ये राशियां राज्यों में प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और जहां तक तीन वर्गों— अनुसूचित आदिमजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग— का प्रश्न है, वितरण इस प्रकार किया गया है : अनुसूचित आदिमजातियां १८ प्रतिशत, अनुसूचित जातियां ४६ प्रतिशत और पिछड़े वर्ग ३६ प्रतिशत।

श्री नानादास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम अनुसूचितआदिम जाति अथवा अनुसूचित जन जाति में पाया जाता है, तो धर्म परिवर्तन के बावजूद भी उसे छात्रवृत्ति दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० एस० तिवारी। अनुपस्थित हैं।

श्री संगण्णा, उठे—

कुछ माननीय सदस्य : श्री संगण्णा मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित हों तो दूसरे सदस्य को तत्काल उठकर कहना चाहिए कि "मैं मौजूद हूं।"

तीसरी श्रेणी के क्लर्क

*१५०२. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तीसरी श्रेणी के क्लर्कों के वेतन बढ़ाने का निश्चय किया गया है;

(ख) इसे कब लागू किया जायगा; और

(ग) क्या यह वृद्धि बीते हुए काल से लागू होगी ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तीसरी श्रेणी के क्लर्कों से उनकी वेतन श्रेणियों का पुनरीक्षण करने के बारे में उनसे प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). इस समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री संगण्णा: क्लर्क संघ की मांगें क्या हैं और उन पर कहां तक विचार किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : यह मांग अधिकतर वेतन में वृद्धि करने के बारे में है।

कुमारी एनी मस्करीन : इन मांगों पर कितने समय से विचार किया जा रहा है और इनके बारे में निश्चय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री बी० आर० भगत : इस मामले पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र ही निश्चय कर लिया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि ये क्लर्क गत पांच वर्षों से अपने मामले का अभ्यावेदन करते रहे हैं और क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि इस मामले पर कितने समय में निर्णय कर लिया जायगा ?

श्री बी० आर० भगत : जैसा कि मैं ने कहा, इस मामले पर केबिनेट में उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इस मामले में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायगा ।

श्री रघुरामय्या : क्या उस प्रस्ताव में भारत सरकार के सभी विभाग सम्मिलित हैं ?

श्री बी० आर० भगत : सभी तीसरी श्रेणी के क्लर्कों की वेतन श्रेणियों का पुनरीक्षण किया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी विभागों में ?

श्री कासलीवाल : तीसरी श्रेणी के क्लर्क कौन हैं ? क्या वे सचिवालय या मंत्रालयों या अन्य विभागों से सम्बद्ध हैं ?

श्री बी० आर० भगत : वे सभी जो कि एक विशेष वेतन श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह प्रस्ताव केवल सरकारी सेवाओं पर ही लागू होता है या उच्चतम, न्यायालय, राज्य परिषद तथा संसद् सचिवालय की सेवाओं पर भी लागू होता है ?

श्री बी० आर० भगत : यह सचिवालय तथा अन्य सेवाओं पर लागू होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह उच्चतम न्यायालय, संसद् सचिवालय आदि पर लागू होता है ....

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ने असहमति प्रकट की ।

उपाध्यक्ष महोदय : ..... अथवा क्या यह केवल सरकारी सेवा तक ही सीमित हैं ?

श्री बी० आर० भगत : उच्चतम न्यायालय के बारे में मैं नहीं जानता। यह उस पर लागू न होता हो किन्तु यह सचिवालय तथा सरकारी सेवाओं पर लागू होता है ।

पाकिस्तानी रुपया

***१५०३. श्री जेठालाल जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय मुद्रा में पाकिस्तानी रुपये के सरकार द्वारा निश्चित किये गये दर तथा बाजार में प्रचलित दर के बीच असमानता है; तथा

(ख) इसके निष्क्रांत निक्षेपों के हस्तान्तरण पर क्या प्रभाव होगा ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) इस असमानता का निष्क्रांत निक्षेपों के हस्तान्तरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन पर दोनों देशों की सरकारें आपस में बातचीत करेंगी और इन मामलों को तय करेंगी और जहां आवश्यक होगा वहां सरकार द्वारा निश्चित विनिमय दर लागू किया जायगा ।

श्री जेठा लाल जोशी : भारत तथा पाकिस्तान में निष्क्रान्त निक्षेपों का क्या प्राक्कलन है ?

श्री बी० आर० भगत : हमारे पास इसका कोई प्राक्कलन नहीं है ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या यह सत्य है कि निष्क्रांत निक्षेपों के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्धों को कार्यसूची के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, और क्या इस बात की सम्भावना है कि इस असमानता के कारण हमारे शरणार्थी अपने निक्षेपों के मूल्य का लगभग ३० प्रतिशत खो देंगे ?

श्री बी० आर० भगत : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न माननीय पुनर्वास मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री जोकीम आल्वा : ऐसा समझा जाता है, चाहे गलत और चाहे सही, कि भारत ने पाकिस्तान को बिना सूचना दिये हुए ही अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया था और पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था । चाहे इसका ऐतिहासिक महत्व ही क्यों न रह गया हो किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को सूचना दिये बिना भारत ने अपने रुपये का अवमूल्यन क्यों कर दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत पहिले हो चुका है और यह पुरानी बात है ?

डा० राम सुभग सिंह : पहिले दिये गये उत्तर में यह बतलाया गया था कि पाकिस्तानी रुपये के बाज़ार मूल्य और सरकार द्वारा निश्चित मूल्य में असमानता है। मैं जानना चाहता हूं कि असमानता कितनी है और क्या सरकार का उसे दूर करने का विचार है ?

श्री बी० आर० भगत : प्रश्न के पहिले भाग के सम्बन्ध में, मुझे यह कहना है कि खुले बाज़ार में विनिमय की दर सप्ताहवार तथा स्थान स्थान पर बदलती रहती है। मैं समझता हूं कि नवीनतम दर के अनुसार सौ पाकिस्तानी रुपये उन्नासी भारतीय रुपये के बराबर हैं। यह असमानता बाज़ार की परिस्थितियों के कारण है जिस पर सरकार का सरलता पूर्वक नियंत्रण नहीं हो सकता है ।

अम्बाला के समीप भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना

*१५०५. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १२ मार्च, १९५४ को भारतीय वायु सेना का एक विमान अम्बाला के पास गिर गया था; तथा

(ख) इस विमान दुर्घटना के कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) पायलट आफीसर एस० एम० दीवान, जो कि उस विमान में अकेले ही थे, इस दुर्घटना में मर गये तथा वह विमान पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट हो गया । सरकार को हुई पूर्ण हानि का तब तक निर्धारण नहीं किया जा सकता जब तक कि जांच समिति, जो कि पहिले ही नियुक्त की जा चुकी है, की कार्यवाही की रिपोर्ट न मिल जाय ।

श्री जी० एल० चौधरी : क्या विमान के उड़ने से पूर्ण उसकी पूर्व रूप से जांच की गई थी ?

श्री त्यागी : जी हां, जांच हमेशा की जाती है ।

श्री जयपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब हम यह जानते हैं जो विमान गिरा था वह किस किस्म का था फिर इसकी हानि का पता लगाने में क्या कठिनाई है ?

श्री त्यागी : मैंने ये कारण पहले ही बता दिये हैं। जांच समिति कारणों का पता लगा रही है और जब तक मुझे उसकी रिपोर्ट न मिल जाय तब तक मैं हानि का अनुमान नहीं लगा सकूँगा।

श्री सूर्य्य प्रकाश : इस वर्ष भारतीय वायुसेना की कितनी विमान दुर्घटनायें हुई ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध उस दुर्घटना से है जो कि अम्बाला के पास हुई। इसके लिये पृथक् प्रश्न होना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह : विमान दुर्घटना के कारणों तथा उसमें जो हानि हुई है, इन दोनों में क्या सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि हानि की भी जांच की जा रही है। कुछ तो हानि हुई है। यह प्रश्न, कि यह दुर्घटना क्यों हुई और इस में कितनी हानि हुई, जांच समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है। यही माननीय मंत्री ने कहा है।

श्री त्यागी : इस दुर्घटना में विमान चालक की मृत्यु हो गई तथा विमान नष्ट हो गया।

श्री एन० एम० लिंगम : जो विमान गिरा था वह किस किस्म का था ?

श्री त्यागी : यह तूफानी विमान था।

सामान्य निर्वाचनों पर रिपोर्ट

*१५०६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : इस रिपोर्ट को तय्यार करने तथा सरकार को प्रस्तुत करने का काम निर्वाचन आयोग का है। मुझे आयोग से पता लगा कि वह अंक जिसमें सांख्यिकी आंकड़े दिये हुए हैं, तैयार कर लिया गया है और छापने के लिये इसे शीघ्र ही प्रेस भेज दिया जायगा। ऐसी आशा की जाती है कि रिपोर्ट का वर्णात्मक भाग जो कि एक पृथक् अंक होगा, शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायगा, किन्तु आयोग यह बात निश्चयात्मक रूप से नहीं बता सकता कि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा।

श्री मुनिस्वामी । क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व कोई संक्षिप्त वृत्तान्त तय्यार किया गया है ?

श्री बिस्वास : रिपोर्ट अभी तक तय्यार नहीं हुई है और इस अवस्था पर इसके संक्षिप्त वृतान्त का प्रश्न नहीं उठता।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि रिपोर्ट में किन किन विषयों की चर्चा रहेगी।

श्री बिस्वास : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुहरायगे।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : इस रिपोर्ट में किन किन बातों पर विचार किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।

श्री बिस्वास : जब रिपोर्ट यहां आ जावेगी तब माननीय सदस्य स्वयं इन बातों को देख लेंगे।

असैनिक बालक प्रशिक्षण योजना

*१५०७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५४ में ई० एम० ई० में औद्योगिक व्यवसायों में मैट्रीकुलेटों को प्रशिक्षण देने के लिये असैनिक बालक प्रशिक्षण योजना के अधीन कोई नए विद्यार्थी दाखिल किए गए थे ; और

(ख) यह प्रशिक्षण किन किन व्यवसायों में दिया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इलैक्ट्रीशन

इञ्जीनियरिंग के सामान के मिस्त्री (मकैनिक)

फिटर

उपकरण मिस्त्री

मशीनिस्ट

दूरसंचार मिस्त्री (मकैनिक)

गाड़ी मिस्त्री (मकैनिक)

सरदार हुक्म सिंह : प्रशिक्षण के बाद क्या इन सब प्रशिक्षणार्थियों को कोर में खपाया जा सकेगा या उन्हें स्वयं काम ढूंढना पड़ेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : सब प्रशिक्षणार्थियों को नहीं खपाया जा सका क्योंकि रिक्तियां काफी नहीं थी। इसी लिए तो नए प्रशिक्षणार्थी भर्ती नहीं किए जा रहे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस योजना के अन्तर्गत और असैनिकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा या केवल इस श्रेणी का प्रशिक्षण समाप्त किया जाएगा ?

श्री सतीश चन्द्र : यदि रिक्तियां हुईं और यदि उन लोगों को जिन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है, खपा लिया गया, तो और लोगों को दाखिल किया जाएगा । वर्तमान स्थिति में तो हमारे लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों को खपाना भी कठिन है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सारा खर्च सरकार देती है या प्रशिक्षणार्थी भी इस का कुछ अंश देते हैं ।

श्री सतीश चन्द्र : अभी तक तो उन्हें सरकार के खर्च पर प्रशिक्षित किया गया है ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

*१५०८. **सेठ गोविंद दास :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ के अन्त में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कितने केडट (छात्र) थे और उन म कितने अनुसूचित जातियों के थे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : १ नवम्बर १९५३ को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून में १५१२ केडट प्रशिक्षण ले रहे थे। चूंकि हम केडटों से अपनी जाति बतलाने के लिए नहीं कहते, इस लिए प्रत्येक केडट से पूछे बिना अनुसूचित जातियों के केडटों की संख्या के बारे में जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

सेठ गोविंद दास : १९५३ में जितने छात्र वहां पर थे, क्या उनकी संख्या १९५२ से अधिक थी और क्या अब १९५३ के बाद और बढ़ रही है ?

श्री त्यागी : ठीक ठीक संख्याओं का ब्यौरा इस वक्त मेरे पास नही है । लेकिन मेरा ख्याल यह है कि संख्या पहले से बढ़ रही है ।

श्री बलायुधन : श्रीमान्, क्या यह प्रथा नहीं है कि जब प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं तो जाति नाम भी सम्मिलित किए जाते हैं और क्या सरकार यह नहीं पूछती कि अनुसूचित जातियां उन में सम्मिलित हैं या नहीं ?

श्री त्यागी: ऐसी प्रथा है । उन अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से, जो कि प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, कम फीस लेने के लिए उनकी जाति के बारे में पूछा जाता है किन्तु उन सबको जो आवेदन पत्र देते हैं ले नहीं लिया जाता । चुनाव गुणों के आधार पर किया जाता है और केवल उन्हीं को लिया जाता है जो चुने गए हों।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: इस बात के अतिरिक्त कि सरकार उम्मीदवारों की जाति नहीं जानना चाहती इस बात की व्यवस्था करने के लिए कि अनुसूचित जातियों के उन सब योग्य उम्मीदवारों को जो कि आवेदन पत्र देते हैं, दाखिल होने का अवसर दिया जाए, क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री त्यागी: मैं नहीं कह सकता कि लोक सेवा आयोग इस मामले में क्या कर सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग गुणों के आधार पर करता है ।

श्री धुलेकर: सिलेक्शन के वक्त तो यह नहीं देखा जाता कि यह शिड्यूल्ड कास्ट है या कोई और है, लेकिन मौजूदा हालात में क्या मिनिस्टर महोदय बतला सकते हैं कि कितने कैंडेट शिड्यूल्ड कास्ट के हैं ?

श्री त्यागी: मैंने अर्ज़ किया कि दफ़्तर के अन्दर इस किस्म का कोई रिकार्ड नहीं है। अगर मेम्बर साहब इसको जरूरी समझते हैं, तो उसकी इत्तला हासिल की जा सकती है ।

श्री एन० एल० जोशी: १९५३ के वर्ष में कितने उम्मीदवारों को दाखिल नहीं किया गया था ?

श्री त्यागी: मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री वेलायुधन: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महार और मराठा जैसे डिवीजन भी हैं, क्या सरकार अनुसूचित जातियों के मामले पर भी विचार करेगी और उन्हें इस अकादमी में दाखिल होने का अवसर देगी ?

श्री त्यागी: पदाधिकारियों के मामले में नहीं। अन्य सैनिकों के सम्बन्ध में जब भी प्रतियोगिता के आधार पर नहीं बल्कि भर्ती अधिकारियों द्वारा चुनाव आदि के आधार पर भर्ती की जाती है तो अनुसूचित जातियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे अनुसूचित जातियों की भर्ती को प्रोत्साहन दें ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या इस से मैं यह समझ लूं कि अभी तक अनुसूचित जातियों के कोई उम्मेदवार नहीं लिये गये ?

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

धार्मिक शिक्षा

*१५०९. **श्री एस० एन० दास:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसी धार्मिक संस्थाओं की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जो कि धर्मस्व या प्रन्यास के अन्तर्गत स्थापित की गई हों और जिन के बारे में यह शर्त हो कि ऐसी शिक्षा दी जायेगी और जिस का प्रशासन केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया हो; तथा

(ख) इन संस्थाओं में किस प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जाती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) कोई नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

फ़्रांसीसी वायुसेना मंत्री का आगमन

*१५१०. **श्री रघुरामय्या** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फ़्रांसीसी वायु सेना मंत्री का भारत में आने का क्या उद्देश्य था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत सरकार ने भारतीय वायु सेना के लिए और अधिक फ़्रांसीसी विमान खरीदने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए फ़्रांसीसी वायु सेना के मंत्री को आमंत्रित किया था।

श्री रघुरामय्या : क्या हमारी वायु सेना में कोई फ़्रांसीसी विमान है और क्या उन्हें अन्य प्रकार के विमानों की तुलना में संतोषजनक समझा गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम ने गत वर्ष कुछ विमान खरीदे थे और उन्हें बहुत संतोषजनक समझा जाता है।

श्री जयपाल सिंह : जहां तक हमारा सम्बन्ध है क्या यह मिशन सफल रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या नई खरीदी के बारे में ?

श्री जय पाल सिंह : फ़्रांसीसी वायुसेना मंत्री का आना। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, क्या उनका आगमन सफल रहा है ?

श्री जवाहर लाल नेहरु : अभी तक यह मामला अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है। किन्तु अभी तक यह सफल ही रहा है।

श्री के० जी० देशमुख : क्या हमारी वायुसेना में कोई फ़्रांसीसी राष्ट्रजन है और यदि ऐसा है, तो उन की संख्या कितनी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : न तो मैंने कोई देखा है और न किसी के बारे में सुना है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या फ़्रांसीसी सैनिक विमान हिंद चीन में बम बरसाने के लिए भारत से गुजरते हैं और क्या फ़्रांसीसी वायु सेना मंत्री ने विमानों के भारत में से हो कर जाने की अनुमति मांगी थी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं।

अनुसूचित आदिमजातियों के लिये सहायतानुदान

*१५११. **श्री कथम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए वर्ष १९५४–५५ के लिए कितनी राशि मांगी है और कितनी राशि मंजूर कर ली गई है?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पश्चिमी बंगाल सरकार ने अभी तक कोई राशि नहीं मांगी है। फिर भी उस सरकार को १२·५० लाख रुपये की एक राशि अस्थायी रुप से आवंटित की गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : किस प्रक्रिया द्वारा यह राशि खर्च की जायगी ?

श्री दातार : प्रक्रिया यह है कि हम राज्य सरकारों से विभिन्न मदों के अधीन योजनाएं भेजने के लिए कहते हैं। इन योजनाओं की जांच की जाती है और उन्हें स्वीकृत कर लिया जाता है।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए जितनी राशि का उपबंन्ध किया गया था, क्या उन्होंने वह पूरी राशि ले ली थी?

श्री दातार : जी हां, ले ली है।

श्री बर्मन : क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केवल अगामी वर्ष १९५४-५५

के लिए ही कोई राशि नहीं मांगी है या ऐसा है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अब तक कोई राशि नहीं मांगी है?

श्री दातार : यह प्रश्न केवल १९५४-५५ के बारे में है। जनवरी में हमने एक सर्कुलर जारी किया था और उससे यह सूचना फरवरी की समाप्ति से पहले देने के लिए कहा था, किन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। जब यह मिल जायेगा तो, इस मामले पर विचार किया जायेगा।

सामाजिक शिक्षा

*१५१२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा मंत्री** केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में अलग अलग नियत की गई अनुदान राशि तथा १९५३-५४ में वास्तव में उपयोग की गई राशि बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

ठाकुर युगल किशोर सिंह : अनुदान की सूची देखने से पता चलता है कि किसी राज्य को अधिक और किसी राज्य को कम अनुदान मिला है। क्या मैं इसका आधार जान सकता हूं?

डा० एम० एम० दास : नियतन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के अनुसार किया गया था।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली राज्य के कितने विद्यार्थियों को यह दी गई है?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विद्यार्थियों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० एम० एम० दास : कुछ राज्यों ने इन अनुदानों के लिये न तो आवेदनपत्र ही समय पर भेजे और न योजनाएं ही समय पर प्रस्तुत की। मुझे भय है कि दिल्ली भी उनमें से एक है।

श्री एन० एम० लिंगम : राज्य सरकारों को स्वीकृत किये गए अनुदानों के अतिरिक्त, क्या केन्द्र ने सामाजिक शिक्षा की उन्नति के लिये सीधे कोई योजना स्वीकृत की है? और यदि ऐसा है तो वह योजना कौन सी है?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : इस स्कीम का ताल्लुक तो स्टेट गवर्नमेंटों से है। डाईरेक्ट इस सिलसिले में मदद नहीं दी जाती।

जेल सुधार

*१५१३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे :

(क) क्या डा० रेकलेस द्वारा टाटा इन्सटीट्यूट आव सोशल साइन्सेज़, बम्बई में जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण शिक्षाक्रम में दिये गये भाषणों को उन्हों ने एकत्रित कर लिया है और सरकार को दे दिये हैं; तथा

(ख) क्या डा० रेकलेस ने उस मांग किये गये गुटके को समाप्त कर लिया है जिस में जेल अधिकारियों के उपयोग के लिये सुधार सम्बन्धी प्रशासन व्यवस्था की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). हां, डा० रेकलेस ने "हैण्ड-बुक आव प्रेक्टिकल सजेशन्स फार दी ट्रीटमेन्ट आव एडल्ट ऐण्ड जुविनाइल

आफेन्डर्स" नामक एक जिल्द में दो जिल्दों को सम्मिलित कर दिया है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन सभी सिफारिशों को सरकारी व्यय पर छपवाने का विचार है ?

श्री दातार : संयुक्त राष्ट्र संघ इस पुस्तक को छपवाने जा रहा है और वही हमें भी कुछ प्रतियां दे देगा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या "रेकलेस" की सिफारिशों को स्वीकार करने में कोई सावधानी बरतनी होगी ?

श्री दातार : राज्य सरकारों द्वारा उन पर उचित रुप से विचार किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी प्रकार का श्लेश नहीं होना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को विदित है कि डा० पी० के० सेन को, जो विधान सभा के सदस्य थे, भारतीय दण्ड शास्त्र तथा अपराधियों को दण्ड में डाक्टरेट मिली थी और उन्होंने पेनोलोजी ओल्ड एण्ड न्यू 'तथा सम पनिशमेण्ट टु प्रिजनर्स नामक दो पुस्तकें भी लिखी हैं ? क्या डा० रकलेस को बुलाने से पूर्व इन दोनों पुस्तकों पर विचार किया गया था ?

श्री दातार : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि डा० रेकलेस को यहां बुलाने से पूर्व ये दोनों पुस्तकें सरकार के सन्मुख थीं अथवा नहीं। फिर भी इन पुस्तकों पर विचार किया जायगा।

भारतीय सांख्यि की संस्था

*१५१४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था को धन्धा प्रशिक्षण तथा गवेंषणा कार्य के लिये प्रमुख केन्द्र के रुप में विकास करने की कोई योजना बनाई गई है अथवा सरकार के विचारा धीन है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो वह योजना किस अवस्था पर है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). सरकार ने सिद्वान्तत : यह तय किया है कि भारतीय संख्यिकी संस्था का विकास सांख्यिकी में धन्धा प्रशिक्षण तथा गवेषणा कार्य में एक उच्च शिल्पिक संस्था की भांति ही उसी आधार पर किया जाय। वह प्रकार विशेष जिसमें संस्था का विकास किया जायगा तथा आगामी व्यवस्था की रुप-रेखा की अभी परीक्षा की जा रही है।

श्री एस० एन० दास : क्या आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का कोई अनुमान लगाया गया है, और यदि ऐसा है, तो यह राशि कितनी है ?

श्री ए० सी० गुहा : १९५३-५४ में यह राशि २८,१२,००० रुपया थी और १९५४-५५ का आय व्ययक अनुमान ३०,७१,००० रुपया है।

श्री एस० एन० दास : इस संस्था में कितने प्रशिक्षार्थिथों को प्रशिक्षा देने की गुंजाइश है और यह योजना लागू कब से होगी ?

श्री ए० सी० गुहा : वहां एक अर्न्तराष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केन्द्र तथा एक गवेषणा प्रशिक्षास्कूल भा है। इस प्रकार वहां दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं। यदि माननीय सदस्य इन दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के विषय में जानने के इच्छुक हैं, तो मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा।

डा० सुरेश चन्द्र: क्या सरकार को इस संस्था द्वारा निर्धारित सांख्यिकी में शिक्षा देने के ढंग के विरोध का पता है, और यदि ऐसा है, तो सरकार इसको प्रोत्साहित क्यों कर रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : लगभग प्रत्येक विषय में मत विभिन्नता हो सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार के लिये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और वह किसी भी ढंग को लेकर आगे बढ़ सकती है।

डा० सुरेश चन्द्र : यह मत विभिन्नता का प्रश्न नहीं है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की भी विरोधी सम्मतियां हैं। अतः जब प्रोफेसर महालनोविस के ढंग का इतना विरोध हो रहा है तो सरकार यह सहायता क्यों दे रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : चूंकि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह ढंग बहुत अच्छा है, और वास्तव में न केवल सरकार ने ही वरन्, सम्पूर्ण संसार ने सामान्यतः इसको बहुत अच्छा कहा है।

श्री जयपाल सिंह : क्या इस ढंग के समर्थकों तथा विरोधियों के कोई आंकड़े एकत्रित किये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह न तो बहुमत की सम्मति पर निर्भर करता है और न इस बात पर कि लाखों व्यक्ति इसके पक्ष में हैं अथवा विरोध में।

निवारक निरोध अधिनियम

***१५१५. सेठ गोविन्द दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने, नज़रबन्दों को भेंट कीसुविधाथें दी जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन्हें भेजी गई गश्ती चिट्ठी पर कोई कार्यवाही की है,

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को भेंट की सुविधायें दी जाती हैं ;

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में; तथा

(ङ) किन किन राज्यों में ऐसी सुविधायें नहीं दी जातीं और उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ङ): कुर्ग तथा अण्डमन को छोड़कर जहां निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अभी तक कोई अवसर नहीं पड़ा है, अन्य सभी राज्यों के नजरबन्दों के नियमों में उन व्यक्तियों को जिनको उस अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है, अपने अभ्यावेदन का मसविदा तैयार कराने के उद्देश्य से वकील अथवा अन्य अपने पसन्द के व्यक्ति से मिलने की अनुमति देने की व्यवस्था कर दी गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खेती करने के आधुनिक ढंगों में प्रशिक्षण

***१४९४. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सैन्य कर्मचारियों को खेती करने के आधुनिक ढंगों में गहन प्रशिक्षण देने के लिये कुछ प्रबन्ध किये गये हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो वे ढंग कौन से हैं ?

रक्षा-संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) यद्यपि कोई अलग प्रबन्ध नहीं किया गया है, रुचि रखने वाले सैन्य-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य यूनिटों को सौंप दिया गया है।

(ख) उन परीक्षात्मक भू-खण्डों के अतिरिक्त, जो सेना के फार्मों में सैन्य-कर्मचारियों को सेवा काल में खेती के आधुनिक ढंगों में प्रशिक्षण देने के लिये स्थापित किये गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर कृषि विभाग के विशेषज्ञों की सम्मति भी ली जाती है।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड

३०७. श्री वी० पी० नायर : क्या **रक्षा** मंत्री हिन्दुस्तान एअर क्रैफ्ट लिमिटेड, बंगलौर के सरकार क नियंत्रण में आने के समय से अब तक की इसके उपयोग के लिये विदेशों से आयात किये गये स्टोरों की वार्षिक औसत लागत तथा अन्य वस्तुओं की लागत बताने की कृपा करेंगे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०**]

समाज हितकारी संगठन

३०८. श्री एन० राचय्या : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन समाज हितकारी संगठनों के नाम जिन को मैसूर राज्य में केन्द्रीय समाज हितकारी बोर्ड द्वारा १८ फरवरी १९५४ तक वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है; तथा

(ख) ऐसे प्रत्येक संगठन को यह सहायता कहां तक दी गई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१**]

प्रादेशिक सेना

३०९. सरदार हुक्म सिंह : (क) क्या **रक्षा** मंत्री प्रादेशिक सेना के उन एककों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो इस समय तक अपना मूल प्रशिक्षण समाप्त कर चुके हैं ?

(ख) क्या १९५३-५४ में भी प्रादेशिक सेना के किन्हीं एककों को सामूहिक प्रशिक्षण के हेतु ब्रिगेडों का रूप दिया गया था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) प्रादेशिक सेना के ९० प्रतिशत से अधिक एकक अपना मूल प्रशिक्षण समाप्त कर चुके हैं।

(ख) जी नहीं।

समाज कल्याण संस्था

३१०. श्री एस० एन० दास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोड की ओर से अब तक बिहार राज्य की विभिन्न संस्थाओं को कुल कितनी सहायता दी गई है और ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या ऐसी किन्हीं संस्थाओं के आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गए थे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने बिहार राज्य में १५ संस्थाओं को कुल ५१,५०० रुपये के अनुदान दिए हैं।

(ख) जी नहीं।

पकड़ा गया सोना

३११. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२ तथा १९५३ में क्रमशः पत्तनों पर पकड़े गए सोने की मात्रा तथा मूल्य; तथा

(ख) क्या सोना पकड़ने वाले अधिकारियों को कोई पारितोषिक दिए गए ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

सीमाशुल्क अधिकारियों का निलम्बन

३१२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२ तथा १९५३ में निलम्बित किए गए सीमाशुल्क अधिकारियों की संख्या;

(ख) किस प्रकार के अपराधों के लिए उन्हें निलम्बित किया गया है ;

(ग) उक्त कालावधि में जिन अधिकारियों को गिरफ्तार कर के उन पर मुकदमा चलाया गया उनकी संख्या; तथा

(घ) पुनः स्थापित अधिकारियों की संख्या ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :

(क)

१९५१	१९५२	१९५३
२९	२८	२८

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ग) गिरफ्तार किए गए—१५; ७; १४

जिन पर मुकदमा चलाया गया— १५; ७; १५

(घ) १७; २५; १७ ।

अंक ३

संख्या ३६

बृहस्पतिवार,
१ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

पांडीचेरी में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर फ्रांसीसी पुलिस दल का रखा जाना [पृष्ठ भाग २५९१—२५९२]

गोरखपुर के समीप रेल-दुर्घटना [पृष्ठ भाग २५९२—२५९४]

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय [पृष्ठ भाग २५९४—२६७६]

मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय समेत) [पृष्ठ भाग २५९४—२६७६]

मांग संख्या ७—ऋतुविज्ञान [पृष्ठ भाग २५९४—२६७६]

मांग संख्या ८—समुद्रपार संचार सेवा [पृष्ठ भाग २५९५—२६७६]

मांग संख्या ९—उड्डयन [पृष्ठ भाग २५९५—२६७६]

मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २५९५—२६७६]

मांग संख्या १११—भारतीय डाक तथा तार विभाग का पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) [पृष्ठ भाग २५९५—२६७६]

मांग संख्या ११२—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २५९५—२६७६]

मांग संख्या ११३—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २५९५—२६७६]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

64 PSD

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १ अप्रैल १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

२-५५ म० प०

पांडीचेरी में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर फ्रांसीसी पुलिस दल का रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री रघुरामय्या की ओर से सूचना मिली है जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रधान मंत्री लोक महत्व के इन विषयों की ओर ध्यान दें और उन पर अपना वक्तव्य दें :

> "पांडीचेरी में भारतीय वाणिज्य दूतावास के दरवाज़े पर फ्रांसीसी भारतीय पुलिस दल का रखा जाना और दूतावास में प्रवेश करने वाले लोगों से इस दल द्वारा अभिप्रश्न करना, भारत में फ्रांसीसी सरकार की दमन नीति, ज़िला नेटापक्कम में स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले दल द्वारा दो गांवों पर अधिकार जमाना और उन गांवों में भारत संघ का तिरंगा झंडा लहराया जाना ।"

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, यदि आप चाहते हैं तो मैं इस समय एक तथ्यों की पुष्टि कर सकता हूं और यदि सभा की ऐसी इच्छा है तो मैं एक दो दिन में पूरा वक्तव्य दे सकता हूं ।

हमें सूचना मिली है कि यह सच है कि फ्रांसीसी पुलिस के कुछ सिपाही पांडीचेरी में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाह रखे गये हैं और वे उन लोगों से अभिप्रश्न करते हैं जो दूतावास में आते जाते हैं और उन के बारे में सब बातें लिख लेते हैं । यह भी सच है कि ज़िला नेटापक्कम के कुछ गांवों में भारत में संविलयन के पक्षपाती लोगों का अधिकार है और हमारी जानकारी के अनुसार यह भी सच है कि फ्रांसीसी अधिकारी बहुत अधिक दमन का व्यवहार कर रहे हैं ।

गोरखपुर के समीप रेल दुर्घटना

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक और सूचना श्री कासलीवाल की ओर से मिली है जिसमें उन्होंने प्रार्थना की है कि रेल मंत्री लोक महत्व के इस विषय पर वक्तव्य दें :

> "३१ मार्च की रात को लखनऊ और गोरखपुर के बीच पूर्वोत्तर रेलवे पर हुई भीषण रेल दुर्घटना । सूचना मिली है कि कुछ पुलिस सिपाही एक सवारी डिब्बे में डायनमाइट की छड़ियां ले जा रहे थे जो फट गईं और इससे बहुत लोग हताहत हुए—लगभग ३७ लोग मारे गए और ५० ज़ख्मीहुए ।"

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मुझे शोक सभा को यह सूचना देनी है कि कल रात (३१ मार्च १९५४) को ८.३३ बजे ३१३-अप कटिहार-कानपुर सवारी गाड़ी में जगतबेला स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई, जब कि ३२० नम्बर के तीसरे दर्जे के डिब्बे में जो इंजन से चौथा डिब्बा था एक विस्फोट हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर गोंडा विभाग में जगतबेला, गोरखपुर से तीसरा स्टेशन है। यह डिब्बा बिल्कुल टूट गया और साथ के तीसरे दर्जे के दो डिब्बों को भी कुछ क्षति पहुंची। इस डिब्बे में साधारण यात्रियों सहित कुछ असैनिक पुलिस के सिपाही, जिनके पास विस्फोटक था, यात्रा कर रहे थे। विस्फोट के कारण २८ व्यक्ति मारे गये जिन में पांच पुलिस के सिपाही हैं और ३५ ज़ख्मी हुए जिन में से १६ की हालत खतरनाक थी। इन १६ में से ३ हस्पताल के रास्ते में मर गये। एक विशेष एम्बूलेंस साढ़े नौ बजे गोरखपुर से दुर्घटना के स्थान के लिये गई और ज़िला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक उसके बाद ही एक मोटर ट्राली में गए। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी इसी गाड़ी में यात्रा कर रहा था जिस की दुर्घटना हुई और उसने ज़ख्मियों का प्रथमोपचार किया। असैनिक चिकित्सालय में २४ आहत व्यक्तियों को प्रविष्ट किया गया जिन में से ७ की हालत खतरनाक है, ८ रेलवे चिकित्सालय में रखें गये जिन में से ६ की हालत खतरनाक है। रेलवे चिकित्सालय में एक आहत के सम्बन्ध में सूचना मिली है कि उसकी हालत बहुत ही खतरनाक है। ज़िला मजिस्ट्रेट और पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप-महाप्रबन्धक ने आज प्रातः एक बजे इस ज़ख्मी को देखा। मृतकों में से अभी तक केवल पांच पुलिस के सिपाहियों और सात यात्रियों को पहचाना जा सका है। गाड़ियों के आने जाने में बाधा नहीं पहुंची।

---

३ म. प.

अनुदानो की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब संचार मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग संख्या ५, ६, ७, ८, ९, १०, १११, ११२ और ११३ पर चर्चा आरम्भ होगी।

दलों के नेता १५ मिनट में अपने चुने हुए कटौती प्रस्ताव सचिव को दे दें। यदि उन कटौती प्रस्तावों से सम्बन्धित सदस्य उपस्थित हुए और यह प्रस्ताव नियमानुसार हों तो मैं उन्हें प्रस्तुत किया गया समझूंगा। भाषणों के लिये नित्य प्रति का समय रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय ने वर्ष १९५४ के लिये ये *मांगें प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष		राशि
			रुपये
५	संचार मंत्रालय		१०,४३,०००
६	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन समेत)	व्यय	४२,६४,२६,०००
७	ऋतु विज्ञान		१,०५,०१,०००

*राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
८	समुद्रपार संचार सेवा	८६,३७,०००
९	उड्डयन	२,३२,०४,०००
१०	संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२३,२३,०००
१११	भारतीय डाक तथा तार विभाग का पूंजी व्यय (राजस्व से न देय)	१४,९७,५९,०००
११२	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	३,११,६७,०००
११३	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	६,७७,९६,०००

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कटौती प्रस्तावों की संख्यायें मिली हैं। माननीय सदस्य उन्हें औपचारिक रूप में प्रस्तुत करें।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
५	श्री टी० बी० विट्ठल-राव (खम्मम)	बेकार विमान चालकों की संख्या में वृद्धि	१००
५	श्री टी० बी० विट्ठल राव	मास्टर समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब	१००
५	श्री एन० श्रीकांतन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा)	ग्राम डाक घर के लिये 'पकौथी' की नहीं वरन् 'कारा' की मान्यता	१००
५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट)	विमान समवायों के संविलयन में सरकार की असफलता	१००
५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	राष्ट्रीयकरण में प्रतिविरोधी व्यापारिक हितों की बाधा रोकने में सरकार की असफलता	१००
५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में हुई हानि के कारणों की संसदीय आयोग द्वारा जांच	१००
५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	एयर इंडिया इंटरनेशनल की कार्मिक संघ की अवहेलना करने की नीति	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	श्रमिकों के लिये एक समान वेतन क्रम और सेवा शर्तें	रुपये १००
६	श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़)	साधारण नागरिकों को डाक विभाग का जीवन बीमा न करने देना	१००
६	श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी)	एक हज़ार अथवा अधिक की जन संख्या वाले सब गांवों में डाक घर सम्बन्धी सुविधाओं का उपबन्ध करना	१००
६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देहातों में चलते डाकघर आरम्भ करना	१००
६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हैदराबाद राज्य के डाक विभाग के कर्मचारियों के वेतन क्रम में वृद्धि	१००
६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हैदराबाद राज्य में सब तालुका मुख्यालयों में तार घर खोलना	१००
६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हैदराबाद राज्य में सब तालुकों और बड़े व्यापार केन्द्रों में टेलीफ़ोन कार्यालयों का उपबन्ध करना	१००
६	श्री टी० बी० विट्ठल राव	डाक घरों के उप-निरीक्षकों की नई पदाली बनाना	१००
६	श्री टी० बी० विट्ठल राव	डाक तथा तार के महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत रूप में विभागों के संघों का समस्तर करना	१००
६	श्री टी० वी० विट्ठल राव	डाक घरों में अपर्याप्त स्थान	१००
६	श्री टी० वी० विट्ठल राव	डाक विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का अभाव	१००
६	श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर)	त्रावनकोर-कोचीन राज्य के भूतपूर्व रियासती कर्मचारियों के प्रति भेदभावजनक तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार	१००
६	श्री टी० वी० विट्ठल राव	भूतपूर्व रियासती कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निश्चित वेतन क्रमों के अनुसार वेतन देना	१००
६	श्री बूबराघसामी (पेराम्बलूर)	टेलीफ़ोन सम्बन्धों का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६	श्री टी० बी० विट्ठल राव	विभाग की राजकोषीय नीति	रुपये १००
६	श्री टी० बी० विट्ठल राव	विभाग के अतिरिक्त धन का उचित रूप से आवंटन करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करना	१००
६	श्री राम चन्द्र रेड्डी (नल्लोर)	नल्लोर ज़िले के कोरा और श्री हरिकोरा में डाक तथा तार की सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता	१००
६	श्री राम चन्द्र रेड्डी	नल्लोर व कोरूर के कार्यालयों में डाक तथा तार पदाधिकारियों के मकानों के किराये और अन्य भत्तों में वृद्धि की आवश्यकता	१००
६	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	केन्द्रीय सेवाओं में संविलीन किये गये त्रावनकोर-कोचीन राज्य के भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों के प्रति व्यवहार	१००
७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	ऋतु सम्बन्धी सूचनाओं का प्रादेशिक भाषाओं इत्यादि में प्रकाशन	१००
९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	विमान निगम का कार्य-संचालन, विशेषकर दुर्घटनाओं की रोक थाम में असफलता	१००
९	डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर)	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने में असफलता	१००
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी संघ को मान्यता न देना	१००
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये निःशुल्क चिकित्सा उपचार न किया जाना	१००
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के श्रेणी ४ के कर्मचारियों को रहने के अच्छे क्वार्टर देने में असफलता	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधा	कटौती राशि
			रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के श्रेणी ४ के कर्मचारियों को भविष्य निधि में अंशदान देने की अनुमति न देना	१००
१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा	१००
२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग में मज़दूरी व्यवस्था और रहन सहन तथा सेवा सम्बन्धी स्थिति की जांच के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना	१००

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये सब कटौती प्रस्तावों और मांगों पर चर्चा आरम्भ की जाये ।

श्री ए० राम टामस (ऐरणाकुलम्) : स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात् से संचार मंत्रालय ने जो प्रगति की है हम उसकी प्रशंसा करते हैं। १९५३ के पहले वाले पांच वर्षों में ३५,००० नये डाकघर खोले गये हैं तथा वह योजना भी पूरी होने वाली है जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसे गांव में जिसकी जन संख्या २००० या उससे अधिक है एक डाकघर खोल दिया जायेगा। १९५६ तक २५,००० नये डाक घर खोलने का विचार है। इसके अलावा भारत में १९५३ के अन्त तक ८६२० संयुक्त डाक और तारघर खोले जा चुके हैं। प्रत्येक जिले और सब-डिवीजन के सदर मुकाम में तार की सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया गया है। २,१८,००० टेलीफोन कनेक्शनों तथा २,२५८ सार्वजनिक काल आफिसों (टेलीफोन करने के कार्यालयों) की भी व्यवस्था कर दी गई। यद्यपि हमारे देश को देखते हुए यह कम है फिर भी इस दिशा में और आगे प्रयत्न किया जा रहा है। इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि संचार मंत्रालय का कार्य बहुत ही अच्छा रहा है ।

लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। दफ्तरों में कर्मचारियों के बैठने और काम करने के लिये स्थान की कमी है। लगभग ५,००० इमारतों को किराये पर ले रखा गया है। हमें अपनी और इमारतें बनानी चाहिये। कर्मचारियों को भी सुविधायें देने का सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है। उनके लिये क्वार्टर बनाये जाने चाहियें। कर्मचारियों के कल्याण का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये ।

मंत्रालय की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि १९४९ से प्रादेशिक डाक और तार सलाहकार कमेटियां काम कर रही हैं। क्योंकि मैं स्वयं एक ऐसी कमेटी का सदस्य हूं इसलिये अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह कमेटियां वास्तव में उपयोगी काम कर रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं अपने राज्य अर्थात् त्रावणकोर-कोचीन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। दोनों राज्यों के मिलाये जाने से पूर्व त्रावणकोर में 'फोनोकोम' अर्थात् टेलीफोन द्वारा समाचार भेजने की सुविधा

उपलब्ध थी। त्रावणकोर में तो यह सुविधा अब भी उपलब्ध है लेकिन कोचीन में यह व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। यद्यपि इस बारे में अनेक बार सलाहकार कमेटियों ने जोर दिया है पर ऊंचे स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होती। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

छोटे छोटे डाकघर बनाने के लिये योजनायें बना दी गई हैं। लेकिन उन के निर्माण-कार्य में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग देर कर रहा है। महनचैरी में तारघर और टेलीफोन इक्सचेंज के लिये इमारत बनवाने के वास्ते दो वर्ष पूर्व मंजूरी दी जा चुकी है। किन्तु काम अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। इस प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये तथा मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यवाहियों पर कड़ी निगाह रखी जाय।

जहां तक प्रत्येक गांव में जिसकी जनसंख्या २००० या उससे अधिक है, डाकघर खोलने का सम्बन्ध है इससे त्रावणकोर-कोचीन राज्य का भला नहीं हो सकता है क्योंकि वहां की जनसंख्या एकसी है, अलग अलग गांव से नहीं बने हैं। पूरा राज्य ही एक बड़ा शहर है। अतः इस सम्बन्ध में दूसरी नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले वर्ष जो वर्ग पद्धति चलाई गई है उससे हमें अवश्य लाभ हो सकता है।

हमारे देश में डाक तार की दरें बहुत ऊंची हैं। विश्व के अन्य देशों में इतनी अधिक दरें नहीं हैं। पार्सल और पुस्तक पार्सलों के भेजने की दरों में गत वर्ष जो वृद्धि की गई थी उनमें कोई कमी नहीं की गई है। उन्हें घटाया जाना चाहिये था। दरें ऊंची रहने पर भी हमारे डाक तथा तार कर्मचारियों को सबसे कम वेतन मिलता है। मैं नहीं समझ पाता कि पर्याप्त आमदनी होने पर भी उन्हें अच्छा वेतन क्यों नहीं दिया जाता। इससे पता लगता है कि डाक तथा तार विभाग में खर्चे का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि हमें नये नये उपकरणों का प्रयोग करना चाहिये तथा इस विभाग के काम में वैज्ञानिकन आरम्भ कर देना चाहिये। क्योंकि हम इस विभाग का विकास कर रहे हैं किसी के बेकार होने का कोई डर नहीं है।

श्री सी० आर० मुदलियर (कुम्बकोणम्) : संचार मंत्रालय जन सख्या एवं दूरी के आधार पर डाक घर खोल रहा ह। मेरे विचार में इससे अनेक डाकघर खुल जायेंगे। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लगभग १८,००० डाकघर खोले गये हैं जो कि लगभग उतने ही हैं जितने अंग्रेजों ने अपने १५० वर्ष के शासन काल में खोले थे। इससे पता लगता है कि मंत्रालय कितनी तत्परता से काम कर रहा है। टेलीफोन और तार का काम भी अब अधिक कुशलतापूर्वक होने लगा है। मैं चाहता हूं कि बिना किसी बात का विचार किये हुए कि अमुक डाकघर से लाभ होता है या नहीं प्रत्येक उस गांव में डाकघर खोल दिये जायें जहां जनसंख्या २००० या उससे अधिक हो।

हमारे देश में डाक की दरें बहुत ऊंची हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें कम किया जाये क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है। मेरे विचार में पोस्टकार्ड की कीमत ३ पैसे से घटा कर २ पैसे कर दी जानी चाहिये। इससे जो घाटा हो उसे अन्य प्रकार से पूरा किया जाये।

कहा जाता है कि डाक तथा तार विभाग को हानि उठानी पड़ रही है। मेरे विचार में विभाग के खर्चे की निगरानी की जानी चाहिये बड़ी बड़ी इमारतों का बनाना बन्द कर दिया जाना चाहिये। इधर कुछ वर्षों से जयन्तियों,

[श्री सी० आर० मुदलियर]

शताब्दियों तथा प्रदर्शनियों का ज़ोर बढ़ रहा है। उन पर लाखों रुपया व्यय किये जा रहे हैं मेरे विचार में यह सब कम किया जाना चाहिये। सभी मंत्रालय हिन्दी पर काफी धन खर्च कर रहे हैं। संचार मंत्रालय ने मनीआर्डर आदि हिन्दी में छपवा कर उन क्षेत्रों में भेज दिये हैं जहां उन्हें कोई पढ़ नहीं सकता है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में इतनी शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये तथा हिन्दी का काम तब तक तेज़ी से न किया जाय जब तक दक्षिण भारत में रहने वाले भी इस भाषा से भली भांति परिचित न हो जायें।

असैनिक उड्डयन का हाल ही में राष्ट्रीयकरण किया गया है। किन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात् स्थिति सुधरने की बजाये बिगड़ती जा रही है। यात्रियों का विश्वास घटता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि मंत्रालय पुराने डकोटा हवाई जहाजों के स्थान पर नये ढंग के हवाई जहाज़ खरीदे। लोगों में वायुसेवा के प्रति विश्वास उत्पन्न कराने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। वायुसेवा हर ज़िले के सदर मुकाम तक पहुंच जानी चाहिये। जो हवाई अड्डे उपलब्ध हैं उनकी ठीक से देख भाल होनी चाहिये। तंजोर में एक हवाई अड्डा है पर उसकी देखभाल नहीं की जा रही है। यदि वहां पर भी वायु सेवा का प्रबन्ध हो जाये तो मेरे विचार में परिणाम उत्साहजनक ही होगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम): आरम्भ ही में मैं यह कह देना चाहता हूं डाक तथा तार विभाग के २,५०,००० कर्मचारी अपना काम बहुत कुशलतापूर्वक कर रहे हैं यद्यपि उन्हें बहुत सी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान विशेषकर आकर्षित करना चाहता हूं।

डाक तथा तार विभाग की राजकोषीय नीति ज़रा भी युक्तिपूर्ण नहीं है। यदि कोई डाक तथा तार विभाग की आर्थिक नीति को समझने की कोशिश करे तो वह परेशान हो जायेगा। हम यह नहीं जानते कि एक संयुक्त डाक तथा तार घर चलाने पर कितना खर्च आता है। इसका पता लगाना कठिन है। जब कि एक मील लम्बे तांबे के तार की देखभाल पर ४० रुपया और लोहे के तार पर ३१ रुपये व्यय होते हैं तो विभाग रेलवे से १९ रुपया ही क्यों लेता है? लागत का लेखा भी ठीक से नहीं रखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अन्य बहुत सी बातों के लिये रुपया नहीं रहता या कम रहता है। उदाहरण के लिये, २,५०,००० कर्मचारियों को सुविधायें देने के लिये केवल ३,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

राजस्व रक्षित निधि में पहले विभाग की ओर से १ करोड़ रुपये दिये जाते थे लेकिन अब इसे बढ़ा कर १ करोड़ २५ लाख रुपये कर दिया गया है। इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया है। मेरा निवेदन है कि जब रेलवे किसी निर्धारित दर से लागत पूंजी पर ब्याज दे सकती है तो डाक तथा तार विभाग ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। जो रुपया बचे उसे वह अन्य विकास कार्यों में लगा सकता है जैसा कि रेलवे करती है।

जब हम एक कल्याण राज्य में इसे एक जनोपयोगी सेवा कहते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ब्याज देने के बाद अतिरेक का ५० प्रतिशत भाग सामान्य रक्षित निधि में क्यों दे दिया जाता है और केवल ५० प्रतिशत ही विभाग के लिये क्यों रखा जाता है। आज डाक विभाग के हिसाब में कोई १६ करोड़ रुपया है परन्तु उसका क्या हो रहा है? जब हम कोई इमारत आदि बनाना चाहते हैं, तो हम सारा १६ करोड़ रुपया नहीं ले सकते।

हमें केवल २ या ३ करोड़ रुपया ही मिलता है परन्तु एक वर्ष के दौरान में इतना थोड़ा रुपया भी खर्च नहीं किया जाता यद्यपि हमें इमारतों आदि की बहुत ज्यादा ज़रूरत है ।

फिर, मकानों के बारे में हालत बहुत खराब है । रेलवे विभाग से डाक विभाग के लिये मकान बनवाने की आशा नहीं करनी चाहिये । वह स्वयं अपने यहां के कर्मचारियों के लिये नहीं बनवा पा रहा है । हैदराबाद को ही लीजिये । वहां ३२०० कर्मचारी हैं । मैं ने यहां एक प्रश्न में पूछा था कि उनके लिये कितने क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं । मुझे उत्तर मिला कि तीन बनवाये जा रहे हैं जिनमें से एक बन चुका है और दो बनने शुरू होंगे । तो यह हालत है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जैसा रेलवे में किया गया है, वैसे ही डाक व तार विभाग की वित्त-व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के लिये भी वह संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करे ताकि हमें सारी स्थिति के बारे में ठीक ठीक पता लगे ।

आज डाक व तार विभाग में टेलीफोन से ही कुछ लाभ हो रहा है, वरना तार विभाग तो नुकसान पर ही चल रहा है । अब लोहे के तारों को बदल कर उनकी जगह तांबे की तारें रखी जा रहा है । हमारे यहां तांबे की बहुत कमी है और इसके लिये हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा । हमें तार उद्योग के विकास के सम्बन्ध में इन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिये । जब लोहे के तारों से काम ठीक चल सकता है तो फिर विदेशों का मुंह क्यों ताका जाय ? इसी तरह हमें टेलीप्रिंटर के पुर्जों के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है । मैं जानना चाहता हूं कि इन पुर्जों को अपने देश में ही बनाने के लिये क्या किया जा रहा है ।

डाक व तार विभाग ने रेलवे तथा अन्य विभागों को जो टेलीग्राफ के तार किराये पर दे रखे हैं उनकी दरें वही चली आ रही हैं जो १९३९ में निश्चित की गई थीं, यद्यपि उन का खर्चा बढ़ गया है । डाक विभाग को चाहिये कि वह अब इन दरों में आवश्यक परिवर्तन करें ।

मैं माननीय संचार मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि वह डाक कर्मचारियों की हालत पर और ज्यादा ध्यान से विचार करें । यह सच है कि उन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिलता है परन्तु एक रेलवे क्लर्क को भी जो, ३६ घंटे काम करता है वही वेतन मिलता है जो ४८ घंटे काम करने वाले क्लर्क या पोस्ट मास्टर को मिलता है । इस कारण डाक कर्मचारियों में काफी असन्तोष है । जब कभी सरकार से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा जाता है तो हमेशा वही एक उत्तर मिलता है कि कर्मचारियों को तो बढ़ा देंगे परन्तु कार्यालयों में स्थान काफी नहीं है । यह जानते हुए भी कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है । डाक विभाग अपने लिये कोई इमारत नहीं बनवा पाया है । अभी मैं ने दिल्ली का आर० एम० एस० कार्यालय देखा, वहां इतनी घिचपिच है कि बड़े बड़े कीमती पार्सल वगैरह यों ही पड़े रहते हैं जिससे उनके खो जाने का काफी डर रहता है । सरकार को चाहिये कि वह इस ओर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दे और इमारतों का जल्दी ही प्रबन्ध करे ।

एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती वह यह है कि हमारे पत्रों की गुप्तचर विभाग के लोगों द्वारा क्यों जांच की जाती है । सिगारेनी खानों में मेरे सारे पत्रों को खोल दिया जाता है और उनकी जांच की जाती है । एक प्रजातंत्रात्मक तथा लोक-कल्याण राज्य

[श्री टी० बी० विट्ठल राव]

में इस प्रकार की कार्यवाही करना सर्वथा अनुचित है ।

डाक सम्बन्धी मंत्रणा समितियों के सदस्यों का नाम निर्देशन करनें में साम्यवादी दल को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है । यदि माननीय मंत्री हमें नहीं चाहते तो वह हमें सके कारण बतायें । बिना कारण बताये हमें अलग कर देना गलत तरीका है ।

मैं ने मंत्रालय को कोठागुदियम (ज़िला वारंगल) में एक डाकघर खोलने के लिये लिखा था । वह ५५,००० की जनसंख्या का एक कस्बा है और वहां केवल एक डाकघर ही है । मैं चाहता था कि वहां जो एक विभागातिरिक्त डाकघर है उसी को विभागीय डाकघर बना दिया जाये । मुझे खेद है कि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । इमारतों के बारे में भी डाक विभाग कुछ नहीं कर रहा है । वह हज़ारों रुपये किराये में तो दे रहा है परन्तु अपनी इमारतें बनवाने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है ।

एक शब्द आर० एम० एस० के डिब्बों के बारें में कहना चाहता हूं । आजकल हमारे पास बहुत थोड़े डिब्बे हैं और जो हैं वे बहुत पुराने और गन्दे हैं । उनमें काम करना बहुत कठिन है और स्वास्थ्य के लिये हानिकर भी । मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में आर० एम० एस० के डिब्बे और अधिक संख्या में बनवाये ताकि उसमें काम करने वालों को सुविधा हो ।

अन्त में, मैं यह चाहता हूं कि जो विमान-चालक आजकल बेकार हैं उनके लिये कुछ व्यवस्था की जाये । मेरे विचार में यदि चालकों के उड़ान के घंटों की संख्या में कमी कर दी जाये तो हम इस समस्या को हल कर सकते हैं । असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के वेतन के बारे में जांच करने के लिये भी सरकार को एक विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिये क्योंकि केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस विभाग के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं की थीं ।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : गत वर्ष जब संचार मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही थी तब मैं ने यह सुझाव दिया था और इस बात पर आग्रह किया था कि डाक सम्बन्धी बिल को सामान्य वित्त से अलग कर दिया जाये । मैं आज भी इस चीज़ को दोहराता हूं कि यदि सरकार के लिये इस समय इस प्रश्न पर विचार करना संभव नहीं तो वह एक संसदीय आयोग नियुक्त कर दे जो इस विषय पर विस्तार रूप से विचार करे ।

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् डाक व तार व्यवस्था के सम्बन्ध में जो उन्नति की है वह वास्तव में प्रशंसनीय है । ६$\frac{1}{2}$ वर्षों में डाकघरों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई है और औसतन प्रति वर्ष ३७२३ डाकघर खोले गये हैं । सरकार की नीति इन नये डाकघरों को विभागातिरिक्त डाक घर ही बनाये रखने की रही है । मैं जानता हूं कि यह नीति क्यों अपनाई गई है--इसलिये कि विभागातिरिक्त डाकघरों के पोस्टमास्टरों को केवल २० रुपया प्रति मास दिया जाता है और वे दिन में चार घंटे काम करते हैं । मैं यहां यह और बता दूं कि पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर के ज़िला बोर्ड ने तथा मद्रास के भी कुछ ज़िला बोर्डों ने स्कूल के अध्यापकों को विभागातिरिक्त पोस्टमास्टर बनने के लिये मना कर दिया है । इसलिये, लोक

मिलते नहीं हैं। सरकार को चाहिये कि वह इन डाकघरों में काम करने वाले लोगों के बारे में जांच पड़ताल करे। उन्हें कम से कम इस बात का आश्वासन दे दिया जाय कि ज्योंही ये डाकघर आत्म निर्भर हो जायेंगे या अब से दस वर्ष बाद इन्हें नियमित कर्मचारी बना दिया जायेगा ताकि ये लोग ईमानदारी और मेहनत से काम करें। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इन डाकघरों के खोलने पर अब तक पांच करोड़ रुपया की जो हानि हुई है, उसका वह पंचवर्षीय योजना के हिसाब में समायोजन कर लें।

जैसा आप सब को मालूम है डाकघरों की इमारतों और डाक कर्मचारियों के रहन के स्थानों की हालत बहुत खराब है। डाक व तार विभाग के पास इतना रुपया होते हुए भी इस विषय में वह कुछ नहीं कर पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि सारा काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाता है। डाक व तार विभाग को अपना एक अलग इंजीनियरिंग विभाग खोलना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा उसको इस विषय में कठिनाई ही होती रहेगी।

डाक व तार कार्यालयों के कर्मचारियों को कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं। यद्यपि उनका स्तर रेलवे कर्मचारियों के बराबर ही है, फिर भी जो सुविधायें रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। डाक कर्मचारियों के लिये न कोई स्कूल है, न कोई अस्पताल। पिछले वर्ष भी मैं ने आपको बताया था कि डाक व तार विभाग के बहुत से कर्मचारी टी० बी० के बीमार हैं क्योंकि एक तो उनको काम बहुत करना पड़ता है और दूसरे उनको किसी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर हैं, प्रशिक्षण स्कूल हैं, सहकारी स्टोर हैं और कैन्टीन आदि हैं परन्तु डाक कर्मचारियों के लिये कोई ऐसी सुविधायें नहीं हैं।

एक बात और है। डाक व तार विभाग के फार्मों को छपवाने तथा लेखन सामग्री की व्यवस्था करने का काम, मुद्रण तथा लेखन सामग्री नियंत्रक के अधीन है। डाक विभाग लाखों रुपये के फार्म छपवाता है परन्तु हालत यह है कि डाकघरों में ये फार्म मिलते तक नहीं। इसकी वजह यह है कि फ़ार्म ठीक समय पर छपवा कर नहीं भेजे जाते। मैं पूछता हूं कि डाक व तार विभाग स्वयं यह काम क्यों नहीं करता है? यदि वह ऐसा करने लगे तो कोई कठिनाई सामने नहीं आयेगी।

मेरे एक या दो सुझाव और हैं: बुक-पैकेट की डाक दर में कमी कर दी जाये और उसे मई १९५३ से पहले वाली दर के बराबर कर दिया जाये। डाक कर्मचारियों के लिये अस्पतालों में और अधिक व्यवस्था की जाये। आर० एम० एस० डिवीज़न के पुनर्संगठन में यूनियनों की राय भी ली जाये।

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर अच्छी तरह विचार करेगी।

श्री एम० डी० जोशी: मैं उन सदस्यों में से नहीं हूं जिन्हें जब वे चाहें बोलने का अवसर मिलता है। परन्तु मुझे कुछ महत्व की बातें कहनी हैं इसलिये मैं बोलने को उठा हूं। मैं मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर बोलने में समय नहीं लेना चाहता। मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उसने अपना काम करने में काफी कल्पना, परिश्रम, आदर्शवाद तथा प्रतिज्ञा का प्रमाण दिया है।

यद्यपि डाक संचार के सम्बन्ध में हम काफी आगे बढ़े हैं फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। प्रतिवेदन के १६वें पृष्ठ पर बताया गया है कि बम्बई में १-२-१९५४ से

[श्री एम० डी० जोशी]

३१-३-१९५४ तक केवल २५ नये डाकघर खोले जाने का विचार है जबकि अन्य राज्यों में १०० या २०० से भी अधिक डाकघर खोले जाने हैं। मैं यह नहीं कहता कि कई राज्यों में १०० या २०० डाकघर क्यों खोले जायेंगे, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि बम्बई राज्य के कई क्षेत्रों, विशेषकर मेरे ज़िले अर्थात् रत्नागिरी के एक इलाके में—जो २००मील लम्बा और ३० या ४० मील चौड़ा है—डाकघरों की कमी है। रत्नागिरी ज़िले के पश्चिमी भाग में तो ठीक डाक व्यवस्था है परन्तु पूर्वी भाग की ओर, जो अधिकांश पहाड़ी इलाका है, डाक प्राधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। । मैं स्वयं एक समाचार पत्र का संपादक हूं और मेरे पास शिकायतें आई हैं कि भूतपूर्व सावंतवाडी राज्य में २८ गांवों के एक इलाके में केवल एक डाक घर है। एक शिकायत यह भी है कि १८ गांव ऐसे हैं जहां दस दस दिन डाक बांटी नहीं जाती और इन गांवों के लिये एक ही डाकघर है। इस स्थिति को ठीक किया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन के पृष्ठ १७ पर बताया गया है कि अब कोई ऐसा गांव न रहेगा जहां डाक न बांटी जाती हो। यह एक उचित उपाय है और मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसको शीघ्र ही प्रभावी किया जाये।

श्री जगजीवन राम : यह पहले ही क्रियान्वित हो चुका है।

श्री एम० डी० जोशी : यद्यपि २००० से अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्यक गांव में डाकघर होना चाहिये फिर भी मेरे इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां कोई डाकघर नहीं।

श्री जगजीवन राम : यह एक अलग बात है।

श्री एम० डी० जोशी : दूसरी बात यह है कि कई क्षेत्रों में जहां गांवों के बीच दो दो, तीन तीन पहाड़ियां हैं एक ही डाकघर है और गांव वालों को डाकघर तक जाने में बड़ी कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि गांवों का वर्गीकरण ऐसे किया जाना चाहिये कि डाकघर इस प्रकार स्थित हों कि सब गांवों को वहां पहुंचने में सुविधा हो।

४ म० प०

मैं माननीय मंत्री का ध्यान अलीबाग में कुछ दिन पहले डाकघरों के निम्न वर्ग के कर्मचारियों के हुए सम्मेलन की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कई मांगें की हैं जो कि उस सम्मेलन के संकल्प में रखी गई हैं। मैं इन सब पर बोलना नहीं चाहता, परन्तु माननीय मंत्री का ध्यान इन की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं केवल दो मांगों के बारे में कुछ कहूंगा। इन में पहली मांग यह है कि गांवों के डाकियों के लिये जो डाक बांटने का इलाका होता है वह ८ या १० मील है और घर घर डाक बांटने के लिये जाने में उन्हें जो फासला चलना पड़ता है, सब मिला कर यह १५ या १६ मील होता है। वह चाहते हैं कि उनके लिये एक दिन में डाक बांटने का इलाका जो हो उसका फासला ४ या ६ मील हो ताकि आने जाने में उन्हें कुल १० मील से ज्यादा न चलना पड़े। दूसरी मांग छातों और बर्सातियों की है। क्योंकि मेरे इलाके में वर्षा बहुत होती है वहां के डाकियों के लिये छाते और बर्सातियां देना अत्यावश्यक है और इस ओर अबिलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश के एक कोने अर्थात् मेरे अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाने के पश्चात् मैं सरकार का ध्यान दिल्ली की ओर दिलाना चाहता हूं। नई दिल्ली में लगभग

९० डाकघर तथा उप-डाकघर हैं और यह एक प्रधान डाकघर के अधीन हैं। पहले यह एक उप-डाकघर था और १९४८ में इसे प्रधान डाकघर बनाया गया। तब से आज तक काम बहुत बढ़ गया है। निम्न वर्ग के कर्मचारियों, अर्थात्, क्लर्कों के अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या ४३० से बढ़ कर ७५० हो गई है। काम इतना बढ़ने पर भी उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या पहले जितनी है। मद्रास के प्रधान डाकघर से यदि इसकी तुलना की जाये तो पता लगेगा कि यहां उच्च अधिकारियों की कमी है। इस बात के दृष्टिगोचर कि संसद् सदस्यों, मंत्रियों, दूतावासों आदि सब का काम इस डाकघर द्वारा होता है, इस बात की बहुत ही आवश्यकता है कि इसका पूर्ण रूप से पुनर्संगठन किया जाये।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां) : जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मेरा सुझाव यह है कि संचार मंत्रालय का असैनिक उड्डयन से सम्बन्धित कार्य उस मंत्रालय से हटा कर रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया जाना चाहिये। मेरी यह धारणा दिन प्रति दिन दृढ़तर होती जा रही है। मास्टर समिति के प्रतिवेदन को पढ़ कर तो मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई है। मेरे सुझाव के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि असैनिक उड्डयन का कार्य ऐसे मंत्रालय के हाथ में होना चाहिये जो अपनी निश्चित नीति बना सके और शीघ्र निर्णय कर सके। दूसरी बात यह है कि असैनिक उड्डयन रक्षा की द्वितीय पंक्ति मानी जाती है। अतः इसके और रक्षा की प्रथम पंक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित होना नितान्त आवश्यक है। इन दोनों ही दृष्टियों से इस कार्य के लिये रक्षा मंत्रालय ही उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में मैं बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से असैनिक उड्डयन की दशा लगातार खराब होती जा रही है। यही कारण है कि अब आये दिन विमान दुर्घटनाओं और विमानों के मजबूरन उतारने के मामलों के समाचार मिलते हैं। पहले ऐसी बात नहीं थी। असैनिक उड्डयन के प्रथम तीन चार वर्षों में इस देश में एक भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी। अतः सरकार को इस विषय पर और मेरे सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

जहां तक असैनिक उड्डयन का सम्बन्ध है, उसमें आजकल दो मुख्य दोष देखने में आते हैं—एक तो है अनुशासन की कमी और दूसरा है कार्य स्तरों का गिरना। इनके अतिरिक्त कई अन्य दोष भी हैं। चूंकि असैनिक उड्डयन रक्षा की द्वितीय पंक्ति है, अतः हमको सर्वप्रथम अनुशासन की ओर ध्यान देना होगा। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह असैनिक उड्डयन को रक्षा मंत्रालय को सौंपने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। ऐसा करने से हमारी रक्षा नीति में एक सामंजस्य स्थापित हो जायेगा।

मास्टर समिति के प्रतिवेदन को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस देश में असैनिक उड्डयन की देखभाल और उसको उचित दशा में बनाये रखने के लिये बार बार रक्षा मंत्रालय से सहायता मांगी गई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती रहेगी। इस दृष्टि से भी असैनिक उड्डयन शाखा का रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। यदि ऐसा कर दिया जाय तो मेरे विचार से इस शाखा का कायाकल्प सा हो जायेगा और उसका कार्य संचालन बहुत उच्च स्तर का हो जायेगा

[श्री जयपाल सिंह]

उड्डयन क्लबों की बात ही लीजिये। सभी में समान स्तर नहीं है। अतः वहां एक समान स्तर के बनाये रखे जाने की नितान्त आवश्यकता है।

विमान चालकों की बेकारी का प्रश्न एक बहुत गम्भीर चीज़ है। इस सम्बन्ध में भी बहुत धांधली हुई है। एक ओर तो अत्यधिक संख्या में विमान चालकों को तैयार किया गया है, परन्तु दूसरी ओर असैनिक उड्डयन निदेशालय में उनको काम देने की कोई योजना नहीं है। यही कारण है कि आजकल सौ से अधिक विमान चालक अपने प्रशिक्षण पर हजारों रुपये व्यय करने के बाद भी बेकार पड़े हुए हैं। मैं तो समझता हूं कि यदि असैनिक उड्डयन शाखा का प्रबंध रक्षा मंत्रालय के हाथ में हो तो ऐसी हालत पैदा नहीं होगी क्योंकि तब एक सामंजस्य होगा और असैनिक विमान चालकों के भारतीय विमान बल में खपाये जाने की संभावनायें होंगी। योजना और सामंजस्य नितान्त आवश्यक हैं। अभी यह बात नहीं है।

मैं दो एक बातें असैनिक उड्डयन निदेशालय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। नई शासन व्यवस्था के स्थापित होने से पूर्व मैं ने कहा था कि उक्त निदेशालय का नये सिरे से संगठन और उसमें परिवर्तन किया जाना बहुत आवश्यक है। अब नई व्यवस्था स्थापित हो गई है, परन्तु अभी तक प्रगति अथवा व्यवहारिक सुधार के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिये हैं। अतः अभी उसकी निन्दा या प्रशंसा नहीं की जा सकती है। न्यूनाधिक यही बात भारतीय एयर लाइन्स निगम के सम्बन्ध में भी लागू होती है। अपने जीवन काल के प्रथम आठ महीनों में उसको लगभग ५८ लाख रुपये का घाटा हुआ है। परन्तु मैं समझता हूं कि इसके लिये भारतीय एयर लाइन्स निगम दोषी नहीं है। सच बात तो यह है कि वस्तुतः कोई भी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। हमने केवल नामों में परिवर्तन कर दिया है। अभी तक सरकार ने जो कुछ किया है वह तो केवल राष्ट्रीयकरण की एक मृगमरीचिका मात्र है। ऐसी नीति उचित नहीं कही जा सकती है।

हमारे पास बहुत से फालतू डकोटा विमान हैं, जो पुराने होते जा रहे हैं और जो उतने उपयोगी भी नहीं रहे हैं। हम उनको बेच कर नवीनतम प्रकार के विमान क्यों नहीं ले लेते हैं। रात की हवाई डाक सेवा के लिए नये विमान खरीदने के लिये १६० लाख रुपये अलग रखे गये हैं। परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि नये विमानों की खरीद केवल रात की हवाई डाक सेवा तक ही क्यों सीमित रखी जाय। वास्तव में हमारे अधिकांश विमान इतने पुराने और अनुपयोगी हो गये हैं कि उन्हें जितनी जल्दी बदल दिया जाय उतना ही अच्छा है, नहीं तो इसी प्रकार दुर्घटनायें होती रहेंगी।

अन्त में मेरा यह सुझाव है कि भविष्य में जो नये विमान खरीदे जायें, उनके चुनाव का काम किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या केवल मंत्रालय के ऊपर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति होनी चाहिये, तभी इस देश के असैनिक उड्डयन का वास्तविक विकास हो सकता है। यही नहीं नये विमानों की खरीद और इस देश की रक्षा नीति की मांगों के बीच एक सामंजस्य होना आवश्यक है।

श्री रघुबीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व): मेरे विचार से

यह विभाग अत्यन्त लोकोपयोगी है और इसने अभी तक अनेक अच्छे कार्य किये हैं—जो, मैं समझता हूं, सभी सदस्यों को ज्ञात हैं। इस वर्ष हम लोगों को जो प्रतिवेदन दिया गया है, उससे यह मालूम पड़ता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लोगों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या में काफी कमी हुई है। यह एक बहुत संतोष की बात है।

दूसरी बात यह है कि अब देवनागरी में तार भेजने की व्यवस्था को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस वर्ष इस व्यवस्था में दुगुनी वृद्धि हुई है। यह भी इस विभाग का एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। यही नहीं इसी वर्ष जम्मू और काश्मीर की तार और टेलीफोन व्यवस्थाओं को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। यह मामला बहुत दिनों से लटका हुआ था। यह भी एक अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य है।

संचार मंत्रालय ने एक और अत्यन्त सराहनीय निर्णय किया है जिस के लिये वह बधाई का पात्र है। वह निर्णय यह है कि काम करते हुए मरने वाले डाक कर्मचारियों के अन्त्येष्टि संस्कार पर पचास रुपये तक व्यय करने का अधिकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे इस विभाग में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों में स्वामिभक्ति की भावना उत्पन्न होगी।

मैं इस बात से भी बहुत प्रभावित हुआ हूं कि अब सभी ज़िला मुख्यालयों को ट्रंक टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि तार के कनेक्शनों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सुविधा सभी तहसीलों और थानों को भी दी जायेगी।

इतना सब होते हुए भी इस विभाग में अभी और काफी सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये अल्प बचत योजना को ही लीजिये। इस सम्बन्ध में जो थोड़ा सा सुधार हुआ है, उसकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषणों में की थी। यह एक अत्यन्त उपयोगी और लाभकारी योजना है, जिसे न केवल नगरों में ही बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इससे न केवल लोगों की बचत की आदत पड़ेगी बल्कि उनका धन चोर डाकुओं से सुरक्षित रहेगा और देश की वित्तीय स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। अतः मेरा सुझाव यह है कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में ऐसे और डाकघर खोले जायें जिनमें बचत बैंक की सुविधायें उपलब्ध हों।

मैं ने १९५२ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन देखा है। उसको पढ़ने से पता चलता है कि वर्ष १९५२ में गबन, धोखाधड़ी, सार्वजनिक धन की हानि आदि के मामलों में भारी वृद्धि हुई है। यह एक बहुत निन्दनीय चीज़ है और मैं अनुरोध करूंगा कि इसको रोकने के लिये तुरन्त ही इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इस प्रकार के मामले अधिकतर मनीआर्डरों और बचत बैंकों के सम्बन्ध में हुए हैं।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से स्थानों पर डाकघरों की इमारतों की दशा बहुत बुरी है। इस सम्बन्ध में विभाग भरसक सब कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है। यह तो ठीक है आवश्यकता इस बात की है कि इस सम्बन्ध में हो रहे कार्य को गतिशील किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री लाश्कर (कचार—लुशाई पहाड़ियां रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं आरम्भ

[श्री लाश्कर]

में यह चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मांगों का समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से असैनिक उड्डयन के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की है और मैं समझता हूं कि विमान-यातायात उद्योग के राष्ट्रीयकरण से इस क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।

देश के विभाजन के उपरान्त सड़क, नदी, तथा रेल द्वारा संचार के मामले में आसाम देश के अन्य भागों से बिल्कुल कट गया था। ऐसी परिस्थिति में विमान सेवा वहां के लोगों के लिये एक वरदान के समान है। देश में बहुत से गांवों में डाकघर खोले गये हैं। मेरा निवेदन है कि यदि पोस्टकार्ड के दाम तीन पैसे से घटा कर दो पैसा कर दिया जाये तो लोगों को कुछ लाभ पहुंच सकता है।

मैं कचार तथा लुशाई पहाड़ियों के ज़िले का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र बहुत उपेक्षित रहा है। इस क्षेत्र की कुछ मांगों को मैं आज आपके सामने रखूंगा। कचार ज़िला एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां के लोग खाद्यान्न रसद, उपभोक्ता वस्तुओं, इमारती सामानों तथा अन्य बहुत सी चीज़ों के लिये कलकत्ता पर निर्भर करते हैं। इस क्षेत्र में सन्तरे, अनन्नास आदि फल काफी पैदा होते हैं। इनको बेचने का एकमात्र बाज़ार कलकत्ता है। इस प्रकार लगभग सभी आवश्यकताओं के लिये हमारा कलकत्ते से घनिष्ट सम्बन्ध है। विभाजन से पूर्व कलकत्ता तक रेल से पहुंचने के लिये केवल २४ घंटे लगते थे, परन्तु अब तीन दिन लगते हैं। इस परेशानी और समय को बचाने के लिये यहां के लोगों को विमान द्वारा यात्रा करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि विमान यात्रा का किराया बहुत अधिक है। इसको अस्सी रुपये से घटा कर साठ रुपया कर दिया जाना चाहिये। विद्यार्थियों के लिये आधा किराया होना चाहिये, ताकि गरीब विद्यार्थी भी विमान सेवा का लाभ उठा सकें। फलों के भेजने के लिये भाड़े में कुछ रियायत की जाती है। परन्तु वह काफी नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए उसके भाड़ों में और कमी की जानी चाहिये। किराये और भाड़े के ढांचे में मानवीय दृष्टिकोण से, न कि वाणिज्यिक दृष्टि से, आवश्यक परिवर्तन किये जाने चाहियें।

कचार जिले में सभी पुलिस थानों पर तारघर बनाये जाने की बार बार मांग की जा रही है। इन के बिना लोगों को भारी असुविधा होती है।

कचार ज़िले के कुछ स्थानों में और विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां कि पुलिस स्टेशन है, तारघर बनाने की मांग की जा रही है। अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह सोनायमुख, कालीगारा, भागबाज़ार गंगा-नगर, काबूगंज, जोयपुर–राजाबाज़ार भगरपार और जलालपुर में तारघर बनायें ताकि आवश्यकता के समय वहा की जनता को १० से २० मील तक भागना न पड़े। कारी-गंज सब-डिवीज़नल मुख्यालय में एक सार्व-जनिक टेलीफोन-एक्सचेंज लगाने की मांग बहुत दिन से की जा रही है।

आसाम में डाक तथा तार विभाग सर्किल में कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यह सर्किल चार भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग के लिये कोई प्रादेशिक भाषा निश्चित की गई है। यदि कोई व्यक्ति उस भाषा को नहीं जानता है तो उसे उस भाग में नौकरी नहीं मिलेगी। यदि यह बात ठीक है तो इसका प्रभाव अधिकांश व्यक्तियों

पर पड़ेगा। अतः सरकार को इसकी जानकारी करा देना मेरा कर्तव्य है। इन चारों भागों के लिये जो भाषायें निश्चित की गई हैं उन में आसामी तथा हिन्दी सामान्य भाषायें हैं, और जैसा कि निर्णय किया गया है कि उस भाग की भाषा को न जानने वाले व्यक्ति को उसमें नौकरी नहीं मिलेगी तो इसका सबसे अधिक प्रभाव कचार ज़िले पर पड़ेगा। यही दशा पूर्व बंगाल से आये हुए बंगाली शरणार्थियों की होगी क्योंकि वे सम्पूर्ण आसाम में फैले हुए हैं। इस प्रकार केवल कुछ बंगालियों को ही नौकरी मिल सकेगी और वह भी उन को जो कि बंगाली भाषा वाले भाग में रहते हैं। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद १६ में दिये गये मूल भूत अधिकारों से वे वंचित रह जायेंगे। अतः माननीय मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं।

प्रादेशिक आधार पर कर्मचारियों की भर्ती का मैं स्वागत करता हूं। भर्ती में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जो स्थान रक्षित हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रदेश में जाति अथवा किसी भाषा विशेष के भेद भाव के बिना भर्ती होगी—यह भी एक अच्छी बात है। किन्तु मैं इस बात का विरोध करता हूं कि कचार ज़िले में ऐसे लाखों व्यक्तियों को जो कि उस डिवीज़न में नहीं रहते, यहां नौकरी के लिये भेजा जा रहा है। आसाम राज्य सरकार के अधीन सेवा में कोई भेदभाव एवं प्रतिबन्ध नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस मामले की जांच करें और कचार डिवीज़न की जनता के साथ न्याय करें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनिकेशन विभाग पर बोलने का आज मेरा पहला मौका है और इस मौके पर मैं यह चाहती थी कि विरोधी दल के भाइयों के भाषणों से जो हमारे मंत्री महोदय की पीठ पर घाव किये जाये उन पर मरहम लगा सकूं। पर मुझे बड़ा अफसोस है कि उन के इस घाव पर मैं मरहम नहीं लगाऊंगी बल्कि उस पर कुछ नमक ही छिड़कूंगी।

श्री जगजीवन राम: घाव है ही नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: यह तो अपनी अपनी समझ की बात है। मैं यह महसूस करती हूं कि घाव है। लेकिन हमारी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की यही बदकिस्मती है कि वह यही नहीं समझती कि घाव है और इसीलिये उस पर असर नहीं होता है।

मैं दो साल से यह महसूस कर रही हूं कि इस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का इंजन पीछे लग गया है और इसलिये इसकी गाड़ी पीछे की तरफ चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: हवाई जहाज़ है, गाड़ी नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मुद्दत से इस विभाग की अपनी एक शान थी और जब हम लोग सरकारी विभागों के बारे में बातचीत किया करते थे तो कम्युनिकेशन और टेलीग्राफ विभाग का उदाहरण दिया करते थे कि देखिये एक वह भी सरकारी विभाग है और किस तरह से अच्छा काम करता जा रहा है। पर आज मुझे अफसोस है कि उसके काम में कुछ ढीलापन आ गया है। वह चुस्ती नहीं है, वह फ़ुर्ती नहीं है। ताज्जुब यही है कि कर्मचारी वही हैं, अफसर ऊपर से नीचे तक वही हैं और काम भी वही है लेकिन वह लगन नहीं है, वह काम करने का उत्साह नहीं है।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आज़मगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम): कहीं आपको मुगालता तो नहीं है?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्यों ऐसी बात है मेरी समझ में नहीं आती। कर्मचारियों से ही आप पूछिये । मैं इस बात को दावे के साथ इसलिये कहती हूं कि मुझे पोस्ट और टेलीग्राफ के कर्मचारियों के साथ कुछ दिनों तक काम करने का मौका मिला है और मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैंने उनकी नब्ज़ को पहचाना है, लेकिन यह मैं ज़रूर दावे के साथ कह सकती हूं कि मैं ने उनकी नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की है। । मैं ने एक से लेकर सौ तक, सब आदमियों के मुंह से यही बात सुनी है कि हम लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, मिनिस्ट्री का बरताव है वह बहुत ठंडा पड़ गया है। मैं आपको इसकी मिसालें दूंगी। बहुत से मेम्बरों ने कहा और अभी हमारे एक साहब ने कहा है "इट इज नाट वैरी करक्ट । मैं उन से कहती हूं कि पहले जो मैं कहूं उसको सुन लें, देख लें, फिर ऐसी बातें कहने का दुस्साहस करें। आप कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी है। आज हमारे देश में इतने सारे काम करने को पड़े हैं, लेकिन हमारे पास पैसों की कमी है। लेकिन सन् १९४८–४९ से लेकर सन् १९५२-५३ तक के आंकड़ों को आप देख लीजिये। आपको मालूम होगा कि कोई साल नहीं बचा है कि जिसमें बीस पच्चीस लाख रुपये लैप्स न हुए हों। मकान बनाने के लिये जो रुपया रखा गया है उस में से इतना रुपया लैप्स हुआ है। मैं आपको आंकड़े दे कर बताती हूं । सन् १९४८–४९ में जो मकान बनाने के लिये अमाउंट दिया गया था उसमें लैप्स हुआ है २४ लाख ५० हजार, १९४९-५० में जो अमाउंट लैप्स हुआ है वह है २७ लाख १४ हज़ार, १९५०-५१ में जो अमाउन्ट लैप्स हुआ है वह है ४९ लाख ३० हजार, १९५१-५२ में ३६ लाख १७ हजार रुपया लैप्स हुआ और १९५२–५३ में जो अमाउंट लैप्स हुआ है वह है ३४ लाख ७१ हजार। इतना रुपया लैप्स हुआ है ।

डा० लंका सन्दरम् (विशाखापटनम्) : कितना प्रति शत ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पिछले साल जब बजट पर बहस हो रही थी तो हमारे मिनिस्टर साहब ने बड़े ज़ोर से उस वक्त भाषण दिया था और चूंकि मेरा पी०एन्ड टी० यूनियन से कुछ ताल्लक है मैं ने उस भाषण को गौर से सुना था। और मुझ से भी ज्यादा गौर से उस भाषण को उन यूनियन वालों ने सुना था कि जिनका मन मिनिस्टर साहब की बातों को सुनने के लिये बहुत उतावला था।

अगर एक साल या दो साल में ऐसी बातें हों तो मिनिस्टर साहब को एक्सक्यूज हो सकता है, यह कहने का कि हमें बहुत डिफिकल्टीज़ हैं, बहुत सी परेशानियां हैं और कठिनाइयां है और हम उस काम को नहीं कर सकते । लेकिन यह एक बार नहीं, बराबर सन् १९४७ से १९५४ तक यही हो रहा है, रुपया इतना लैप्स हो रहा है और फिर भी मिनिस्टर साहब इस बात को कहें कि हम यह बात नहीं कर सकते, चूंकि हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं, और मुश्किलें हैं। अगर हम इन मुश्किलों को संभाल नहीं सकते तो फिर हमारे काम करने का क्या फायदा है, ज़रा मैं यह पूछना चाहती हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जब आप यह जान रहे हैं कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० हमें मदद नहीं देता, जब एक दो वर्ष में आपने देख लिया कि आपको मदद मिलनी मुश्किल है, उनसे मदद नहीं मिल सकती तो इतना बड़ा आपका पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट है, आप अपने इंजीनियर क्यों

नहीं रख लेते ? सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप खोलें। पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ के अन्दर जो क्वार्टर वगैरह बनाने हैं, अगर इसको पूरा करने में दिक्कत होती है तो आप अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग खोल लें। लोगों को मकान रहने को चाहिये। आपके दूसरे डिपार्टमेंट आप का काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसलिये आपका काम नहीं होगा ? दूसरे डिपार्टमेंट तो कभी आपका काम नहीं करेंगे अगर आप खुद उसमें पूरी दिलचस्पी नहीं लेंगें। दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर हर काम की जिम्मेदारी दे देना यह तो मैं नहीं समझती कि बहुत मुनासिब बात है।

अब जो बात मुझे कहनी है उस के बारे में मैं ने कुछ लिखा पढ़ी भी की थी। मुझे हमेशा इन के डिपार्टमेंट से आश्वासन दिया गया था कि यह बात हो जायेगी। लेकिन हमारे यूनियन के कुछ लोग मिनिस्टर साहब से मिलने गये तो उन्होंने यह बात नहीं कही। यह बात है एडीशनल इंस्पैक्टर्स की बहाली के बारे में। यहां पर जो कोई कम्युनिकेशन्स मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो लोग उससे कुछ ताल्लुक रखते हैं, उन्हें मालूम होगा कि कम्युनिकेशन्स मिनिस्ट्री में पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ के अन्दर एक इंस्पैक्टर की पोस्ट होती हैं, जिनको पोस्टल इंन्सपैक्टर्स कहते हैं। उन का इम्तिहान होता है और उस में जो पास होते हैं, उतीर्ण होते हैं, उनकी बहाली पोस्टल इंन्सपैक्टर की हैसियत से की जाती है। शायद आपको मालूम नहीं कि मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि एडीशनल पोस्टल इंस्पैक्टर्स की बहाली की जाये। अभी मेरे पास पोस्टल इंस्पैक्टर्स के आंकड़े हैं, आपको या हाउस को मैं दिखा सकती हूं। सारे हिन्दुस्तान में अभी जो पोस्टल इंन्सपैक्टर्स हैं, अभी जो उत्तीर्ण हो चुके हैं परीक्षा में, वही बहाल नहीं किये गये हैं। जिस काम के लिये वह परीक्षा में बैठे, इम्तिहान पास किया, अभी जब वही खाली बैठे हैं तो फिर एडीशनल पोस्टल इंस्पैक्टर्स की पोस्ट कैसे क्रियेट की जा रही है ? वह पोस्ट पता नहीं क्यों बनाई जा रही है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

श्री जगजीवन राम : समझने में देर लगेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हम जानते हैं कि सरकारी महकमों में एफीशियेंसी बढ़ाने के सवालों पर गौर किया जा रहा है। यह दावा किया जाता है कि हमारे सरकारी महकमों में अच्छे से अच्छे आदमी जो साबित हों वह लिये जायें। इसलिये कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन रखा गया है। छोटी से छोटी नौकरियों से लेकर बड़ी से बड़ी नौकरियों में भी अब चाहे वह हमारे यहां की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, सब यही चाहती हैं कि कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन हो। यह तो ठीक है। लेकिन अब उस तरीके को बदल कर सीधे डिपार्टमेंट द्वारा आदमियों को भरती करना, यही बात मेरी समझ में नहीं आती है और यही मैं आप से पूछना चाहती हूं। अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि समझ में यह बात नहीं आ सकती, लेकिन वाकई उन को छोड़ कर और किसी के समझ में यह बात नहीं आ सकती है कि जब कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन में पास हो कर जो इंस्पैक्टर्स अपनी नौकरी पर नहीं जा सके, तो फिर क्या वजह है कि आपने यह एडीशनल पोस्टल इंस्पैक्टर्स की पोस्ट क्रियेट की है, और क्यों इन की बहाली डिपार्टमेंट की तरफ से होगी ; कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन के ज़रिये नहीं ? मैं पूछती हूं कि अगर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे समझ नहीं है तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि वह बतावें कि इस में उनको क्या कहना है और इसके बारे में उन्हें क्या समझना है।

एक माननीय सदस्य : समझ नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे दोस्त कह रहे हैं कि समझ नहीं है। यह एक इतनी जरा सी बात है और फिर भी उनकी समझ में नहीं आती तो इसकी वजह यह है कि उन के अन्दर दर्द नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, म यह सवाल इसलिये पूछ रही हूं क्योंकि मुझे उन के लिये दर्द है । वह पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जिन्होंने जिन्दगी भर मेहनत की है । और जो मेहनत करते हैं वही इसको महसूस भी कर सकते हैं । मेरे दोस्त तो मिनिस्टर साहब की बोली में अपनी बोली मिलाने में बड़ी शान समझते हैं । मैं इसको शान नहीं समझती हूं, क्योंकि मेरे दिल में उन के लिये दर्द है, मैं उनकी मुश्किलें समझती हूं । अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमारे डिपार्टमैंट के बड़े बड़े लोगों ने यहां तक कि जो इसके डाइरेक्टर जनरल साहब हैं, उन्होंने पटना की यूनियन के सेक्रेटरी से बातचीत की थी और डाइरेक्टर जनरल साहब ने और दूसरे लोगों ने यानी पी० एम० जी० वगैरह ने यह आश्वासन दिया था कि इस बात पर गौर किया जायेगा । लेकिन अब इसको क्यों अपनाया जा रहा है ? इसके अन्दर भी कोई गहरा राज़ मालूम होता है ।

इस सिलसिले में एक बात मुझे और कहनी है कि जो इंस्पैक्टर्स इम्तिहान पास करते हैं उन के बारे में भी एक सी पालिसी नहीं रही है आज तक । सन् १९३९ में उनकी पालिसी यह थी कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे वह कर्मचारी पोस्टल इंस्पैक्टर बहाल कर लिये जायेंगे । अगर उन में से कुछ बचे तो वह दूसरे साल बहाल किये जायेगें । इसके बारे में डाइरेक्टर जनरल की भी एक चिट्ठी है ।

१९३९ में यह पालिसी थी । उसके बाद १९४२ में उनका जो तरीका था परीक्षा का वह कम्पीटीटिव हो गया । खैर, मुझे इस से एतराज़ नहीं है कि यह कम्पीटीटिव हो गया । उसके बाद फिर इम्तिहान का यह तरीका कर दिया गया कि जितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण होंगे उन के लिये एक बोर्ड भी बैठेगा और वह बोर्ड ही उनका सिलैक्शन करेगा । उसके साथ वाइवा वोसी टेस्ट भी होगा । उसमें जो भी इंस्पैक्टर्स पास होंगे वह लिये जायेंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो पहले पास किये हुए हैं उन के लिये अब कोई गुंजायश नहीं है । जिन्होंने दस साल पहले इम्तिहान पास किया अब उन से कहा जाता है कि जो नये रिक्रूट आये हैं उन के साथ कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन में बैठिये । जो लोग पहले इम्तिहान में उत्तीर्ण हो गये थे, लेकिन जगह न होने से उनकी बहाली नहीं हुई थी, उनको अब फिर परीक्षा में बैठने को कहा जाता है । मेरी समझ में नहीं आता कि फिर से परीक्षा लेने का क्या उद्देश्य है । अगर डिपार्टमैंट चाहता है तो वह साफ साफ कहे कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं, इतने लोगों को लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे । यह डिपार्टमैंट कह सकता है । पर हमेशा लोगों को परीक्षा देने के लिये मजबूर किया जाता है और उसके बाद जब बहाली का सवाल आता है तो वह हटा दिये जाते हैं, और इन बेचारों को फिर इसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब हाउस के लोग और आप भी कभी स्कूल कालिज में पढ़े होंगे और हम बखूबी महसूस कर सकते हैं कि एक परीक्षार्थी की क्या हालत होती है जब वह इम्तिहान देने जाता है, रात दिन उसको उसी की फिक्र लगी रहती है । उसकी आंखों से नींद भाग जाती है और हर समय उसे इम्तिहान की चिन्ता सताय रहती है । आप ही सोचें यह कहां तक उचित है कि

हम उनकी दिक्कतों को बढ़ायें । इसके बाद मैं आप से दो, चार मिनट और लेना चाहूंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन मिनट मैं आपको और दे रहा हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऐयर-लाइन्स कारपोरेशन के बारे में जिस समय कि यहां बिल पेश किया गया था, मैं ने ऊपर से नीचे तक, एड़ी से लेकर चोटी तक मिनिस्टर साहब का साथ दिया था, उन के हर एक शब्द का समर्थन किया था .....

बाबू राम नारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : गलत किया था ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पर अभी कुछ ही दिन हुए हमारे एक मेम्बर भाई जो पीछे बैठते हैं उन्होंने एक बार सवाल किया था तो उसके जवाब में हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया कि रेवेन्यू का आंकड़ा २०४·६२ लाख और एक्सपेन्डीचर २३५·६ लाख है । और उन्होंने मान लिया कि कारपोरेशन को लौस हो रहा है पर उन्होंने कहा कि यह कोई खास बात नहीं यह डेफिसिट मामूली चीज़ है और यह हर देश में होती है जहां बड़ी बड़ी नेश-नालाइज्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मुझे मिनिस्टर साहब की इस बात से एतराज़ नहीं है कि वह कहते हैं कि घाटा हो रहा है पर मुझे इस बात से ज़रूर ऐतराज़ है कि आपका पूरा ध्यान इस घाटे को मिटाने की ओर नहीं है । आपका पूरा ध्यान तो आपसी लड़ाई झगड़ों को मिटाने पर नहीं बल्कि और उनको कुरेदने के लिये है। इसका मतलब है कि उसके अन्दर आपसी बहुत लड़ाई झगड़ा और कश-मकश है और चार, छै महीने ऐयरलासेन्स कारपोरेशन के आपसी लड़ाई झगड़ों में बिता दिये हैं, किसी को निकालने और किसी को बहाल करने में बिता दिये हैं और यही वजह है कि हमारा ध्यान उस ओर नहीं गया है कि उसको किस प्रकार अच्छी तरह चलाया जाय । हमारे डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसा घाटा तो होता ही रहता है । अगर ऐसा सोचते हैं तो ठीक है अच्छा ही है .....

श्री राज बहादुर : यह आखिरी बात नहीं कही थी, आप ऐसा कह कर बड़ा जुल्म कर रही हैं । अपनी बात साफ करने के लिये मैं ज़रूर कहूंगा कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि ऐसा घाटा बहुत अच्छी बात है, मेरे लिये किसी मेम्बर महोदय का यह कहना मेरे साथ बड़ा जुल्म है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमारे मिनिस्टर साहब को एतराज़ हो रहा है क्योंकि उनकी यह समझ में शायद नहीं आता कि यह एक बोलने का तर्ज है । मेरा अभिप्राय तो उनकी इस बात पर कटाक्ष करना है जो उन्होंने कहा कि ऐसी कम्पनियों के लिये घाटा होना स्वाभाविक है । यह तो केवल मेरा उन पर कटाक्ष था और मैं तो कहूंगी कि हमारे मिनिस्टर साहब में थोड़ा हयूमर का सेंस होना चाहिये और उनको इसको एप्रीशियेट करना चाहिये था । इतना उतावला होने की ज़रू-रत नहीं थी । मैं तो उनको बतलाना चाहती थी कि वह महसूस करें सात लाख रुपये का घाटा जो हर महीने हो रहा है उसके लिये उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि यह जो घाटा हो रहा है उसको कैसे पूरा किया जाय । मैं चाहती हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें क्योंकि देश में यह पहला एक्सपेरीमेंट राष्ट्रीयकरण का है और अगर इसी तरह हालत बनी रही और घाटा होता रहा तो सरकार की और देश के लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि आगे और भी कल और कारखानों को नेशनलाइज़ किया जाय । इस सम्बन्ध में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

क्योंकि इस राष्ट्रीयकरण के आप अग्रदूत बने हैं और आपकी सफलता और असफलता पर इस देश के रष्ट्रीयकरण का भविष्य निर्भर है। आपके लिये यह कह देना कि घाटा तो होता ही है ठीक नहीं है। आपको देखना चाहिये कि यह घाटा क्यों हो रहा है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। आप पर बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिये मेरी अपील है इस लड़ाई झगड़े को बन्द करके इस काम को कामयाब बनाइये। इस सम्बन्ध में हमारे सामने इंगलैंड की लेबर मिनिस्ट्री की मिसाल मौजूद है, उन्होंने अपने वहां कारखानों को नेशनालाइज़ किया तो पहले ही साल में उन्होंने नफा करके दिखलाया था। मैं चाहती हूं कि हमारे मंत्री महोदय भी उसके लिये प्रयत्नशील हों। बस मैं और अधिक न कह कर आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और हाउस के मेम्बरों का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मेरी बातों को सुना।

श्री मुनिस्वामी (टिंडिवनम्) : यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि माननीय मंत्री जी जिन्होंने डाक कर्मचारियों की कठिनाइयों का एवं उनके कष्टों का अनुभव किया है, आज वही मंत्री जी उन कठिनाइयों एवं कष्टों का निवारण किये बिना चुपचाप बैठे हैं। डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन क्रम ३५–१–५० रुपया तथा ३०–१।२–३५ रुपया निश्चित किया गया है। वेतन क्रम को बढ़ाने के लिये कई बार अभ्यावेदन किये गय हैं। एक डाकिया जो अपनी सेवा ३५ रुपये से प्रारम्भ करता है अवकाश प्राप्त करने पर उसे केवल साढ़े सोलह रुपये निवृत्ति वेतन के रूप में मिलते हैं। विदेशों में जब कि एक डाकिया को अथवा चतुर्थ श्रणी के कर्मचारी को ८०० रुपया अथवा ९०० रुपया मिलता है।

डाकिया संघ ने कई बार यह अभ्यावेदन किया है कि डाकिया एक डाक क्लर्क का भी काम कर सकता है जब कि एक डाक क्लर्क डाकिये का काम नहीं कर सकता है। किन्तु उसकी यह बात सदैव ही ठुकरा दी गई है। डाक कर्मचारियों की बहुत सी छोटी छोटी कठिनाइयां, जिनके कारण अति एवं कर्मचारियों को कष्ट होते हैं, तो बड़ी आसानी से दूर हो सकती हैं बशर्तेकि माननीय मंत्री जी उनको दूर करना चाहें।

पहले भी मैं ने यह कहा था कि १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों का पूरा महंगाई भत्ता उन के वेतन में मिला दिया जाय ताकि अवकाश प्राप्त करते समय उन्हें निवृत्ति वेतन से इतना रुपया मिलन लगे जितने से कि वे अपनी नौकरी आरम्भ करते हैं। यह बड़ी सीधी सादी मांग है; यदि माननीय मंत्री इसे करना चाहें तो बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं।

सन् १९४६ की हड़ताल में यह मांग की गई थी कि क्लर्कों में ५० प्रतिशत स्थान डाकियों के लिये रक्षित रहेंगे किन्तु विभाग ने यह मांग पूरी नहीं की है। प्रश्न करने पर बताया गया कि डाकियों में से उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सके। रक्षित करने का अभिप्राय तो यह होता है कि उन स्थानों पर उसी वर्ग के व्यक्ति लिये जायेंगे न कि किसी अन्य वर्ग के। मनीआर्डर तथा खिड़की पर बैठकर डाक बांटने का काम तो डाकिये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी देखा गया है कुछ डाकियों को, जो इन कामों को पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, हटा कर आवश्यकता पड़ने पर उनके स्थान पर नये व्यक्तियों को रखा गया है।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहायक निरीक्षकों की भर्ती की जाने की खबर है। इसका तात्पर्य यह है कि बाहर वालों के लिये छूट हो गई। क्यों न विभाग के कर्मचारियों को उनकी उन्नति करके यह अवसर दिया जाय? यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कर्मचारियों की उन्नति का भविष्य क्या होगा; वह तो एक प्रकार से बन्द हो जायेगा। ऐसा करके संचार मंत्रालय तथा डाक तथा तार विभाग के लिये आप कठिनाई मोल ले रहे हैं।

कुछ ऐसे स्थायी डाकियों के सम्बन्ध में ज्ञात है जिनकी उन्नति करके अस्थायी तौर पर क्लर्क बना दिया गया था और पांच छः साल उन्होंने वहां काम भी कर लिया है किन्तु अभी तक उनका पुष्टीकरण क्लर्क के रूप में नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक पुष्टीकरण परीक्षा पास करने में वे समर्थ नहीं हुए हैं, और यही कारण है कि उनकी वेतन वृद्धि भी नहीं हुई है। अतः माननीय मंत्री को चाहिये कि वे इन के बारे में विचार करें।

बाहर रहने का जो भत्ता डाकियों को मिलता है उसके बारे में भी दो माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इन डाकियों को जो महीने में २७ दिन घर से बाहर रहते हैं और सैकड़ों मील पैदल चलते हैं, महीने में कुल १ रुपया ५ आना भत्ता के रूप में मिलता है।

डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो छुट्टी भत्ता मिलता है उसके बारे में एक बात और कहनी है। डाकिया तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी छुट्टी के दिनों में काम करते हैं। केवल डाकियों तथा पैकरों को यह छुट्टी का भत्ता मिलता है अन्य को नहीं। यह विभेद क्यों है? जब सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य करते हैं तो सभी को यह भत्ता मिलना चाहिये। अतः इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं।

डाकियों को पहले वर्दी में साफ़ा दिया जाया करता था किन्तु अब उसे बन्द करके टोपी दी जाती है। गर्मी के दिनों में टोपी उसकी रक्षा नहीं कर सकती है। किन्तु सिख डाकियों को अब भी साफ़ा दिया जाता है, तो यह भेदभाव क्यों है? फिर जाड़ों में वर्दी के लिये गर्म कपड़ा दिया जाता है। कपड़ा तो वर्दी नहीं है। सिलाई के लिये नीलामी बोली जाती है दर्जी आता है और दो पैसे टोपी, छै आना पतलून, और तीन आना कोट की सिलाई तै करता है। । आप समझ सकते हैं कि क्या इस सिलाई के कपड़े उनके शरीर पर ठीक बैठ सकते हैं। । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डाकियों की ये मांगें बड़ी सीधी सादी हैं और यदि मंत्रालय चाहे तो बड़ी आसानी से इन शिकायतों को दूर कर सकता है।

जिन स्थानों पर ३० इंच से अधिक वर्षा होती है वहां डाकियों को छाता दिया जाता है। कहा जाता है कि पांच डाकियों के बीच एक छाता दिया जाता है। भला बताइये तो इस प्रकार काम कैसे हो सकता है?

राज्य कार्मिक संघ के उप-प्रधान के नाते मेरा निवेदन है कि डाकियों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी वर्दी की धुलाई के लिये कुछ भत्ता भी मिलना चाहिये। डाक ले जाने वाली मोटरों के कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिलती है। मैं कह नहीं सकता कि माननीय मंत्री जी को इसके बारे में पता है अथवा नहीं। इनकी शिकायतों तथा कष्टों के बारे में जब कभी हमने प्रश्न किया है हमें यही उत्तर दिया गया है कि 'ये विचा-

[श्री मुनिस्वामी]

राधीन' है। क्या वे वस्तुतः विचाराधीन हैं अथवा मंत्रालय को इनकी सूचना ही नहीं दी गई है ?

मुझे प्रसन्नता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भी डाक्टरी सहायता की व्यवस्था करने का विचार किया गया है।

जहां तक रियायती टिकटों (पी० टी० ओ०) का सम्बन्ध है यह समन्वय का मामला है तथा इसका यथास्थापन किया जा सकता है।

नौकरी दफ्तरों से केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ही नाम भेजे जाते हैं। डाकियों तथा डाकखाने के क्लर्कों को चूंकि प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ती है इसलिये इन के स्थानों की पूर्ति करने में नौकरी दफ्तरों से कोई काम नहीं लिया जाता है। नौकरी दफ्तरों के सम्बन्ध में बार बार कहा गया है कि यह बिल्कुल बेकार हैं।

विल्लूपुरम् तामिलनाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंकशन है। यहां के आर० एम० एस० दफ्तर में केवल ४५० वर्ग फीट स्थान है और १४ से लेकर २० आदमी तक उसमें काम करते हैं। कितने ही बंडल बाहर प्लेटफार्म पर पड़े रहते हैं। प्लेटफार्म के सिरे पर पर्याप्त खाली स्थान पड़ा हुआ है जहां आर० एम० एस० के लिये एक दफ्तर बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री तुरन्त ही रेलवे मंत्रालय को लिखेंगे तथा इसका प्रबन्ध करा देंगे।

डाक विभाग के कर्मचारियों को १६ दिन की छुट्टियां मिलती हैं परन्तु तार विभाग के कर्मचारियों को अथवा पोस्टल सिगनलर्स को केवल १२ दिन की ही छुट्टियां दी जाती हैं। इसके लिये एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने पांच रुपये दिये जाने की सिफारिश की थी। हम केवल एक ही कार्य कर सकते हैं और वह है न्यायाधिकरण की नियुक्ति अथवा समितियां तथा अधिक शक्ति वाले आयोग की नियुक्ति। परन्तु वास्तव में किया कुछ नहीं जाता है। पोस्टल सिगनलर्स को इस हानि की क्षतिपूर्ति अवश्य की जानी चाहिये।

श्री राज बहादुर : जहां तक संचार मंत्रालय के अधीन विभागों तथा डाक तथा तार विभाग के संचालन की कार्यकुशलता का प्रश्न है, अब तक की गई आलोचना के तीन भाग किये जा सकते हैं। कुछ वित्त प्रणाली से उत्पन्न होने वाली तथा केन्द्रीय जनवास्तु विभाग के कारण होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में कहा गया है। कुछ किसी क्षेत्र में डाक तथा तार की सुविधायें न होने के सम्बन्ध में कहा गया है। अधिकांश रूप से मजदूरों की शिकायतों के सम्बन्ध में कहा गया है। परन्तु यह हर्ष की बात है कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता के सम्बन्ध में कोई आलोचना नहीं की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी हमें डाक की व्यवस्था करनी पड़ती है। जब तक हमें ऐसे व्यक्ति न मिलें जो थोड़े समय के लिये यह कार्य कर सकते हों ऐसी व्यवस्था करना हमारे लिये कठिन है। ग्रामीण डाकखानों के पोस्टमास्टरों तथा डाकियों के पास इतना कार्य नहीं होता है कि वे पूरे समय कार्य कर सकें। इसलिये इस प्रकार के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को वही वेतन कैसे दिया जा सकता है जो पूरे समय काम करने वाले कर्मचारी को दिया जाता है। हम बहुधा इस सिद्धान्त की दुहाई देते हैं कि बराबर काम के लिये बराबर वेतन होना चाहिये। उस सिद्धान्त के अनुसार भी यही उचित है। ऐसे कर्मचारियों का वेतन उन के कार्य के

अनुसार ही होना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि विभागीय तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को समान क्रम से वेतन दिया जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व्यवस्था के प्रसार करने में भी भारी बाधा उत्पन्न होगी।

विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने शिकायत की है कि उम्मीदवारों के चालचलन की जांच करते समय कम्यूनिस्ट पार्टी के ही सम्बन्ध में क्यों सारी छानबीन की जाती है? ऐसी ही छानबीन अन्य दलों के सम्बन्ध में क्यों नहीं की जाती है? मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देश का कोई और राजनीतिक दल कर्मचारियों की वफादारी को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करता है। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे विभाग के किसी भी कर्मचारी का किसी भी राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध न हो। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि वर्तमान वित्तीय प्रणाली के कारण बहुत विलम्ब होता है। परन्तु हम संसदीय प्रणाली के अनुसार कार्य करते हैं इसलिये प्रत्येक व्यय के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाकर बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। इसीलिये उचित जांच तथा संमोदन भी आवश्यक है। अन्यथा जनसत्तात्मक ढांचा ही अन्त में ढह जायेगा।

कहा जाता है कि रेलवे वित्त अलग रखा जाता है परन्तु यह गलत है क्योंकि अनुच्छेद ११२ के अनुसार रेलवे सम्बन्धी वित्त तथा लेखा भारत सरकार के आय व्यय का एक अभिन्न अंग है। इसीलिये जितना भी राजस्व तथा व्यय रेलवे के अन्तर्गत होता है वह केन्द्रीय आयव्ययक में भी दिखाया जाता है। रेलवे की वित्त व्यवस्था में तीन प्रकार की निधियां होती हैं। एक होती है अवक्षयण रक्षित निधि; दूसरी राजस्व रक्षित निधि तथा तीसरी विकास निधि होती है। डाक तथा तार विभाग में भी अवक्षयण रक्षित निधि होती है परन्तु अन्य दो निधियां नहीं होती हैं। विकास निधि तो तार तथा डाक विभाग में भी होना चाहिये। जहां तक इन निधियों के संगठन तथा प्रबन्ध का सम्बन्ध है, वित्तीय आयुक्त रेलवे मंत्री के नियंत्रण के अन्तर्गत समझा जाता है परन्तु उसे कुछ और अधिकार प्राप्त हैं जिन के लिये वह वित्त मंत्री के नियंत्रण के अन्तर्गत भी रहता है। सारी परिस्थिति का विश्लेषण करने से अन्त में पता चलता है कि वित्तीय आयुक्त पर इस बात का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व है कि कोई भी प्रस्ताव योजना तथा परियोजना जो रेलवे आरम्भ करना चाहती है, सम्पूर्ण केन्द्रीय आयव्ययक के उपाय तथा साधनों की स्थिति के सदैव ही अनुकूल रहे। मैं मानता हूं कि इस सारी समस्या पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है परन्तु मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वित्त व्यवस्था का पूर्ण प्रथक्करण करना संभव हो सकेगा।

श्री जोशी ने कहा है कि बम्बई में केवल २५ डाकखाने खोलने का विचार किया गया है जब कि दूसरे सर्किलों में अधिक संख्या में डाकखाने खोलने का विचार है। बम्बई सर्किल में १९५१–५२ में ३३१ तथा १९५०–५१ में १५६ डाकखाने खोले गये थे। इसलिये यदि अन्य सर्किलों में बाद के वर्षों में अधिक डाकखाने खोलने का विचार है तो इसका कारण यह हो सकता है कि जिन को पहले देशी राज्यों के नाम से पुकारा जाता था उनके कुछ अविकसित क्षेत्रों का पुराना इतिहास तथा पृष्ठभूमि इसी प्रकार की है। इतने पर भी रत्नागिरी ज़िले तथा उन स्थानों के सम्बन्ध में जिनकी ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है हम उनके सुझावों का ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि किन किन ग्रामों तथा ग्राम समूहों में डाकखाने खोले जा सकते हैं। उनको संभवतः यह भ्रम है

[श्री राज बहादुर]

कि कुछ ऐसे भी ग्राम हैं जहां डाक का कोई प्रबन्ध नहीं है। पहले ऐसा होता था परन्तु अब देश में एक भी ऐसा ग्राम नहीं है जो किसी न किसी डाकिये के रौंद में सम्मिलित न हो। यह हो सकता है कि डाक सप्ताह में एक बार बांटी जाती हो। इसका कारण यह हो सकता है कि उस गांव का कोई पत्र ही न हो या वह ऐसा गांव हो जिसका कोई पत्र ही न आता हो तथा उसके लिये हमने कोई डाकिया नियक्त न किया हो।

श्री रघुबीर सहाय ने धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती हुई संख्या के सम्बन्ध में कहा है। सेविंग्ज़ बैंक, मनीआर्डर तथा बीमा की हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में की गई धोखाधड़ियों के कारण होने वाली हानि की कुल राशि १९५०–५१ में ५,७२,००० रुपया थी, १९५२–५३ में ६६५,००० रुपया थी, तथा १९५१–५२ में केवल ५,६७,००० रुपया थी। परन्तु लेनदेन की कुल धन राशि का विचार करते हुए धोखाधड़ी की प्रतिशतता १९५१–५२ में ०·०००७ प्रति शत थी। १९५२–५३ में यह बढ़ कर ०·०००८ प्रतिशत हो गई थी। १९५०–५१ में यह प्रतिशतता केवल ·००८ प्रति शत थी।

श्री लाश्कर ने आसाम में तारघरों के खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ कहा है। मैं समझता हूं कि उन्हें यह सुन कर हर्ष होगा कि आसाम के महा संचालक तथा मुख्य मंत्री ने आसाम में डाक तथा तार की सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में एक योजना बनाई है तथा इसके लिये जो प्रबन्ध किये जा रहे हैं उन से मुख्य मंत्री सन्तुष्ट हैं।

एक महिला सदस्या, श्रीमती सिन्हा, ने सहायक निरीक्षकों के सम्बन्ध में कुछ कहा है कि यह नया वर्ग क्यों बनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि डाकखानों की संख्या दूनी से भी अधिक हो गई है तथा डाकखाने के द्वारा होने वाले कार्य की मात्रा भी अत्यधिक बढ़ गई है। परन्तु निरीक्षक कर्मचारी वर्ग की संख्या में उसी हिसाब से वृद्धि नहीं हुई है जिस हिसाब से कि डाक तथा तार सुविधाओं में वृद्धि हुई है, तथा इसलिये हमें निरीक्षण के काम के लिये और व्यक्ति लेने हैं। बेकारी की समस्या को हल करने के लिये तथा तरुण व्यक्तियों को विभाग में लेने के सम्बन्ध में भी हमें यथोचित कोशिश करनी है। यदि उपयुक्त उम्मीदवार हैं तो वह प्रतियोगिता की परीक्षाओं में बैठ कर आ सकते हैं। क्लर्कों के भावी अवसरों के सम्बन्ध में आशंकायें प्रकट की गई हैं। मैं कह सकता हूं कि उन में से जो लोग ग्राह्य हैं वह प्रतियोगिता की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। जब हम सेवा में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना होता है कि देखभाल की अच्छी भली व्यवस्था रखी जाये। इस विषय के सम्बन्ध में हमें इस समय तक गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तथा यदि हम निरीक्षकों की नई श्रेणी बना रहे हैं तो हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना पड़ रहा है।

श्री मुनिस्वामी ने जो प्रश्न उठाये वे कर्मचारी यूनियन की बैठकों में प्रायः उठाये जाते हैं। उन्हें मालूम है कि इस बारे में मंत्रालय की कठिनाइयां क्या हैं। उन्होंने डाकियों के वेतन तथा पेन्शन नियमों की ओर निर्देश किया है, उन्हें मालूम है कि यह वेतन दर केन्द्रीय वेतन आयोग ने निश्चित किये हैं। हम कर्मचारियों की एक विशिष्ट श्रेणी के लिये इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्लर्कों की ५० प्रति शत

जगहें डाकियों के लिये रक्षित रखी गई हैं किन्तु इन्हें भर्ती नहीं किया जाता है । मैं निवेदन करता हूं कि यदि डाकिये मैट्रिक पास कर सकें अथवा विभाग की ओर से ली गई परीक्षाएं पास करें तो उन्हें क्लर्कों की जगहों पर भर्ती किया जाता है । अनसूचित जातियों अथवा अनसूचित आदिमजातियों के लिये भी यही शर्त है । उन्होंने शिकायत की कि पांच अथवा छै वर्षों की नौकरी के बावजूद डाकियों को स्थायी नहीं बना दिया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई डाकिया क्लर्क की हैसियत से काम करने के बावजूद भी स्थायी होने की परीक्षा पास नहीं कर सकता है, तो कार्यक्षमता की दृष्टि से क्या उस कर्मचारी को स्थायी बनाना उचित है ?

श्री मुनिस्वामी : कार्यक्षमता केवल परीक्षा पर ही निर्भर नहीं । आठ बरस तक नौकरी करने पर कैसे किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : और भी बहुत सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अधिकारी इन्हें अनावश्यक रूप से निकालना नहीं चाहते हैं । हम उन्हें परीक्षा में बैठने का बार बार मौका देते हैं। परन्तु चार पांच बार परीक्षा लेने पर भी जब वह पास नहीं हो जाता है तो हम उसे कैसे स्थायी बना सकते हैं। कार्यक्षमता की खातिर उन्हें स्थायी न भी बनाया जाना चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी ने नीलगिरी पहाड़ियों पर काम करने वाले कुछ डाकियों के भत्तों का प्रश्न उठाया । दो ही दिन पहले उन्होंने मेरे साथ इस मामले पर चर्चा की । उन्हें मुझे इस सम्बन्ध में अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने का मौका देना चाहिये था । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि वह न केवल गैलरियों में बैठने वाले व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं अपितु बाहर के कुछ लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं । उन्होंने कुछ इने गिने मामलों से आम निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया है । हो सकता है कि कोई ऐसा मामला हो जहां अधिकारियों ने विशेष ध्यान न दिया हो । परन्तु मैं कह सकता हूं कि जो भी कोई असंगत बात हमारी दृष्टि में आती है हम उसका निवारण करते हैं । इससे पहले ही कि कोई हमें कहे, हम इसका निवारण करते हैं । कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच मासिक बैठकों की जो व्यवस्था की गई है, वह सुन्दर ढंग से चल रही है । यदि यह कठिनाइयां किसी भी बैठक में पोस्ट मास्टर जनरल के समक्ष रखी गई होतीं तो उसने इन्हें दूर किया होता ।

हो सकता है कि जिस विशेष स्थान का उन्होंने जिक्र किया है वहां डाकिये को दस दिन के अन्दर १२० मील का चक्कर काटना पड़ता हो । अर्थात्, उसे १२ मील प्रति दिन चलने पड़ते होंगे ; छै मील आने के तथा छै मील जाने के । उन्होंने बताया कि उसे स्टेशन से बाहर रहने का एक रुपया पांच आना प्रति मास भत्ता मिलता है । मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने यह आंकड़ा कहां से लिया । मेरी राय में उन्हें गलत सूचना दी गई है ।

उन्होंने टोपियों तथा पगड़ियों के प्रदाय का प्रश्न उठाया । उन्होंने शिकायत की कि जब कि सिख कर्मचारियों को पगड़ी पहनने दी जाती है, अन्य कर्मचारियों को यह पहनने नहीं दी जाती है । । दक्षिण में लोग प्रायः नंगे सिर चलते हैं । उत्तर में भी इन्हें कम प्रयोग में लाया जाता है । इसके अलावा इन पगड़ियों से और भी काम लिये जाते थे ।

प्लेटफार्मों पर भीड़ की बात कही गई । मैं इस बात से सहमत हूं कि प्लेटफार्मों में सुधार करने तथा इनकी गुंजाइश बढ़ाने की

[श्री राज बहादुर]

बड़ी आवश्यकता है। परन्तु इन सुधारों में समय लगेगा।

श्री नम्बियार: छातों के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री राज बहादुर: छाते प्रदाय करने की आवश्यकता इस बात पर निर्भर है कि किसी विशिष्ट स्थान में कितनी वर्षा होती है। यह कहना कि तीस इंच वर्षा एक ही दिन अथवा एक ही घंटे में होती है, कल्पनातीत है। मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं जब कि तीस इंच वर्षा एक ही दिन में हुई हो।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना): उपाध्यक्ष जी, यों तो मैं धन्यवाद देने की परिपाटी में विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार यदि कोई अच्छे कार्य करती है तो उसके लिये यह करना उसका कर्तव्य है। यह अवश्य है कि यदि कोई त्रुटियां हों तो उनकी ओर ध्यान दिलाते हुए उन को सुधारने के सुझाव बतायें जिससे कि उन में सुधार हो सके, लेकिन फिर भी सद्गुणों और कार्यों को हमें संसद् के समाने रखना चाहिये। इस दृष्टि से जब मैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कार्यों पर नज़र डालता हूं तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिसको लेकर हम इस पर वह प्रहार करें कि जो दूसरे माननीय सदस्यों ने किया है।

डिफेंस की मांगों पर बोलते हुये मैं ने यह सुझाव आपके सामने रखा था कि हमारे देश की रक्षा के लिये हम को सैकिंड लाइन आफ डिफेंस की आवश्यकता है। उसी आवश्यकता के आधार पर मैं आज यह कहना चाहता हूं कि इस देश के पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने, और यातायात विभाग ने यहां जो सबसे पहला और उच्चतम कार्य किया, वह किया यहां के हवाई जहाज़ का राष्ट्रीयकरण। जब देश पर आक्रमण होता है तो सब से पहले जो कार्य मुल्क में करना पड़ता है वह है हवाई जहाज का कार्य। हवाई जहाज के कार्य में जो मदद मिल सकती है वह हमारे सिविल एविएशन विभाग की तरफ से ही मिल सकती है और उसके हवाई जहाजों से ही हम डिफेंस के लिये परिणत कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो अब हमारा प्लान चल रहा है, सिविल एविएशन में, उसको इस रूप में चलायेंगे कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हम सैकिंड लाइन आफ डिफेंस के रूप में अपने इस यातायात विभाग के हवाई जहाज़ों को ले सकें।

मैं अपने मिनिस्टर साहब को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि यह राष्ट्रीयकरण का कार्य उन्होंने सब से पहले किया। अभी इस प्रश्न पर बोलते हुए एक माननीया सदस्या ने हाउस में कहा कि यह बड़ी गलत बात है कि इतने दिन होने के बावजूद भी इसमें इतना बड़ा डेफिसिट हो गया है। मैं उनको बतलाऊं कि वह मेरा ही प्रश्न था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया था कि इस तरह की डेफिसिट इतने बड़े राष्ट्रीय उद्योग में साधारण सी बात है। यह देश का पहला एक्सपेरीमेंट है और उसमें घाटा होना स्वाभाविक है और तिस पर वह घाटा इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिये हम सब इतने घबड़ा जायें और इसलिये अगर घाटे के लिये ही मंत्री महोदय को कहा जाता है कि मैं उन के घाव पर मरहम नहीं लगाऊंगी, बल्कि नमक लगाऊंगी तो मुझे तो इस पर आश्चर्य और दुःख होता है। एक सदस्या महोदया ने जो यह कहा कि मैं माननीय मंत्री के घाव पर नमक छिड़कूंगी, तो मुझे बरबस कवि का एक शेर याद आ गया जो इसी मौके के लिये मानो लिखा गया था :

नमक छिड़को, नमक छिड़को, मज़ा इसमें भी आता है ।

कस्म ले लो नहीं आदत, मेरे ज़ख्मों को मरहम की ॥

मैं समझता हूं कि यह आदत सरकार को ही है कि नमक भी उनको मदद करता है । अब मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ ज्यादा नहीं कहना है । मैं सिविल एविएशन विभाग के बारे में कुछ और अर्ज़ करना चाहता हूं ।

यह विभाग जो अभी बढ़ाया जा रहा है, इस कार्य में बहुत सावधानी की आवश्यकता है । आज हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पड़ोसी राष्ट्र अपनी प्रतिरक्षा पर बहुत बड़ी बड़ी रकमें खर्च कर रहे हैं । आपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को यू० एस० ए० की सहायता उपलब्ध हो रही है, हमारे लिये यह बहुत आवश्यक है कि अपने सिविल एविएशन विभाग में इस तरह से व्यवस्था करें और प्लान करें कि यदि आवश्यकता पड़े तो हम अपने सारे यातायात को हवाई जहाज़ों को डिफेंस में लगा सकें और मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है, मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूं कि इस ११ महीने के अर्स में कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिसकी वजह से हम यह कह सकें कि हमें कोई घबड़ाने या परेशान होने की आवश्यकता है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इसके बाद मैं पोस्ट और टेलीग्राफ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के वर्षों में इस विभाग द्वारा अपनी दो हजार आबादी पर डाकखाने खोलन की स्कीम को पूरा करने के हेतु कुछ डाकखाने खोले गये हैं या खोलने का विचार किया जा रहा है । मैं शुरू में ही अर्ज़ कर दूं कि मैं ग्रुप विलेजेज में पोस्ट आफिसेज़ खोलने के लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद नहीं दूंगा । मैं तो उनको उस दिन दिल खोल कर धन्यवाद दूंगा जिस दिन देश के हर एक गांव में मेल जाया करेगी । इस प्लान को हम आसानी से चला सकते ह । हम जानते हैं कि हर ज़िले में तहसील हैं और थाने हैं और वह थाने भी कुछ हलकों में बंटे हुए हैं । अगर पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ डिपार्ट-मेंट ऐसा प्रबन्ध करे कि उस थाने के हर एक हल्के में वे एक पोस्ट आफिस देने का काम करे तो मेरा खयाल है कि यह काम आसानी से हो सकता है । मिसाल के तौर पर महागामा का थाना ले लीजिये । इसमें ५०, ६० या ७० छोटे छोटे हल्के हैं और एक हलके में १६, १७ गांव पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अभी आपने पोस्ट आफिस खोले हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर पचास हैं तो वहां दस देकर के कुछ पोस्ट आफिसों को हस्तान्त-रित करके हम हर एक हलके को एक पोस्ट आफिस दे सकते हैं और हम ऐसा इन्तजाम कर सकते हैं कि हर एक पोस्ट आफिस के अन्दर सोलह, सत्तरह गांव पड़ें और मेरी समझ में उसका एरिया ११ स्क्वायर मील से अधिक नहीं होगा, ऐसी हालत में हम हर एक गांव में एक दिन में मेल दे सकते हैं । मेरा खयाल है कि अगर इस स्कीम को जारी करें तो हम देश के हर एक गांव में उसी दिन मेल दे सकते हैं और जब हम यह कर सकेंगें तब आप सचमुच देश के हर एक नागरिक और इस सभा के हर एक सदस्य के धन्यवाद के पात्र होंगे । इस योजना को चलाने में जहां तक आर्थिक प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस स्कीम को कार्यान्वित करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी और न कोई असाधारण खर्च बढ़ने वाला है । एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट्स के लिये ६०, ६१ रुपये की ज़रूरत पड़ती है और जहां तक हम लोगों

[श्री भागवत झा आज़ाद]

का तजुर्बा है इस ६०, ६१ रुपये में १०, १२, या १३ रुपये से ज्यादा का घाटा नहीं पड़ता है और काम की आवश्यकता को समझते हुए इसकी सहज में पूर्ति की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस स्कीम को लागू करने में कोई विशेष आर्थिक कठिनाई नहीं पड़ने वाली है, इस स्कीम को हम आसानी से कार्यान्वित कर सकते हैं।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री का ध्यान बिहार के कुछ विशेष प्रश्नों की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि आपने गांवों की दशा काफी सुधारने का प्रयत्न किया है और कई स्कीम्स भी एनाउन्स की हैं और कहा है कि हमारा ध्येय है कि हर एक थाने में टेलीग्राफ और टेलीफोन की व्यवस्था हो, लेकिन आज तक हम यह तार और टेलीफोन की सुविधा वहां नहीं पहुंचा पाये हैं। इस सिलसिले में मैं बिहार के संथाल परगना की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि एक बैकवर्ड ज़िला है। गोड्डा में टेलीग्राफ अफिस है जो कि एक सिरे पर, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और दूसरा पिरपेंती जो उत्तरी ध्रुव में है, वहां पर टेलीग्राफ आफिस है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई टेलीग्राफ की व्यवस्था नहीं है, कोई लिंक नहीं है, इन के बीच में थाने हैं और महागामा पथरगामा जैसे बड़े शहर पड़ते हैं, मेरी मांग है कि आप टेलीग्राफ आफिस पत्थरगामा में खोलिये, महागामा में खोलिये, ईसीपुर में खोलिये, और इस तरह गोड्डा से पिरपेंती तक एक टेलीग्राफ लाइन हो जायेगी, इसको हम एक में कनेक्ट कर दें। अगर आप इस तरह का काम करेंगें तो उस भू भाग का और देश का हर एक आदमी आपका कृतज्ञ होगा।

इसके अलावा मेरा मत है कि बिहार में जो पोस्टल डिवीज़न्स हैं उनका पुनः संगठन किया जाय। उदाहरण के लिये कोसी डिवीज़न की एक अपनी समस्या है। मुझे उस पर अधिक ज़ोर नहीं डालना है। मेरी गुजारिश है कि सहरसा और पूर्णिया को मिला कर एक अलग डिवीज़न बनाइये। इसी तरह संथाल परगना का एक अलग डिवीज़न बनाइये और उसका हेडक्वार्टर दुमका रखिये। इसको मुंगेर से टैग करना मेरी समझ में गलत है, अगर इसे मिलाना है तो भागलपुर में मिलाइये। अगर संथाल परगना का डिवीज़न स्वयं नहीं मिल सकता है तो भागलपुर से मिलाइये, भागलपुर में हेडक्वार्टर रहने पर विशेष सुविधा रह सकती है।

अब अन्त में मैं और अधिक न कह कर एक कटु शब्द अपने बिहार के पी० एम० जी० के कहने के लिये बाध्य हूं। वहां का काम किस तरह गलत तरीके का है उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मुझे संसद् में इस तरह की छोटी सी बात का ज़िक्र करते हुए शर्म महसूस होती है कि मैं सदन का उसे बतला कर समय ले रहा हूं। बात यह है कि कस्बा दुधीचक के पोस्ट आफिस का एरिया बहुत बड़ा है, काफी गांव उसके अन्दर हैं, पच्चीस गांव उस के अन्दर पड़ते हैं और उसके लिये कुल दो हैंड्स दिये हैं, एक पोस्टमैन और एक पोस्टमास्टर जो कि काम को देखते हुए बिल्कुल नाकाफी है, और उस पोस्ट आफिस में वह दो हैंड्स काम को निबटा नहीं सकते, मैंने यह कठिनाई आपके डिपार्टमेंट के सामने पहले भागलपुर में रखी और मने एक ऐक्स्ट्रा हैंड के लिये लिखा जिसके लिये मुझे यह जवाब मिला कि इस पर विचार किया जायेगा। उसके डेढ़ महीने बाद जब मैंने फिर यहां से लिखा तो पी० एम० जी० ने यह मुझे लिख कर भेज दिया : इस पर विचार हो रहा है, आदि।

इस तरह के उत्तर आने के बाद भी पांच महीने हो गये। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि एक संसद् का सदस्य जिस मामले को आपके पी० एम० जी० के डिपार्टमेंट के सामने रखता है, पांच महीने हो जाने के बाद भी उसका कोई निदान नहीं हो सका ? मैं यह नहीं कहता कि आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल अपनी नीति को छोड़ दीजिये, लेकिन आप कहिये तो कि यह हमारे लिये संभव नहीं है। अगर आप यह भी नहीं कह सकते हैं तो कैसे काम चल सकता है ? अगर आप की यही नीति रही तो छोटे छोटे प्रश्न भी इस तरह से हल नहीं हो सकते हैं, यह मुझे कहना पड़ता है।

मैं ने आपके सामने मरड़ो, प्रतापपुर, दिघ्घी सीमानपुर सूंडमारा, बसंतराय आदि दो चार पोस्ट आफिसों का मामला भी रखा था, लेकिन इसके लिये भी आपने कुछ नहीं किया। वहां पर इन्क्वायरी आती है, आपके इन्सपेक्टर जाते हैं और देख आते हैं, लेकिन फिर भी इन के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जाता है। बिहार के पी० एम० जी० के डिपार्टमेंट की नासमझी और इन्डिफरेन्स की नीति से हमें जो हानि उठानी पड़ती है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप कोई कार्य-वाही शीघ्र ही करें। मैं समझता हूं कि चूंकि आप हमारी भावना को समझते हैं, इसलिये इन के सम्बन्ध में इतना ही कह देना काफी होगा।

मैंने जिन जिन पोस्ट आफिसो का नाम लिया है, उसके लिये कोई इन्क्वायरी नहीं हुई, मैं ने जिन जिन विभागों की ओर आपका ध्यान दिलाया, उन के लिये कुछ नहीं हुआ। मैं ने इस हाउस में एक प्रश्न किया गोड्डा के बारे में। आपके मंत्री महोदय ने कहा था कि यह काम हो गया है, लेकिन मैं इस गोड्डा का ही रहने वाला हूं। आज भी वहां मेल, ठीक समय पर नहीं पहुंचती है। इस सदन में सवाल के जवाब में मुझे बतला दिया गया कि वहां पर काम ठीक हो रहा है, मेल जा रही है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर आज भी मेल नहीं पहुंच रही है।

अब मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा और इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर उत्तर-पश्चिम) : सभापति जी, अभी डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने जो कुछ आपके सामने बातें रखी हैं, उन से मुझे संतोष नहीं हुआ। अभी एक माननीया सदस्या ने ऐसिस्टेन्ट इन्सपेक्टरों की बहाली के सम्बन्ध में जो ज़िक्र किया था, उसका जो उत्तर मिला, उससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मुझे बिहार से एक तार मिला था कि ऐसिस्टेंट इन्सपेक्टरों की बहाली की जा रही है, लेकिन जो पुराने ऐसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स इम्तहान पास कर के बैठे हुए हैं उन को जगह नहीं दी जाती है। मेरा हमेशा से यह तरीका रहा है कि जब कभी कोई इस तरह की शिकायत आती है तो मैं उसे हेड आफ दी डिपार्टमेंट के पास भेजता हूं, और वहां से जो उत्तर मिलता है, उसी पर संतोष करता हूं। मैं ने इस शिकायत को डी० जी० के पास भेजा, उसके बाद खबर आई कि सरकार ने आखिरी फैसला कर लिया है, इसमें कुछ भी हो नहीं सकता। उस वक्त मैं ने यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की मिनिस्टर साहब के द्वारा कि क्या इसकी जांच की गई है। मुझे पता चला कि उन्होंने जांच की है तथा उसके बाद उन्होंने फैसला किया है। मुझे माननीय मंत्री जी में विश्वास है, इसलिये मैं ने इसका पुनः जिक्र

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

नहीं किया और न फिर उन से इस बारे में मैं ने बातें करने की कोशिश की क्योंकि मैंने समझा कि जो उन्होंने कुछ किया होगा, सोच कर ही किया होगा। मजदूरों का हित सोच कर ही किया होगा। मजदूरों का हित उन के दिल में रहता है, वे मजदूरों के सेवक रहे हैं, नेता रहे हैं, उन के शासक रहे हैं, इसलिये उनके हितों को वे जानते हैं। लेकिन इधर कई दिनों से मैं ने देखा कि दूर दूर के प्रान्तों से, दूर दूर के राज्यों से, इसी सवाल को लेकर मेरे पास लोग आ रहे हैं। और उन से बातें करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यह बात बिहार पर ही लागू नहीं है, सिर्फ उसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ है बल्कि देश पर। जिन लोगों ने मुझे यह बात कही थी, वह मेरे मित्र थे। और मैं ने समझा कि मित्रता की भावुकता में बह कर इस मामले को मुझे दूर तक नहीं ले जाना चाहिये। इसी लिये मैं चुप रहा। लेकिन मैं आज माननीय मंत्री से यह कह देना चाहता हूं कि सारे देश में इस के लिये घोर असंतोष है, घोर क्षोभ है। जब तक आप जो पुराने ट्रेन्ड इन्स्पेक्टर्स हैं उन को इन्स्पेक्टर बना देते हैं, तब तक आपका सुपरवाइजरी स्टाफ बढ़ाना मुझे तनिक भी न्यायसंगत नहीं मालूम होता। यह ठीक बात है कि सुपरवाईजरी स्टाफ कम है, इन्स्पेक्टर्स कम हैं, आप इन्स्पेक्टरों को ज़रूर बहाल कीजिये। आप अनएम्प्लायमेंट का सवाल हल करना चाहते हैं शौक से हल कीजिये। अनएम्प्लायमेंट का सवाल बहुत कुछ हल हो सकता है, लेकिन जो इन्स्पेक्टर्स बैठे हुए हैं उन को आप जगह दीजिये और उनकी जगहें जो ख़ाली हों, उन पर दूसरों को लीजिये। इस तरह से अनएम्प्लायमेंट कम हो सकता है, इन्स्पेक्टर्स आप के पास कम हैं, तो आप अपने स्टाफ में से लीजिये, आपको सुपरवाइजरी स्टाफ की ज़रूरत है, तो इस तरह से उसमें कमी तो नहीं होती। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में जो दलील दी है वह बिल्कुल लचर है और मुझे युक्तिसंगत नहीं मालूम होती। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि देश में कर्मचारियों के बीच में, जनता में, माननीय सदस्यों में, इस सम्बन्ध में जो भाव हैं, उनका खयाल करके वे पुनः इस बात पर विचार करें। मैं समझता हूं कि इस तरह के कर्मचारी बहुत ज्यादा नहीं होंगे जिन के लिये उनको न्याय करने की ज़रूरत पड़ेगी।

६ म० प०

एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट्स के सम्बन्ध में हमारे राज बहादुर जी ने अभी "ईक्वल पे फार ईक्वल वर्क" का सिद्धान्त रखा है। वे कहते हैं कि इन लोगों को एक दो घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन मैं इस बात को साफ तौर से कहना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट के सम्बन्ध में अफसरों से मैं ने पूछा था। उन्होंने कहा कम से कम पांच घंटे उन लोगों को काम करना पड़ता है। मुझे यह बात बतलाई गई थी। एक या दो घंटे की बात बिल्कुल गलत है।

श्री राज बहादुर : पांच घंटे तक का लफ्ज़ है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : हां, पांच घंटे तक। लेकिन जहां पांच घंटे तककहा जाता है, वहां यह मिनिमम होता है। मैं ने उन से 'पांच घंटे तक' के माने पूछे थे। उन्होंने कहा कि उससे कम नहीं। पूरे पांच घंटे। अगर मिनिस्टर साहब यह कहें कि थोड़ा सा काम करने के बाद, अर्थात् एक दो घंटे काम करने के बाद वे लोग स्कूल में काम कर सकते हैं, तो बीस रुपये में उनका काम चल जाता

है। देहात में हो सकता है लेकिन साथ साथ एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल पोस्ट आफिस शहरों में भी काम कर रहे हैं। शहरों में कोई भी आदमी बीस रुपये में नहीं मिलेगा खास तौर पर उस समय जब कि उनको ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। इसलिये शहरों के लिये कम से कम आप ऐसा इन्तजाम कीजिये कि जहां आप ई० डी० ए० रखें वहां उनको उतने पैसे दें जितने कि मिनिमम वेज के मुताबिक देने चाहियें। जब हमारे मिनिस्टर साहब लेबर में थे तो उन्होंने ट्राइब्यूनल से फैसला करवाया था कि कम से कम मिनिमम वेज सब को क्या मिलनी चाहिये। इन लोगों को भी आप कम से कम उतना दें।

दूसरी बात जो ई० डी० ए० के बारे में है वह भी मैं कह देना चाहता हूं। चुनाव के सिलसिले में मैं जब मैं देहात में घूम रहा था तो कुछ लोगों ने सड़क बनवाने के सम्बन्ध में मुझ से कहा कि आप इस के लिये कोशिश क्यों नहीं करते। मैं ने कहा, भाई जहां हम जा रहे हैं, पार्लियामेंट में, वहां इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं ? जब एक ई० डी० ए० पोस्ट मास्टर आये और उन्होंने कहा कि आपको हम लोगों से तो सरोकार होगा, इसलिये हमारी बात आप वहां जा कर कहियेगा। मैं ने कहा कि मैं चुन लिया जाऊंगा तो मेरे पास खत लिखना, मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं ने उन को आश्वासन दिया था अब चूंकि हमारे माननीय मंत्री जगजीवन राम इस विभाग में हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि उनको इन्साफ ज़रूर मिलेगा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं ने देखा कि सन् १९३२ में एक सर्कुलर हुआ, सन् १९४८ में उसको फिर दोहराया गया, उसमें बताया गया है कि ई० डी० ए० में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले पांच पोआयन्ट बाद एक एक पोआयन्ट के लिये एक एक रुपया मिलेगा और वह १५ रुपये तक होगा, लेकिन मिनिमम १० रुपया ज़रूर होगा। दो वर्ष तक हम कुछ नहीं बोले, दो वर्ष बाद हमने आन्दोलन किया इस के लिये, उसके बाद यह जो मिनिमम १० रु० डिअरनेस था वह दिया गया। लेकिन पोआयन्ट के अनुसार वेतन में वृद्धि की जो बात थी, उसको अब तक कार्य-रूप में नहीं लाया गया। मैं समझता हूं इसके लिये कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन आपने वादा किया है, सर्कुलर भेजा है, जो कई साल पहले का है, उसको पूरा कीजिये। थोड़े पैसे की चिन्ता न कीजिये।

ई० डी० ए० के पांच साल में उन्हें पोस्टमैन की परीक्षा में शामिल होने का हक दिया जायेगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि अब तक ई० डी० ए० वालों को पोस्टमेन की परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। उन को क्यों खबर नहीं दी गई। आप इस की खबर उन लोगों को दीजिये. उन से दरख्वास्त लीजिये और उनको परीक्षा में शामिल कीजिये। आप जिस नीति की घोषणा करते हैं, अगर उसको काम में नहीं लाते हैं तो फिर घोषणा करने से फायदा ही क्या है ?

अब मैं आप के सामने कुछ सिविल एविियेशन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उन लोगों ने अपने वेतन के सम्बन्ध में, रहने के सम्बन्ध में, अपने बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में और अन्य मांगों के सम्बन्ध में एक एक्स्पर्ट कमेटी की मांग की थी। अभी कुछ दिन पहले हमारे मंत्री महोदय ने कलकत्ता में इस बात का आश्वासन दिया था कि उन के बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम होगा, उनके लिये मेडीकल फैसीलिटीज़ का इन्तजाम होगा लेकिन आज तीन महीने गुजर गये और कुछ भी नहीं हुआ। वे लोग चाहते हैं कि एक एक्स्पर्ट कमेटी बिठाई जाय।

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

उनको उत्तर मिलता है कि पे कमीशन ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिये फैसला कर दिया है और वही उन पर भी लागू होगा। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब यह भूल जाते हैं कि सन् १९४७ में सिविल एवियेशन विभाग में बहुत थोड़े कर्मचारी थे और इसलिये उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। इसके अलावा उनका जो काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे विभागों का जो काम है उसमें बड़ा अन्तर है। उन लोगों की बहुत सी मांगें हैं जिनका आप फैसला नहीं कर रहे हैं। उन मांगों का फैसला बगैर एक एक्सपर्ट कमेटी के नहीं हो सकता। आप उन से इंटरनेशनल स्टेंडर्ड्स के मुआफिक काम लेना चाहते हैं लेकिन वेजेज उतनी नहीं देना चाहते। इस के लिये एक एक्सपर्ट कमेटी बिठानी चाहिये। पोस्टल एम्प्लाईज़ की मांग है कि पे कमीशन की रिपोर्ट में २८ एनामलीज़ हैं। उन में से तीन को तो आपने खत्म कर दिया है लेकिन २५ एनामलीज़ अभी आपने खत्म नहीं की हैं। इसके लिये वे चाहते हैं कि आप उनको एक ट्राइबुनल दें। पिछली बार प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी ने प्रश्न किया था कि यह पब्लिक यूटीलिटी कनसर्न है या कमर्शियल कनसर्न है तो आपने कहा था कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के और कर्मचारियों के साथ व्यवहार होगा वैसा ही उनके साथ भी होगा। लेकिन रेलवे के कर्मचारियों को तो एक ट्राइबुनल मिला हुआ है जिसके सामने वे अपनी बात रख सकते हैं। तो क्या कारण है कि जब पोस्टल एम्प्लाईज़ इसलिये एक ट्राइबुनल की मांग करते हैं जो उनकी एनामलीज़ को दूर कर सके, तो वह नहीं नियुक्त किया जाता। आप उन के साथ वह कानून क्यों नहीं बरतते जो कि और मजदूरों के लिये है। आप तो बहुत बड़े एम्प्लायर हैं और इसलिये आपको तो आदर्श होना चाहिये। आप अपने एम्प्लाईज़ के लिये खुद जज कैसे बन सकते हैं। आप तो मालिक की गद्दी पर बैठे हुए हैं। ऐसी हालत में आपको एक ट्राइबुनल नियुक्त करना चाहिये जो कि उन की मांगों पर विचार करे।

कुछ दिन पहले एक ग्रेड स्केल बनाया गया था। उसके अनुसार दो ग्रेड बनाये गये थे, एक फर्स्ट और एक सैकिंड डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न का ग्रेड ६८ रुपये से १७० रुपये तक और सैकिंड डिवीज़न का ५५ रुपये से १३० रुपये तक था। फर्स्ट डिवीज़न का स्केल ८० से २०० रुपये कर दिया गया था और इसी सिलसिले में जो लोग फर्स्ट डिवीज़न में थे उन में कुल लोगों को सैकिंड डिवीज़न में कर दिया गया। पहले फर्स्ट और सैकिंड डिवीज़नों का अनुपात ८० और २० का था, पर इस नये कायदे के अनुसार वह ५० और ५० फी सदी कर दिया गया और इस तरह से जो फर्स्ट डिवीज़न में थे उन में से कुछ को सैकिंड डिवीज़न में रख दिया गया और जिन को ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिये थी उनको कम मिलने लगी। आज तक हिन्दुस्तान में और बाहर भी बहुत से ट्राइबुनल बैठे, पे कमीशन भी बैठी, लेकिन ऐसा फैसला आज तक किसी ने नहीं किया कि जो बड़ी ग्रेड में हों उसको छोटी ग्रेड में ला दिया जाय और जिसको ज्यादा तनखाह मिलती हो उसको कम कर दी जाये। मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की ज्यादती उन के ऊपर हो रही है। यह मामला थोड़े ही आदमियों का है। यह लीव रिज़र्व वालों का मामला है जो कि १४ पर सेंट हैं। यह फर्स्ट डिवीज़न में काम करेंगे लेकिन उनको तनखाह मिलेगी सैकिंड डिवीज़न की। यह कहां का न्याय है कि वह काम तो ज्यादा जवाबदेही का करें और तनखाह उनको नीचे दरजे की दी जाय। ऐसा तो आज तक किसी जज ने

या ट्राइबुनल ने फैसला नहीं किया है, हिन्दुस्तान में या किसी और देश में। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब जो कि लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं वह इस पर ध्यान दें। उन के सामने ऐसी बातें हो रही हैं यह बड़े खेद की बात है।

श्री गणपति राम (जिला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : चेयरमैन महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दिया जाय। बनारस एअरोड्रोम के आस पास के गांव वालों की पांच सात साल की कुछ शिकायतें हैं। उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : पांच मिनट मांगने के लिये पहले तो आप पांच मिनट स्पीच देना चाहते हैं। मैं आपको समय देता लेकिन मजबूरी है समय नहीं है। अगर मैं मिनिस्टर साहब को न बुलाऊं तो सारी बहस ही व्यर्थ हो जायेगी। इसलिये मजबूरी है।

श्री आर० के० चौधरी : मैं आदर के साथ कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का नाम पुकार रहा हूं।

श्री आर० के० चौधरी : उस दिन मुझे अपना भाषण बीच में ही समाप्त करना पड़ा।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं इस विषय में कुछ बात नहीं सुनना चाहता।

श्री आर० के० चौधरी : मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपको मेरे बोलने में क्या आपत्ति है। अपने नाम की चिट मैं ने पहले ही भेज दी थी।

सभापति महोदय : केवल इसलिये कि दूसरे व्यक्ति का नाम पुकारा जा चुका है।

श्री आर० के० चौधरी : जब भी मैं बोलना चाहता हूं, यही होता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और असैनिक उड्डयन विभाग के बारे में कुछ कहूंगी क्योंकि सारी बहस में अधिकतर केवल डाक तथा तार विभाग के बाबत ही कहा गया है।

सदन को यह सुन कर बड़ी उद्विग्नता हुई कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन भारी हानि उठा रहा है। मुझे आशंका है कि इसका कारण कीटाणुयुक्त राष्ट्रीयकरण की प्रविष्टि है।

विमान निगम विधेयक के पारित होते समय हमने यह बताने का प्रयत्न किया था कि इस तरह के राष्ट्रीयकरण से स्वयं 'राष्ट्रीयकरण' शब्द के प्रति अन्याय हो रहा है। सब से आरम्भ में हमारे यहां दो निगम थे। मुझे स्मरण है मैं ने उस समय कहा था कि कदाचित देश के भीतरी विमान मार्ग में भारी हानि उठानी पड़े। ऐसी अवस्था में दोनों को साथ साथ कर देने और एक का दूसरे के साथ संतुलन कर देने पर ही अधिकतम लाभ हमारे अधिकांश व्यक्तियों को मिलेगा आज यही हो रहा है। जैसा माननीया श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने बताया कि इंडियन एयरलाइन्स को सुचारु ढंग से चलाने में आवश्यक कुछ कार्य इसलिये नहीं किये गये कि वह श्री टाटा के हितों के विरुद्ध थे। अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि हमसे कहा जाता है कि इतनी अधिक हानि हुई है। हानि का कारण यह है कि उसमें विलीमीकरण और राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। मैं श्री जयपाल सिंह से सहमत हूं कि राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। यह किस तरह संभव है कि दिल्ली की विभिन्न एयरलाइन्स में विद्यमान सब प्रबन्धकर्ता और उपप्रबन्धकर्ता-

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

ओं को हम नियोजित कर सकते हैं। मेरा विचार है कि इन में से कुछ प्रादेशिक प्रतिनिधि कहलाते हैं, कुछ उप प्रादेशिक प्रतिनिधि और अन्य रेजीडेंट प्रतिनिधि के नाम से सम्बोधित होते हैं। इन व्यक्तियों के लिये स्थान ढूंढने के उद्देश्य से एक समूचे वर्ग की रचना की गई है। उन पर हज़ारों रुपया खर्च किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिनके स्वयं अपने हित उड्डयन में निहित हैं। हानि का कारण यही है। श्री मुकर्जी के चले जाने का कारण भी यही है। दोनों निगमों को मिला देने और विभिन्न हितों को संतुष्ट करने के कार्य उनसे एक साथ नहीं हो सकते थे।

हमें अभी भी दोहरा काम करना पड़ता है। दिल्ली में हमारे चार वर्कशाप हैं और बम्बई में भी एक वर्कशाप है जो एयर इंडिया इंटरनेशनल और एयर इंडिया कारपोरेशन दोनों का काम करता है। हमें देखना चाहिये कि कहां पर त्रुटि है। इन सब कार्यों के ठीक तरह न चलने का क्या कारण है ?

श्रीमान्, मैं मंत्री महोदय से जनरल मैनेजर के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछना चाहती हूं। इसका क्या कारण है कि श्री मोरे के सदृश प्रतिभावान व्यक्ति को इसे छोड़ कर जाना पड़ा। आज श्री टाटा को इसका सम्मान दिया जाता है, लेकिन आरम्भ में श्री मोरे ने ही इसका निर्माण किया है।

इसके बाद अननुसूचित एयरलाइन्स का प्रश्न है। हमने बंगाल आसाम क्षेत्र में इसकी अनुमति दी है। यह देखने के स्थान पर कि हमारी इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन इसे किस प्रकार चला सकती थी हमने अननुसूचित एयरलाइन्स को इसकी अनुमति दे दी है। कई अवसरों पर एयरक्राफ्ट खड़े कर दिये गये हैं और हम देखते हैं कि अननुसूचित एयरलाइन्स को सामान ले जाने की अनुमति दी गई है।

सबसे प्रमुख प्रश्न हवाईजहाजों के पेट्रोल का है। विमान परिवहन जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि पेट्रोल की दर भारत में आस्ट्रेलिया से भी अधिक ऊंची है, जो कि उत्पादन के स्रोत से अधिक दूर है। जिन समवायों को हमने इतनी सुविधायें दे रखी हैं उन से हमें कम से कम यह आशा तो करनी चाहिये कि उनका व्यवहार औचित्यपूर्वक हो। स्वयं मंत्रियों द्वारा बताये गये आंकड़ों से प्रकट होता है कि कीमतें बढ़ गई हैं। जब तक हम तेल समवायों का पेच नहीं कसते हैं, उक्त हानि दूर नहीं हो सकती। अभी हाल में मिश्र ने रूमानियां से एक व्यापार करार किया और इस प्रकार उन्होंने विश्व के बाजार में जो कीमत थी, उससे १६ प्रति शत कम में पेट्रोलियम प्राप्त किया। इण्डियन एयरलाइन्स के लिये तो इस में लाखों रुपयों की बचत का प्रश्न है। सन् १९४७ में केवल विमान में प्रयोग किये जाने वाले पेट्रोल के कारण ही ३७·७६ लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी। इसके लिये किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता है। सरकार की समूची नीति इसके लिये उत्तरदायी है। श्रीमान्, मंत्री महोदय इस समस्या को हल नहीं कर सके हैं प्रत्युत यह और भी जटिल हो गई है।

दूसरा विषय राष्ट्रीयकरण के सफल संचालन में श्रमिकों द्वारा भाग लेना है। राष्ट्रीयकरण का क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्रमिक वर्ग, एक निकाय के रूप में, राष्ट्रीयकरण कृतउद्योग में समभागी बनें।

श्री श्यामनंदन सहाय : यह श्रमिकीकरण है । राष्ट्रीयकरण नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रमिकों के विचारों की ओर ध्यान देने तथा उनकी बातें सुनने की बड़ी आवश्यकता है । श्री टाटा ने १०० व्यक्तियों के छोटे से संघ को मान्यता दी है जब कि इन्डियन एयरलाइन्स कर्मचारी संघ, जिसमें ५०० सदस्य हैं, को अभी अलग रखा गया है । मेरा विचार है कि श्री माइकेल जॉन को श्रम प्रतिनिधि नामज़द करने में यही बात है । श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, उन्हें परिवहन सुविधाएं देने आदि के विषय में कुछ नहीं किया गया है ।

अब मैं अपने मित्रों के इस विचार का समर्थन करूंगी कि असैनिक उड्डयन विभाग ने विस्तृत रूप धारण कर लिया है । कठिन परिस्थितियों में भी श्रमिकों की सद्भावना, कुशलता और प्रोत्साहन के कारण ही यह ऐसा कर सका है । प्रारम्भ में छोटा होने के कारण यह विभाग वेतन आयोग के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सका । मेरा मत है कि इस विभाग के प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया जाय क्योंकि इस पर गहरा उत्तरदायित्व है । उन पर हज़ारों जानों की सुरक्षा निर्भर है । अतः इस बात की पूरी आवश्यकता है कि यहां पर कार्यतत्पर और स्वस्थ व्यक्ति ही काम करें तथा जिन अवस्थाओं में वह रहते हैं, वहां नहीं रहें ।

हर वर्ष उनके आवास के लिये उपबन्ध रखा जाता है तब भी उन के लिये आवास नहीं है । दमदम और शान्ताक्रूज में कुछ किया गया है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भी कुछ किया जाना चाहिये । उनके लिये भविष्य निधि तथा चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है । यदि हम इस विभाग को उसके उत्तरदायित्व के अनुरूप ही योग्य बनाना चाहते हैं तो हमें समानता युक्त और उचित व्यवहार करना चाहिये ।

श्री जगजीवन राम : श्रीमान्, सदन के सदस्यों ने मेरे मंत्रालय और उसमें नियोजित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की जो प्रशंसा की है उस के लिये मैं उनका आभारी हूं । इस दिशा में मैं भी उनका साथ देता हूं ।

सर्व प्रथम मैं श्री जयपाल सिंह से प्रारम्भ करूंगा । उन्होंने ज़ोरदार शब्दों में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असैनिक उड्डयन को बहुत सहन करना पड़ा है । मेरी इच्छा है कि श्री जयपाल सिंह यहां उपस्थित होते । असैनिक उड्डयन का जीवन ही अभी इने-गिने वर्षों का है और उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से उसमें अवनति हो गई है । मैं नहीं समझ सका कि उनका क्या अभिप्राय था । यदि वह इस ओर देखने का प्रयत्न करते तो उन्हें मालूम होता कि असैनिक उड्डयन ने देश में विस्तृत रूप धारण कर लिया है । किसी भी व्यक्ति को देश में असैनिक विमान परिवहन का विस्तार करने के लिए असैनिक उड्डयन के निदेशालय की सराहना करने में झिझक नहीं होनी चाहिये । उसने अद्भुत सफलता प्राप्त की है । उन्होंने कहा कि उसमें अनुशासन का अभाव है । मैं इस आरोप को एक पल के लिये भी मानने को तैयार नहीं हूं । हमारे विमान चालकों और इंजीनियरों ने अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण उपस्थित किया है । मेरी अपेक्षा श्री जयपाल सिंह इस बात को खूब जानते हैं कि जो चालक आज असैनिक उड्डयन में सेवानियोजित हैं सेना में रह चुके हैं और वे सेना के अनुशासन से पूर्ण परिचित हैं ।

इसके बाद श्री जयपाल सिंह ने एक सुझाव रखा कि असैनिक उड्डयन को रक्षा विभाग के सुपुर्द कर दिया जाये यह उनकी सनक है जिससे वह बच नहीं सकते । पिछले साल भी

[श्री जगजीवन राम]

उन्होंने यही बात कही थी। हमें असैनिक उड्डयन का विकास करना है। हम इसे सबल गौण रक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब यह रक्षा मंत्रालय से पृथक स्वतंत्र मार्ग पर स्थिर रहे। जब कभी आवश्यकता होती है हम संचार मंत्रालय और रक्षा मन्त्रालय में परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। उन्होंने कहा कि इसके रक्षा मंत्रालय में न रहने के कारण ही कदाचित् फ्लाइंग क्लबों द्वारा अत्यधिक संख्या में चालक निकलने से हमारे यहां बेरोजगार चालकों की भरमार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में लगभग सौ से अधिक चालक बेकार हैं। क्या इसके लिये असैनिक उड्डयन का निदेशालय उत्तरदायी है अथवा फ्लाइंग क्लब ? फ्लाइंग क्लबों का उद्देश्य नवयुवकों में विमान के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। यदि फ्लाइंग क्लब में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये सम्मिलित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसे ही अपना भावी जीवन क्षेत्र बना ले तो स्थिति दुस्सह हो जायेगी। लेकिन सरकार से वित्तीय सहायता मिलने की आशा में फ्लाइंग क्लब अविरत रूप से प्रशिक्षणार्थियों को उनकी शिक्षा योग्यता पर विचार किये बिना ही भरती करते गये। पिछले वर्ष मैं ने इस प्रश्न पर विचार किया कि इन बेरोजगार चालकों को सेवा नियोजित करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि फ्लाइंग क्लबों द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार चालकों के पास न्यूनतम शिक्षा योग्यता भी नहीं है। यह सब उन्होंने इसलिये किया कि असैनिक उड्डयन के प्रधान निदेशक से अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। अतः वह सम्पूर्ण निन्दा असैनिक उड्डयन के प्रधान निदेशक पर ही नहीं उंड़ेल सकते हैं। उन्हें इसका कुछ भागी बनना पड़ेगा। मेरा विचार है कि निदेशक की अपेक्षा निन्दा का अधिकांश हिस्सा फ्लाइंग क्लबों के पल्ले पड़ना चाहिये।

श्रीमान्, मैं पिछले कुछ वर्षों से इन बेरोजगार चालकों को काम दिलाने के नवीन क्षेत्रों पर विचार कर रहा हूं। हमने इस प्रश्न पर भारतीय विमान सेना से भी चर्चा की कि क्या वह इन चालकों को वायु सेना में लगा सकते हैं। आज मैं यह घोषणा करने की स्थिति में हूं कि आगामी एक या दो महीनों में भारतीय विमान निगम डकोटा पृष्ठांकना से विशेषित सभी चालकों को काम में लगा देगा।

लगभग एक सौ बेरोजगार चालकों में से ३४ से ३७ के पास डकोटा पृष्ठांकन है और शेष के पास 'बी' अनुज्ञप्ति है। दूसरे चालकों को डकोटा पृष्ठांकन मिलने तक प्रशिक्षण देने की मेरी योजना है ताकि आगामी १५ या १८ महीनों में उन्हें काम में लगाया जा सके।

हमें भविष्य के सम्बन्ध में भी विचार करना है। आज श्री जयपाल सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय एक बार और फ्लाइंग क्लबों की सहायता कर रहा है। वे एन० सी० सी० छात्रों को फ्लाइंग क्लबों के पास भेजेंगे और इस तरह क्लबों का काम चलेगा। यदि फ्लाइंग क्लब समूचे रूप में राजकीय सहायता पर निर्भर हैं अथवा फ्लाइंग के सिवाय अन्य कार्यक्रम में ही प्रगति कर पाते हैं तो उनका भविष्य अंधकारमय है। मैं ने मास्टर समिति का प्रतिवेदन देखा है। हमने समिति की सिफारिशों को सामान्यतया स्वीकार कर लिया है। हमें देश की आवश्यकता के अनुसार ही फ्लाइंग क्लबों में नवयुवकों को प्रशिक्षण के लिये भेजना चाहिये।

यदि हम ऐसा नहीं करते है तो फ्लाइंग क्लब सदैव ही संकट में रहेंगें। हमारी आवश्यकता प्रति वर्ष पच्चीस या तीस चालकों की है जिन्हें इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अथवा एयर इंडिया इंटरनेशनल में रखा जा सकता है। यदि २५ या ३० से अधिक व्यक्ति फ्लाइंग को ही अपना जीवन बनाना चाहते हैं तो फिर से उनकी बेरोजगारी का प्रश्न उठेगा। हम एक योजना की जांच कर रहे हैं जिसके अनुसार फ्लाइंग क्लबों को कम से कम वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया जा सके।

श्री जयपाल सिंह का मत है कि असैनिक उड्डयन रक्षा मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाये। वह सोचते हैं कि रक्षा मंत्रालय के प्रति स्वभावतः प्रत्येक देशवासी की सहानुभूति है इसलिये उक्त मंत्रालय फ्लाइंग क्लबों के लिये कितनी भी रकम व्यय कर सकता है। कदाचित इसी उद्देश्य से वह इस पर दृढ़ है। हम उनसे सहमत नहीं हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विषय पर आने के पूर्व मैं असैनिक उड्डयन के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ कह दूं। कर्मचारियों की उचित मांगों के लिये मैं पूरी तरह उन से सहानुभूति रखता हूं। जैसा सदन को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा शासित हैं और केन्द्रीय सचिवालय के समान ही असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी भी हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये जो वेतन स्तर बने हुए हैं वह भी उन्हीं से नियमित होते हैं। अतः जब यह मांग रखी गई कि असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की जांच के लिये एक विशिष्ट समिति बनाई जाये तो मैंने कहा कि ऐसा करने का कोई अवसर नहीं है। यदि अनियमितता के विषय हैं तो हम सदैव उनकी जांच करने के लिये प्रस्तुत हैं। यदि कोई दूसरे प्रश्न हैं तो मैं उनकी जांच करने और यथासंभव उन्हें पूरा करने के लिये तैयार हूं।

उनके बच्चों की शिक्षा का प्रश्न उठाया गया। मैं ने स्वयं कुछ हवाई अड्डों को देखा है। मुझे मालूम हुआ कि उन्हें अवश्य इस प्रकार का कष्ट है और हमें इसके लिये कुछ हल ढूंढना चाहिये। अधिकांश हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के बालकों की संख्या बहुत कम है इसलिये स्कूल नहीं खोले जा सकते, लेकिन जहां उनकी संख्या अधिक है वहां स्कूल खोलने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है कि हवाई अड्डों पर स्टाफ की कार अथवा दूसरी सवारी का प्रयोग बच्चों को स्कूलों या कालेजों में लाने ले जाने के लिये कर लिया जाये।

आज से अर्थात् पहली अप्रैल से चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिया जाना आरम्भ कर दिया है।

जहां तक दूसरी सुविधाओं का प्रश्न है उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों में जो अन्तर है वह केवल असैनिक उड्डयन में ही नहीं प्रत्युत समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में सार्वभौम है। उन के लिये बिजली देने के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया है। यह बात असैनिक उड्डयन विभाग के लिये ही नहीं, सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये सही है। हम चाहते हैं कि हम इस भेद को मिटा सकें। ऐसी और भी बातें हैं जिन्हें जान कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

[श्री जगजीवन राम]

दूसरे लोगों को दस वर्ष की सेवा के बाद पेंशन का अधिकार मिल जाता है, जब कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बीस वर्ष तक सेवा करने के बाद इस के पात्र होते है। ज्यों ही यह भेदमूलक बातें मेरे सामने आती हैं, मैं उन पर विचार करता हूं। उचित तो यह है कि इन प्रश्नों पर विचार करने का कार्य गृहकार्य मंत्रालय का है। अतः मैं कह दूं कि असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की समस्त वैध मांगों से मेरी सहानुभूति है।

मैं समझता हूं कि मैं ने असैनिक उड्डयन विभाग की चर्चा कर दी है। श्रमिकों की वास्तविक तकलीफें हैं। हमारे विमान अड्डे नगरों और कसबों से दूर दूर स्थित हैं और कर्मचारियों को चिकित्सा अथवा शिक्षा सुविधायें प्राप्त करने में वस्तुतः कठिनाई होती है। क्वार्टर्स की स्थिति भी असंतोष-जनक है। हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा "दमदम में कुछ किया जा रहा है।" मैं चाहता हूं कि वह इस तथ्य को स्वीकार करतीं कि वहां "कुछ" ही नहीं बहुत कुछ किया जा रहा है। दमदम में असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के लिये हम एक वृहद् कालोनी बना रहे हैं और इसके लिये यह विभाग बधाई का पात्र है। यह एक बहुत बड़ी बात है। हम सुदूर स्थित हवाई अड्डों के लिये भी ऐसा ही करना चाहते हैं। मैं प्रायः बागडोगरा, अगरतला आदि स्थानों के विषय में विचार करता हूं जहां कर्मचारियों का जीवन कष्टप्रद है। अनेक बार हमारे बजट आवंटन व्यपगत हो जाते हैं। पिछले वर्ष मैं ने जन-वास्तु-विभाग से इस विषय पर बातचीत की। उन्होंने एक प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे मंत्रालय के साथ लगाने के लिये एक सम्पर्क अधिकारी दिया। यदि यह प्रयोग सफल होता है, यदि मंत्रालय का निर्माण कार्यक्रम प्रगति करता है तो हम सम्पर्क अधिकारी के साथ कार्य करेंगे और यदि यह असफल रहा तो हम किसी दूसरी युक्ति पर विचार करेंगे जिससे निर्माण कार्य में शीघ्रता की जा सके। इसलिय मैं इस स्तर पर और अधिक नहीं कहना चाहता यह विषय अविरत रूप से मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है और मैं इसे शीघ्रतापूर्वक हल करने का प्रयत्न करूंगा।

इस के बाद डाक विभाग पर आने के पहले मैं संक्षेप में एयर कारपोरेशन के सम्बन्ध में कह दूं। जब महिला सदस्य ने बोलना आरम्भ किया तो उन्होंने (महिला ने) सदन में इस तरह का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न किया मानो लेडी नाइटिंगेल ही यहां अवतरित हो गई हो। आप जानते हैं बुलबुल का क्या चिन्ह होता है ? मेरा विचार है वह महिला इसे खूब जानती हैं।

एक माननीय सदस्य : कृपया हम से कहिये।

श्री गाडगिल : हम भी इस ज्ञान से लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री जगजीवन राम : कदाचित् वह आपसे एकान्त में कह देंगी। उन्होंने मुझे निराश नहीं किया यद्यपि सदन को इससे निराशा हुई। न तो वह लेडी नाइटिंगेल ही सिद्ध हुई और न बुलबुल ही। मेरा विचार है कि यदि वह यहां से लौटने पर समाचार पत्र पढ़ेंगी तो उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा।

श्रीमान्, जब व्यक्तिगत प्रश्न में प्रवेश करते हैं तो मामलों पर चर्चा करना बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे अपने ही पदाधिकारियों

का उल्लेख किये जाने पर यह बात और भी कठिन हो जाती है। हम उन पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। एकीकरण के कार्य ने कोई प्रगति नहीं की है। इस कार्य के लिये मैं किसी की निन्दा नहीं करता लेकिन वस्तुतः यह सच है कि पिछले छै या सात महीनों में जो प्रगति की गई है वह संतोषजनक नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं स्वयं चाहता हूं कि और अधिक एकीकरण हो, यद्यपि यह एक कठिन काम है। जहां यह ७,००० अथवा ८,००० कर्मचारियों का मामला हो जहां यह वरिष्ठता तथा कनिष्ठता का मामला हो, जहां वेतन श्रेणियों का मामला आ जाता हो, वहां एकीकरण उतना आसान नहीं है। कर्मचारियों में सम्भावित असंतोष का निवारण करने के लिये हमें उपाय करने पड़ते हैं। इसलिये मैं ने निगम को परामर्श दिया कि वह एक समिति नियुक्त करे जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवा निवृत्त जज हो। दैवयोग से वह संघ लोक सेवा आयोग का एक भूतपूर्व सदस्य भी है। यह समिति वेतन श्रेणी, वरिष्ठता आदि के सभी प्रश्नों पर विचार करेगी। मैं ने अनुमान लगाया था कि इसका काम छै महीने के अन्दर समाप्त हो जायेगा परन्तु इसने अधिक समय लिया। मैं ने इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया था। परन्तु में सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं स्वयं इन कुछेक पंक्तियों से संतुष्ट नहीं हूं जो कि इसने सात आठ महीने के काम के बाद लिखी हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का यह कहना ठीक नहीं कि कलकत्ते में चार प्रादेशिक प्रतिनिधि तथा दिल्ली में दो प्रादेशिक प्रतिनिधि हैं। प्रादेशिक प्रतिनिधियों की यह सारी व्यवस्था संतोषजनक नहीं दिखाई दे पड़ी है। परन्तु ज्योंही हम ने विभिन्न कम्पनियों का कार्यभार संभाला, हमने उन के कर्मचारियों को भी संभाल लिया। विधेयक प्रस्तुत करते समय मैं ने आशा प्रकट की थी कि हम छै महीने के अन्दर उनका एकीकरण कर सकेंगे। इन संस्थाओं को हम इस समय भी विभिन्न प्रबन्धकों, तथा विभिन्न कर्मचारी वर्गों की सहायता से चला रहे हैं। वह इस समय भी अपने को विभिन्न वायुयान कम्पनियों के कर्मचारी समझते हैं। यह वस्तुस्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। मुझे आशा है कि इस महीने के दौरान में हम कुछ और एकीकरण कर सकेंगे। मुझे भरोसा है कि इस महीने के दौरान में इस प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय व्यवस्था की जगह किसी और व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा।

बताया गया कि वायुयान परिवहन में बहुत से लोगों का स्वार्थ है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। यदि कोई निश्चित उदाहरण मेरे सामने रखा जाता.....

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं ने दो उदाहरण दिये हैं।

श्री जगजीवन राम : दो उदाहरण दिये गये। डालमिया जैन एयरवेज का राष्ट्रीयकरण से बहुत पहले परिसमापन किया गया था। वहां कोई काम ही नहीं....

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह एक अनुसूचित कम्पनी है।

श्री जगजीवन राम : यह चल नहीं रही है। वास्तव में उनका कोई वायुयान उड़ान के योग्य नहीं। राष्ट्रीयकरण से कुछ समय पूर्व उसका परिसमापन हुआ। डालमिया जैन एयरवेज़ का कोई अननुसूचित कार्य संचालन नहीं है। जहां तक श्री के० के० राय का सम्बन्ध है, मेरे विचार में हाल ही के कुछ

[श्री जगजीवन राम]

समय से उन्होंने एयर सर्वेज़ आफ इण्डिया में कुछ स्वार्थ अर्जित किया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह एयर कारपोरेशन क्या छोड़ गये ?

श्री जगजीवन राम : उन्होंने एयर इंडिया छोड़ा नहीं है । शायद आपको मालूम होगा एयर सर्वे आफ इंडिया अधिकांश रूप से सर्वेक्षण का काम ही करती है, तथा अनुसूचित कार्य संचालन का ज्यादा काम नहीं करती । यह हाल ही की बात है कि मैं ने सुना कि श्री के० के० राय नें एयर सर्वे आफ इंडिया में कुछ हित अर्जित किया है । मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक सही है । यदि मुझे इस सम्बन्ध में कोई और सूचना दी जायेगी कि इन वायुयान निगमों के नियोजकों अथवा कर्मचारियों का किसी अनुसूचित सेवा में स्वार्थ है, तो मैं इसकी जांच करूंगा । परन्तु मेरे विचार में किसी व्यक्ति का भी इस तरह की सेवाओं में कोई स्वार्थ नहीं है ।

हम इन सभी कर्मचारियों को इसलिये संभाले हुए हैं कि हम इनका एकीकरण नहीं कर सके हैं । ज्यों ही हम एकीकरण करेंगे तो शायद कुछ गैर-टेकनिकल कर्मचारीवर्ग फालतू भी सिद्ध होगा तथा हम उसे सेवामुक्त कर सकते हैं ।

उन्होंने टेक्निकल समिति की रिपोर्ट का इस तरह से उल्लेख किया गोया उसमें कुछ रहस्य दिये गये थे । निगम को अभी तक उस समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जब यह रिपोर्ट उन्हें मिलेगी तो निगम इस पर विचार करेगा तथा वह इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाना चाहिये अथवा नहीं । यदि यह प्रकाशित करने योग्य होगा तो इसे प्रकाशित किया जायेगा । सरकार का वैसे प्रत्यक्ष रूप से इस से कोई सम्बन्ध नहीं । आपको मालूम है कि वायुयान निगम अधिनियम के अन्तर्गत किस प्रकार का ढांचा निश्चित किया गया है ।

महा प्रबन्धक, श्री टाटा तथा श्री भोर के सम्बन्ध में उन्होंने जो शब्द कहे हैं वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर कहे गये हैं । सुनी सुनाई बातों के आधार पर तो इसी तरह के वक्तव्य दिये जा सकते हैं । इस तरह के वक्तव्य देना अनुचित भी हो जाता है परन्तु चूंकि इसमें व्यक्तियों की बात आ जाती है इसलिये मैं इस पर सविस्तार चर्चा नहीं करना चाहता हूं । श्री भोर इस समय पाकिस्तान सरकार के असैनिक उड्डयन विभाग के डाइरेक्टर-जनरल हैं । इसलिये इस मामले के बारे में कुछ कहना अनुचित ही होगा ।

ईंधन तथा वायुयानों के पेट्रोल की बात उठाई गई । इस विषय का सम्बन्ध मेरे सहयोगी निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री से है । परन्तु यह सत्य है कि रंगून की अपेक्षा लंदन में पेट्रोल सस्ता बिकता है । इसी तरह से ईरान की अपेक्षा न्यूयार्क में यह सस्ता बिकता है ।

श्री सिंहासन सिंह : ऐसा क्यों ?

श्री जगजीवन राम : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, परन्तु यह एक वास्तविकता है । उनका एक संगठन आदि है, वह कीमतों को इकट्ठा करते हैं: — यही इसका सीधा सादा कारण है । कुछ भी हो हम मुनासिब दामों पर वायुयानों के लिये पेट्रोल खरीदने का प्रयत्न करते रहे हैं । यदि हो सके तो हम इस सिलसिले में और भी कोशिश करेंगे ।

मैं अपने सहयोगी माननीय निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री से भी इस ओर ध्यान देने के लिये कहूंगा ।

श्री सिंहासन सिंह : वायुमार्गों के अग्रेतर विस्तार के सम्बन्ध में क्या सरकार का कोई कार्यक्रम भी है ?

श्री जगजीवन राम : सभी राज्यों की राजधानियों को तथा मुख्य मुख्य नगरों को आपस में वायुमार्गों द्वारा मिलाने का हमारा एक कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम के द्वितीय प्रक्रम पर श्री सिंहासन सिंह का अपना कस्बा गोरखपुर भी वायुमार्ग द्वारा मिला दिया जायेगा ।

इन्सपेक्टरों के मामले के सम्बन्ध में जो वादविवाद हुआ उसमें बिना किसी कारण के गर्मागर्मी पैदा हुई । शायद माननीया सदस्या को मालूम नहीं कि पास हुए इन्स-पेक्टरों का जिन्हें कि चुना नहीं गया है, मामला दस बारह वर्ष के बाद हल किया गया है । पास हुए, किन्तु चुने गये इन्स्पेक्टर वे हैं जो कि प्रतियोगिता में शामिल तो होते हैं किन्तु जिन के नम्बर अपेक्षित नम्बरों से कम होते हैं । उन्हें पास समझा जाता है । कोई भी व्यक्ति जो ४५ प्रति शत नम्बर प्राप्त करता है, पास समझा जाता है । परन्तु चुने केवल उतने ही जाते हैं जितनी कि रिक्ततायें हों । शेष व्यक्तियों को चुना नहीं जाता है । विभाग ने इन व्यक्तियों से हमदर्दी की तथा आदेश दिया कि अस्थायी रिक्तताओं में इन लोगों को कार्यवाहक रूप से काम करने दिया जाना चाहिये । जब उन्होंने कार्यवाहक रूप से काम किया तो उन्होंने कहा "हम पास हुए हैं किन्तु चुने नहीं गये हैं, परन्तु हमने कार्य-वाहक रूप से काम तो किया है ।" मैं ने उन्हें कुछ रियायत दी तथा कहा "अच्छा, मैं आपको भर्ती करने की कोशिश करूंगा ।"

७ म० प०

श्री देवेश्वर सर्मा (गोलघाट–जोर-हाट) : श्रीमान्, मेरा एक निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सात बज चुके हैं । मैं अब 'मुखबन्ध' प्रयोग करूंगा तथा संचार मंत्रालय के सम्बन्ध में पेश किये गये कटौती प्रस्ताव मत-दान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें—मांग संख्या ५, ६, ७, ८, ९, १०, १११, ११२, तथा ११३—मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

इसके पश्चात् सभा, शुक्रवार, २ अप्रैल, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई ।